उन्नति विचार

वर्ष : 8 अंक : 3 जुलाई-सितम्बर, 2003

अनुक्रम

संपादकीय 1

विकास विचार 2
गरीबी का आकलन और गरीबी निवारण का नूतन अभिगम

आपके लिए
महिलाएँ और विश्व व्यापार 14

महिलाएँ और बालकों के संबंध में श्रम आयोग की सिफारिशें 17

अपनी बात
पश्चिमी राजस्थान में अकाल का सामना 20

जंगल की जमीन के अधिकारों के बारे में आदिवासियों के प्रश्न 25

गतिविधियां 30

संदर्भ सामग्री 35

अपने बारे में 40

संपादकीय टीम :
दीपा सोनपाल
बिनोय आचार्य

वार्षिक चंदा : 25/- रु. मात्र बैंक ड्राफ्ट अथवा मनीऑर्डर 'उन्नति' विकास शिक्षण संस्थान, अहमदाबाद के नाम भेजें।

केवल सीमित वितरण के लिए

संपादकीय

गरीबी में सामाजिक पहलुओं का समावेश

गरीबी का निवारण आर्थिक विकास संबंधी महत्वपूर्ण ध्येयों में से एक ध्येय है। परंतु गरीबी का कद क्या है, उसका आकार क्या है और उसका रंग कैसा है, इस बारे में भिन्न-भिन्न मत प्रचलित रहे हैं। भारत में भी गरीबी के निवारण हेतु जब से गरीबों के आकलन को महत्वपूर्ण माना गया है, तब से ही उससे संबंधित सत्तावार एवं स्वतंत्र अध्ययनों को प्रोत्साहन मिलता रहा है। अभी इस संदर्भ में गरीबों की गणना से संबंधित जो अंतिम प्रयास केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है, वह गरीबी-निवारण संबंधी समग्र दृष्टि को बदल देने वाला है और इसी से वह अभिनंदनीय अभिगम भी है। अधिकांशतः गरीबी के आकलन के लिए यह बात ही ध्यान में ली जाती रही है। व्यक्ति या परिवार की वार्षिक आय कितनी है अथवा उनका वार्षिक उपभोग व्यय कितना है, अब गरीबी के आकलन संबंधी अभिगम बदला है और दसवीं पंचवर्षीय योजना हेतु गरीबी की जो गणना की गई है, उसमें आय और व्यय के अलावा अन्य अनेक पहलुओं का समावेश किया गया है। इस प्रकार आय और व्यय ही एकमात्र मानदंड नहीं है वरन् गरीबी के आकलन में स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास जैसे सामाजिक पहलुओं और असहायता जैसे सामाजिक-आर्थिक पहलुओं को महत्वपूर्ण स्वीकार किया गया है।

यह अभिगम इस बात पर ध्यान देता है कि किन-किन का सामाजिक भेदभाव होता है। सामाजिक भेदभाव, वंचितता और असहायता की रचना करते हैं। दलित, बालक, महिला, आदिवासी, वृद्ध, विकलांग जैसे वर्ग भारत में इसलिए गरीबी के शिकार बनते हैं क्योंकि वे सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक वंचितता के शिकार बने होते हैं। ऐसी वंचितता को मापना मुश्किल है लेकिन फिर भी दसवीं पंचवर्षीय योदना में गरीबी पर सीधा हमला बोलने के आदेश से, उसे मापने का प्रयास किया गया है, जो स्वागत योग्य विषय है। कौनसी सामाजिक व आर्थिक सेवाएँ बाजार या राज्य के द्वारा गरीबों को मिलती हैं, इस सामाजिक व आर्थिक शोषण के प्रसार को मापने हेतु जाँच-पड़ताल करना महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी से शोषण का स्वरूप और कद जानने को मिलता है। लोगों पर यह शोषण किस तरह लदा हुआ है, इसकी जानकारी मिलने पर उसे दूर करने का प्रयास सघन तरीके से किया जा सकता है। गरीबी के आकलन का अभिगम बदला है, जिससे लगता है ऐसा कर पाना संभव होगा।

गरीबी के आकलन के संदर्भ में दूसरा महत्वपूर्ण पहलू जोड़ा गया है, और वह है सहभागी गरीबी मूल्यांकन। इसमें गरीबी के आकलन हेतु भी समुदाय आधारित अभिगम अपनाया जाता है। समुदाय तय करता है कि कौन गरीब है और कौन गरीब नहीं। अर्थात् समुदाय तय करता है कि बीपीएल सूची में किसका समावेश हो और किसका नहीं हो। पंचायतों और ग्राम सभा की भूमिका स्वीकार की गई है, जो यह दर्शाती है कि गरीबी निवारण की तरह ही गरीबी के आकलन हेतु मात्र सरकारी तंत्र पर सम्पूर्ण निर्भर नहीं रह जा सकता, इसे स्वीकार कर लिया गया है। स्पष्ट है कि गरीबी के आकलन संबंधी प्रक्रिया में समुदाय भागीदार हो, तभी वह गरीबी निवारण के कार्यक्रमों में भी भागीदार होगा और उसे लगेगा कि गरीबी निवारण संबंधी प्रयास वाकई गंभीरता से सम्पन्न हो रहे हैं। इस तरह गरीबी निवारण के नये मापदंड नितांत नये ही प्रभाव डाल रहे हैं। हालांकि इसकी प्रक्रिया में कई कमियाँ अवश्य हैं, पर उन्हें दूर करने के साथ-साथ इस अभिगम को अधिक सुदृढ़ बनाने की जरूरत है। सामाजिक पहलुओं का समावेश ही इस नये अभिगम को सबल बनाता है ओर साथ ही साथ गरीबी निवारण संबंधी प्रयत्नों को सघन बनाने हेतु नयी दिशा देता है।

गरीबी का आकलन और गरीबी निवारण का नूतन अभिगम

भारत में गरीबी के घटाये जाने के प्रयास जैसे-जैसे बदलते गये हैं वैसे-वैसे गरीबी के आकलन संबंधी अभिगम भी बदलते गये हैं। दसवीं पंचवर्षीय योजना हेतु गरीबों की संख्या सुनिश्चित करने के संदर्भ में बिल्कुल नया अभिगम अपनाया गया है। प्रस्तुत लेख में **श्री हेमन्तकुमार शाह** द्वारा इस नए अभिगम की तथा गरीबी निवारण संबंधी प्रयासों में आए परिवर्तन की चर्चा की गई है और इसकी चर्चा की गई है कि मानव विकास के संदर्भ में गरीबी के निवारण का अभिगम कितना महत्वपूर्ण है।

प्रस्तावना

गरीबी का अस्तित्व अभिशाप है, अतः गरीबी का निवारण करना विकास का लक्ष्य बन गया है। द्वितीय विश्व युद्ध सन् १९४५ में समाप्त हुआ था, उसके बाद स्वतंत्र हुए एशिया व अफ्रीका के सौ से अधिक देशों में आर्थिक विकास एक नया मंत्र बन गया। परंतु विकास का बंटवारा सन् १९७० के दशक से चिंता का विषय बन गया। सन् १९४७ में भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद आर्थिक विकास की वृद्धि दर को उपर ले जाने हेतु जो भरपूर प्रयास हुए उनमें बहुधा रोजगार में वृद्धि और गरीबी को घटाना विस्मृत हो गया। लेकिन १९७० के दशक से आयोजन का अभिगम भी बदला और 'गरीबी हटाओ' एक महत्वपूर्ण राजनीतिक सूत्र बन गया। परंतु भारत का अनुभव यह रहा है कि गरीबी को घटाने की प्रक्रिया बहुत धीमी रही है। इसके साथ-साथ इसके संबंध में सरकार व समाज की निष्ठा और प्रतिबद्धता को लेकर भी एतराज करने लायक परिस्थिति रही है।

सन् १९५० में भारत ने अपना संविधान बनाया और सन् १९५२ में भारत में प्रथम संसदीय चुनाव सम्पन्न हुए, और इसके साथ भारत ने एक प्रजातांत्रिक देश के रूप में विकास की प्रक्रिया आरंभ की। सन् १९५१ में प्रथम पंचवर्षीय योजना से योजनाबद्ध विकास की शुरूआत की गई। परंतु सन् १९९१ में निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण के विचारों के साथ नई आर्थिक नीति आरंभ की गई और आर्थिक विकास के लिए सरकार पर विशेष आधार रखने की बजाय बाजार पर आधार रखने की शुरूआत हुई। संसार के सबसे विशाल लोकतांत्रिक देश में आया यह बड़ा भारी आर्थिक परिवर्तन है।

सरकार केंद्रित विकास के बदले बाजार केंद्रित विकास का प्रतिरूप अपनाने से समग्र अर्थतंत्र की दिशा और अभिगम बदल गए हैं। इसके बावजूद, गरीबी भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण समस्या रही है। भारत दुनिया का सबसे ज्यादा गरीबी वाला देश है और गरीबी का निवारण कैसे किया जाए, यह आधारभूत प्रश्न है। देश की आबादी सन् २०५० में लगभग १५० करोड़ हो जाने का अनुमान है और सत्तावार अनुमानों के अनुसार २००७ में भी लगभग २० प्रतिशत अर्थात् २२ करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे होंगे। तालिका नं.१ और तालिका नं.२ में भारत में प्रवर्तमान गरीबी का विवरण दिया गया है। इस दारुण परिस्थिति में गरीबी निवारण संबंधी व्यूह-रचना कैसी होनी चाहिए, यह चिंता का विषय होना स्वाभाविक है।

परंतु गरीब किसे मानें, इस बारे में भी सतत विवाद होता रहा है। इसके लिए दुनिया भर में अलग-अलग समय में अनेक मापदंड तैयार किये गए हैं। उनमें से कई विवरण तालिका नं.३ में दिये गए हैं। ये मापदंड अलग-अलग तरह से अनुमान लगाते हैं। दसवीं पंचवर्षीय योजना हेतु गरीबों की संख्या सुनिश्चित करने के लिए जो अभिगम अपनाया गया है, वह नितांत नया अभिगम है, और उसमें गरीबी की मात्रा या गरीबों की संख्या ही महत्वपूर्ण नहीं मानी गई है, वरन् गरीबी की तीव्रता कैसी है, उसे मापने का प्रयास हुआ है। यह बताता है कि गरीबों की गरीबी दूर करने के लिए भी नये अभिगम की आवश्यकता है और गरीबी दर्शाने वाले जो लक्षण हैं उनकी जड़ पर ही हमला करने की आवश्यकता है जो अभिगम अपनाया गया है उनमें विविध आर्थिक श्रेणियों का समावेश किया

तालिका नं. १

भारत में गरीबी						
वर्ष	प्रतिशतवार			गरीबों की संख्या (करोड़ों में)		
	ग्राम	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल
१९७३-७४	५६.१	४९.०	५४.९	२६.१३	६.००	३२.१३
१९७७-७८	५३.१	४५.२	५१.३	२६.४३	६.४६	३२.८९
१९८३	४५.७	४०.८	४४.५	२५.२०	७.०९	३२.२९
१९८७-८८	३९.१	३८.२	३८.९	२३.१९	७.५२	३०.७१
१९९३-९४	३७.३	३२.४	३६.०	२४.४०	७.६३	३२.०३
१९९९-२०००	२७.१	२३.६	२६.१	१९.३२	६.७१	२६.०३
२००७	२१.१	१५.१	१९.३	१७.०५	४.९६	२२.०१

स्रोत : आर्थिक सर्वे, २००२-०३ भारत सरकार, पृ.२१३

टिप्पणी : २००७ का विवरण संभावित अनुमान है।

तालिका नं. २

भारत में राज्यवार गरीबी की मात्रा					
राज्य	प्रतिशतवार		गरीबों की संख्या (करोड़ो में)		
	१९७७-७८	१९८७-८८	ग्रामीण	शहरी	कुल
आंध्र प्रदेश	३८.१	२१.८	१५.७	-१६.३	-६.१
आसाम	६२.९	४२.१	३६.०	-२०.८	-६.२
बिहार	६३.४	५२.९	४२.३	-१०.५	-१०.५
गुजरात	४१.२	२८.२	१४.०	-१३.०	-१४.२
हरियाणा	२७.९	१८.३	८.७	-९.६	-९.६
कर्नाटक	४७.४	३४.०	२०.०	-१३.४	-१४.०
केरल	५०.०	२९.९	१२.७	-२०.१	-१७.२
मध्य प्रदेश	६३.७	४०.५	३७.२	-२३.२	-३.३
महाराष्ट्र	६३.३	४२.६	२४.९	-२०.८	-१७.६
उड़ीसा	७२.८	५९.१	४७.०	-१३.७	-१२.१
पंजाब	१५.३	१२.९	६.१	-२.४	-६.८
राजस्थान	३६.९	२९.४	१५.२	-७.५	-१४.२
तमिलनाडु	५७.६	४६.०	२१.१	-७.५	-१४.२
उत्तर प्रदेश	४७.६	४१.५	३०.९	-६.१	-१०.६
पश्चिम बंगाल	६८.८	४८.६	२६.९	-२०.२	-२१.७
भारत	५३.१	३९.१	२७.१	-१४.०	-१२.०

स्रोत : विविध आर्थिक सर्वे, भारत सरकार

तालिका नं.३ : गरीबी को मापने के विविध मापदण्ड

गरीबी को मापने हेतु समय-समय पर विभिन्न सरकारों और संस्थाओं द्वारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विविध मापदंड विकसित किये गए हैं। उनमें से कुछ का विविरण निम्नानुसार है:

(१) अन्न सुरक्षा सूचकांक (फूड सिक्योरिटी इंडेक्स - एफ.एस.आई.): यह सूचकांक राष्ट्रीय स्तर पर अन्न सुरक्षा का निर्देशन करता है। यह प्राप्य केलोरी, प्रति व्यक्ति दैनिक उर्जा आपूर्ति में वृद्धि, अन्न उत्पादन और अन्न उपभोग को ध्यान में लेता है। सूचकांक शून्य से एक के बीच रखा जाता है। शून्य सूचकांक वाले देश में अन्न सुरक्षा बिल्कुल नहीं होती, एक अंक वाला देश सम्पूर्ण अन्न सुरक्षा रखता है, इस तरह यह सूचकांक दर्शाता है।

(२) समन्वित गरीबी सूचकांक (इंटिग्रेटेड पोवर्टी इंडेक्स - आई.पी.आई.): यह देश की गरीबी की परिस्थिति दर्शाता है। इसमें गरीबी रेखा के नीचे जाने वाले लोगों की प्रतिशतवार संख्या, विदेशों के साथ प्रति व्यक्तित आय की तुलना, प्रति व्यक्ति आय की वार्षिक वृद्धि दर और गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले व्यक्तियों में आय के आवंटन को ध्यान में लिया जाता है। इसे शून्य से एक के बीच मापा जाता है और जैसे ही वह एक के ज्यादा समीप होता है वैसे ही गरीबी की मात्रा अधिक हो जाती है -ऐसा दर्शाता है।

(३) बुनियादी आवश्यकता सूचकांक (बेसिक नीड्स इंडेक्स - बी.एन.आई.): यह ग्रामीण अंचलों का सामाजिक विकास दर्शाता है। इसमें प्रौढ़ वय वालों की साक्षरता, प्राथमिक शालाओं में पंजीकरण, प्रति बस्ती एक डॉक्टर, बाल मृत्यु दर, एवं स्वास्थ्य, सफाई और स्वच्छ पेयजल जैसी सामाजिक सेवाओं की प्राप्ति को ध्यान में रखा जाता है।

(४) सिरों का आकलन (हैड काउन्ड रेशो - एच.सी.आर.): यह वस्तुपरक तरीके से निर्धारित गरीबी रेखा के संदर्भ में परिवार की आय व उपभोग का आकलन करता है। यदि परिवार गरीबी रेखा से नीचे जाता है तो उसे गरीब के रूप में गिना जाता है।

(५) मानव विकास सूचकांक (ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स - एच.डी.आई.): यह उम्र, प्रौढ़ वय की साक्षरता और प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षण में पंजीकरण की संख्या तथा वास्तविक प्रति व्यक्ति आय के अनुसार जीवन स्तर को ध्यान में लेता है।

(६) महिला सक्षमता माप (जेंडर एम्पावरमेंट मेजर - जी.ई.एम.): यह आर्थिक व नीतिक क्षेत्र में स्त्रियों व पुरुषों की तुलनात्मक सक्षमता को मापता है।

(७) मानव गरीबी सूचकांक (ह्यूमन पोवर्टी इंडेक्स - एच.पी.आई.): यह मनुष्य के जीवन में तीन आवश्यक पहलुओं में वंचितता कितनी है, इस पर ध्यान केंद्रित करता है:

(१) आयुष्य: बस्ती में ४० से उपर की उम्र तक न जी पाने वाले लोगों का कुल बस्ती में प्रतिशत।

(२) ज्ञान: प्रौढों में निरक्षरता का प्रतिशत।

(३) जीवन स्तर: इसमें तीन बातों का समावेश होता है - स्वच्छ पेय जल प्राप्त न करने वाले लोगों का प्रतिशत, स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित लोगों का प्रतिशत, तथा पांच वर्ष से कम उम्र में कम वजन वाले बालकों की संख्या।

गया है। यह दर्शाता है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कोई एक व्यक्ति या परिवार गरीब है या नहीं, यह सुनिश्चित करने के लिए मात्र आर्थिक मजबूती ही पर्याप्त मापदंड नहीं है, वरन् इसे अन्य अनेक मापदंड़ों का समावेश किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में भारत सरकार के नए निर्देशों एवं उनके मापदंडों को समझने की आवश्यकता है।

गरीबों के आकलन का अभिगम और प्रक्रिया

गरीबी निवारण में महत्वपूर्ण मुद्दा गरीबों की असहायता (वल्नरेबिलिटी) दूर करना है। असहायता जितनी मात्रा में घटेगी, उतनी ही मात्रा में गरीबी घटेगी। भारत जैसे गरीब देश में गरीबों हेतु ऐसी असहायता दूर करने का काम अभी खड़ा हुआ है। पर यदि बाजार गरीबों की क्षमता में वृद्धि न कर सके तो असहायता दूर करने का दायित्व सरकार पर आ पड़ता है। ऐसी असहायता अनुभव करने वाले वर्गों को ढूँढ निकालना गरीबी निवारण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बालक, महिलाएँ, कृषि मजदूर, औद्यौगिक-मजदूर, असंगठित क्षेत्र के मजदूर, स्वरोजगार में संलग्न

तालिका नं.४ : कौटुम्बिक गरीबी के निर्देशक

गरीबी को कुटुम्ब स्तर पर मापा जाता है। आय और व्यय के मापदंड के अनुसार जब कुटुम्ब को गरीब कहा जाता है तो यह स्पष्ट हो जाता है कि वह कितनी सामाजिक व आर्थिक वंचितता का शिकार बनता है और कमजोर या असहायता उस परिवार का लक्षण होती है। ये निर्देशक कौनसे हैं, इसकी संक्षेप में यहाँ प्रस्तुति की गई है। निम्न निर्देशकों के आधार पर कौन गरीब है, यह तय करने में सरलता हो सकती है, और उनमें किन-किन बातों का समावेश होता है, यह भी दर्शाया गया है:

(१) **भौतिक संसाधनों की वंचितता:** अपर्याप्त आहार, पोषण की बुरी स्थिति, खराब स्वास्थ्य या कम शारीरिक शक्ति, अल्प शिक्षण, वस्त्रों-आवास एवं उपभोग की वस्तुओं का अभाव, ईंधन की असुरक्षा और आपात स्थिति का सामना करने की शक्ति का अभाव।

(२) **अलगाव (आइसोलेशन):** भौगोलिक दृष्टि से अलग होना, सामाजिक व राजनीतिक दृष्टि से किनारे कर देना, विकास एवं सामाजिक संस्थाओं से बहुत दूर होना, राजनीतिक असरों पर प्रभाव न पड़ना।

(३) **दूरी (एलीयनेशन):** अलगाव और शोषक सामाजिक संबंधों में से दूरी पैदा होती है। गरीबों को ऐसा लगता है कि उनकी कोई पहचान नहीं और किसी पर उनका नियंत्रण नहीं। सतत बेकारी या अर्ध-बेकारी की परिस्थिति में से दूरी जन्म लेती है। तकनीकी परिवर्तन तेज़ी से आएं तो भी गरीब उनका लाभ नहीं ले सकते हैं। प्रशासन, व्यापार-वाणिज्य व शिक्षण की भाषा गरीबों के लिए नितांत अजानी होती है।

(४) **अवलंबन:** जमींदारों, साहूकारों, खरीददारों और विक्रेताओं पर अवलबंन तथा असमान सामाजिक संबंध। हिस्सेदार, काश्तकार, भूमिहीन मजदूर, बंधुआ मजदूर और दिहाड़ी मजदूर इस तरह का अवलंबन रखते हैं।

(५) **निर्णय क्षमता और चुनाव की स्वतंत्रता का प्रभाव:** उत्पादन, उपभोग, रोजगार एवं सामाजिक-राजनीतिक प्रतिनिधित्व में इस प्रकार की परिस्थिति रहा करती है। वे स्वयमेव निर्णय नहीं ले सकते अथवा निर्णय लेने की स्वतंत्रता उनके पास नहीं होती।

(६) **मिल्कियत का अभाव:** बहुत कम जमीन अथवा भूमिहीनता, पशुओं का स्वामित्व नहीं, मछुआरों के लिए साधनों का अभाव। लघु या सीमांत भूमि वाले किसान इस तरह की परिस्थिति में होते हैं।

(७) **असहायता:** बाहरी आयातों अथवा आंतरिक सामाजिक संघर्षो के समक्ष असहायता। ऐसी असहायता भूकंप, अकाल, बाढ़, चक्रवात, पशुओं के आक्रमण आदि जैसी प्राकृतिक विपदाओं से पैदा होती है। यह बाजार में आए परिवर्तनों से भी पैदा होती है। उदाहरणार्थ, वस्तुओं के भाव घट-बढ़ जाना, प्रतिस्पर्धी खड़ा हो जाना आदि। इसी भाँति परिवार में कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाने से भी असहायता खड़ी हो जाती है। महामारी फैल जाए या परिवार का कमाने वाला व्यक्ति बीमार पड़ जाए, तब भी असहायता उपस्थित हो सकती हैं। इसी भाँति तलाक हो जाए, स्त्री विधवा हो जाए, या परित्यक्ता हो जाए, तब भी असहायता पैदा हो सकती है।

(८) **असुरक्षा:** सामाजिक दर्जे के नीचे होने की वजह से, कम शारीरिक शक्ति होने के कारण, स्त्री होने के कारण या धर्म, जाति, वंश या भाषा के फर्क के कारण होने वाली हिंसा की वजह से ऐसी असुरक्षा पैदा हो जाती है।

लोग, लघु एवं सीमांत किसान, भूमिहीन मजदूर, आकस्मिक मजदूर, कारीगर, सफाई कर्मचारी आदि भारत के असहायता धारण करने वाले वर्ग हैं। भारत में प्राय: जाति आधारित सामाजिक व्यवस्था के कारण उत्पन्न होने वाली सामाजिक वंचितता भी आर्थिक अक्षमता और असहायता सापेक्ष प्रमाण महत्व का है। उसी से गरीबी पैदा होती है। अत: मूल प्रश्न असहाय लोगों के सामाजिक समावेश का भी है। ऐसा सामाजिक समावेश परिवर्तन हेतु लंबी अवधि की प्रतिबद्धता से उत्पन्न होता है। अधिकांशत: वंचितता और असहायता दूर करने हेतु प्रयास कानूनी, कार्यक्रम-आधारित और प्राय: सतही रहे हैं। उससे गरीबी - निवारण का कार्य तेज़ नहीं हो पाया है।

इसीसे अब गरीबों के आकलन तथा गरीबी निवारण संबंधी अभिगम

बदले हैं। इस अभिगम में प्राप्य और व्यय महत्वपूर्ण नहीं, वरन् वंचितता और असहायता का सापेक्ष प्रमाण महत्वपूर्ण है। इसीलिए गरीब परिवारों के आकलन का सीधा-सादा काम अब जटिल हो गया है। सन् १९६२ में पहली बार परिवारों का आकलन करने तथा गरीबी की व्याख्या बनाने का काम किया गया था। तब से हर पाँच वर्षों पर यह काम होता आया है, पर तब से अब तक जो अभिगम अपनाया गया था, वह वंचितता और असहायता के पहलुओं को ध्यान में लेता था। इन दोनों को नये अभिगम में समाया गया है जिससे समग्र समाज के सभी वंचित वर्गों का समावेश गरीबों में हुआ है। अर्थात् मात्र पोषण की परिस्थिति के आधार पर अथवा रोजमर्रा की केलोरी की जरूरत के आधार पर आय व व्यय का आकलन करके गरीबी की गणना करने के बजाय प्राथमिक जरूरतें कितनी मात्रा में प्राप्त हों, यह ध्यान में लेना जरूरी था। अतः निरपेक्ष गरीबी के बदले सापेक्ष गरीबी के विचार का वंचितता और असहायता मापने के लिए उपयोग किया गया है। इस संदर्भ में सामाजिक व आर्थिक वंचितता किन-किन विधियों से व्यक्त होती है, यह महत्वपूर्ण है। तालिका नं.४ में ऐसे ही कौटुम्बिक गरीबी के निर्देशक दिये गए हैं। यह देखा जा सकता है कि वे मुख्य रूप से सामाजिक विषयों को ध्यान में लेते हैं।

इस प्रक्रिया में प्रत्येक स्तर पर समस्याएँ तो उत्पन्न होती ही हैं। गरीबों की पहचान, गरीबों को गरीबी निवारण कार्यक्रम हेतु किस तरह लक्ष्य बनाना, सर्वेक्षण के पत्रों की त्रुटियां, सर्वेक्षण का कार्य, निरक्षरों को शिक्षा देना, गरीबी तय करना तथा सभ्य समाज के संगठनों की इस प्रक्रिया में भूमिका आदि मुद्दे इस प्रक्रिया में उपस्थित होते हैं। विशेष रूप से, पंचायतें जैसी स्थानीय स्वशासी संस्थाएं और ग्राम सभा जैसी प्रत्यक्ष लोकतंत्र को सफल बनाने वाली संस्थाएं इस प्रक्रिया में भागीदार बनें, यह इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण उपक्रम है। अतः यह प्रक्रिया सर्वग्राही बनी है। यह समग्र अभिगम सहस्राब्दी विकास के लक्ष्यों के साथ मेल स्थापित करने वाला है। ये सहस्राब्दी विकास लक्ष्य तालिका नं.५ में दिये गए हैं। विकास सिर्फ प्रति व्यक्ति आय या उत्पादन वृद्धि द्वारा नही मापा जा सकता और गरीबी भी मात्र आय या व्यय द्वारा नहीं मापी जा सकती, यह तथ्य इस सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों से स्पष्टतया जाहिर होता है।

योजना आयोग की पद्धति

विख्यात अर्थशास्त्री स्व. धनसुखराम तु. लाकड़ावाला की अध्यक्षता में योजना आयोग ने गरीबों की संख्या और तादाद तय करने के लिए एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया था। योजना आयोग ने जिस पद्धति की सिफारिश की थी, यह उसका अनुसरण करता है। 'नेशनल सेम्पल सर्वे आर्गेनाईजेशन' (एन.एस.एस.ओ.) द्वारा लगभग पांच वर्ष की अवधि खर्च के आधार पर जो नमूना सर्वेक्षण हाथ में लिया जाता है, उसमें से होने वाले खर्च की जानकारी का उपयोग गरीबी की तादाद व गरीबों की संख्या तय करने हेतु की जाती है। ऐसा अंतिम ५५ वां राउंड जुलाई-१९९९ से जून-२००० के दौरान हाथ में लिया गया था। उसके आधार पर गरीबी के जो अंदाज प्राप्त हुए हैं वे तालिका नं.१ नें उल्लिखित हैं।

पूर्ववर्ती सर्वेक्षणों में सभी खाद्य और अखाद्य वस्तुओं को आकलन में लिया जाता था और उसमें अंतिम तीस दिनों की अवधि में उन्होंने जो खर्च किया, उसका ब्यौरा लिया जाता था। ५५वें राउंड के सर्वेक्षण में कपड़े, जूते, चिकित्सकीय खर्च आदि इन उपयोगी वस्तुओं की जानकारी ३६५ दिन के खर्च के आधार पर प्राप्त की गई। खाद्य वस्तुओं पर हुए उपभोग खर्च को अंतिम ७ दिन और अंतिम ३० दिन के आधार पर आकलन में लिया गया। अतः गरीबी के अंदाज यही जानकारी के आधार पर रखे गए हैं। अब १०वीं पंचवर्षीय योजना के लिए इस खर्च आधारित अभिगम को छोड़ दिया गया है।

भारत सरकार का मार्गदर्शन

भारत सरकार के ग्राम विकास मंत्रालय द्वारा २००२-०३ की १०वीं पंचवर्षीय योजना के लिए गरीबी की रेखा के नीचे जीने वाले परिवारों को पहचानने हेतु सितम्बर २००२ में एक निर्देश जारी किया गया था। प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में ग्राम विकास मंत्रालय ऐसा एक सर्वेक्षण करता है। उसका उद्देश्य ग्राम विकास मंत्रालय जो विविध गरीबी-विरोधी कार्यक्रम क्रियान्वयन में होते हैं, उनका लाभ सही गरीबों को मिले, यह देखना है। पूर्व में पंचवर्षीय योजनाओं के लिए गरीबी की रेखा के नीचे जीने वाले परिवार तय करने हेतु जो सर्वेक्षण हाथ में लिया गए थे, उनकी सूचना और 'नेशनल सेम्पल सर्वे ओर्गेनाइजेशन' (एन.एस.एस.ओ.) के

तालिका नं.५ : सहस्राब्दी विकास लक्ष्य

सन् २००० में 'संयुक्त राष्ट्र सहस्राब्दी घोषणा' जारी की गई थी। गरीबी निवारण, मानवीय गौरव को प्रोत्साहन, समानता को प्रोत्साहन तथा शांति, लोकतंत्र और पर्यावरणीय चिरंतनता के लिए जो कुछ हो सके, वह सब करने के लिए विश्व के राजनेताओं ने यह घोषणा स्वीकार की है। उन्होंने २०१५ तक या उससे भी पहले विकास हासिल करने और गरीबी निवारण के लक्ष्य सिद्ध करने के लिए साथ मिलकर काम करने का वचन दिया था। इस घोषणा में सहस्राब्दी विकास लक्ष्य और लक्ष्यांक दिय गये हैं। धनी और गरीब दोनों देशों में इसके लिए सहयोग रहे, इस बारे में वे सहमत थे। इस घोषणा में ८ लक्ष्य और १८ लक्ष्यांक दिये गए हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:

लक्ष्य १: भारी गरीबी और भुखमरी निवारण करना।

लक्ष्यांक १: १९९० से २०१५ के बीच रोजाना एक डालर से कम आय वाले लोगों की संख्या घटा कर आधी करना।

लक्ष्यांक २: १९९० से २०१५ के बीच भुखमरी से पीड़ित लोगों की संख्या आधी घटाना।

लक्ष्य २: सार्वत्रिक प्राथमिक शिक्षण हासिल करना।

लक्ष्यांक ३ : २०१५ तक ऐसा काम करना कि सभी जगह सभी बालक-बालिकाएँ प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लें।

लक्ष्य ३: स्त्री-पुरुष समानता तथा महिलाओं की सक्षमता बढ़ाना।

लक्ष्यांक ४: प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण में स्त्री-पुरुष असमानता २००५ तक दूर करना तथा सभी स्तरों पर शिक्षण में २०१५ तक दूर करना।

लक्ष्य ४: बाल मृत्यु घटाना।

लक्ष्यांक ५: १९९० से २०१५ के बीच पाँच वर्ष से नीचे की आयु के बालक बालिकाओं की मृत्यु दर में दो-तिहाई कमी लाना।

लक्ष्य ५: प्रसूताओं का स्वास्थ्य सुधारना।

लक्ष्यांक ६: मातृत्व मृत्युदर की तादाद १९९० से २०१५ के बीच लगभग तीन-चौथाई घटाना।

लक्ष्य ६: एच.आई.वी./एड्स, मलेरिया व अन्य रोगों को रोकना

लक्ष्यांक ७: २०१५ तक में एच.आई.वी. / एड्स के फैलाव की रोकथाम करना और उसमें कमी लाना।

लक्ष्यांक ८: मलेरिया व अन्य बड़े रोगों के फैलाव को २०१५ तक रोकना और इनकी संख्या घटाना शुरू करना।

लक्ष्य ७: पर्यावरणीय चिरंतनता निर्मित करना

लक्ष्यांक ९: चिरंतन विकास के सिद्धांतों को देश की नीतियों में तथा कार्यक्रमों में शामिल करना तथा पर्यावरणीय संसाधनों की हानि कम करते जाना।

लक्ष्यांक १०: ऐसे लोगों की संख्या २०१५ तक आधी करना जिन्हें स्वच्छ पेय जल न मिलता हो।

लक्ष्यांक ११: कम से कम १० करोड़ झोंपड़वासियों के जीवन में २०२० तक बड़ा सुधार लाना।

लक्ष्य ८: विकास के लिए विश्व भागीदारी विकसित करना।

लक्ष्यांक १२: मुक्त, नियम-आधारित, भविष्यवाणी की जा सके ऐसी तथा भेदभाव विहीन व्यापार की तथा वित्तीय व्यवस्था विकसित करना। उसमें राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय रूप से सुशासन, विकास एवं गरीब में कमी लाने की प्रतिबद्ध का समावेश हो जाता है।

लक्ष्यांक १३: सर्वाधिक गरीब देशों की विशेष जरूरतों पर ध्यान देना। उमें इन देशों के निर्यास के समक्ष उगाही व चुंगी के नियंत्रण न रखना, द्विपक्षीय देनदारी समाप्त कर देना और ऋणराहत हेतु कार्यक्रम बढ़ाना और गरीबी घटाने हेतु प्रतिबद्ध देशों को उदार हाथों से सत्तावार विकास सहायता प्रदान करने का समावेश हो जाता है।

लक्ष्यांक १४: चारों और जमीन हो ऐसे देशों तथा छोटे टापुओं वाले देशों की विशेष जरूरतों पर ध्यान देना। संयुक्त-राष्ट्र (युनाईटेड नेशंस - यू.एन.) की र२वीं साधारण सभा की व्यवस्थाओं को इसमें ध्यान में लेना। इसके उपरांत, छोटे विकासमान टापू-राज्यों के चिरंतन विकास संबंधी कार्यक्रम को भी ध्यान में रखना।

लक्ष्यांक १५: विकासमान देशों की ऋण की समस्या का सर्वग्राही रूप से सामना करना। लंबी अवधि के लिए ऋण व्यवस्था टिकाऊ बने, इसके लिए राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कदम उठाना।

लक्ष्यांक १६: विकासमान देशों के साथ सहयोग स्थापित करके युवकों हेतु उत्तम व उत्पादक काम विकसित करना और तत्संबंधी व्यूहरचना का क्रियान्वयन करना।

लक्ष्यांक १७: दवा कंपनियों के साथ सहयोग में विकासमान देशों को कम (वाजिब) भावों में दवाएं प्रदान करना।

लक्ष्यांक १८: निजी क्षेत्र के साथ सहयोग में नूतन तकनीकें व खास करके सूचना व संचार तकनीकी का लाभ विकासमान देशों को प्राप्त करवाना।

उपयोगी खर्च सर्वेक्षण के आधार पर प्राप्त किए गए थे। फिर, योजना आयोग राज्यवार गरीबी के जो सत्तावार अंदाज तैयार करता था, उन और इन अनुमानों के बीच फर्क रह जाता था। अतः ग्राम विकास मंत्रालय ने १०वीं पंचवर्षीय योजना हेतु गरीबों के आकलन के लिए पद्धति में सुधार करने के लिए एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया था। इस समूह ने फिर गरीबों के आकलन संबंधी डिजाइन व विवरणों में सुधार हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण सिफारिश की थी। भारत सरकार ने इस विशेषज्ञ समूह की सिफारिशें स्वीकार कर ली है।

इन सिफारिशों में महत्वपूर्ण मुद्दा गरीबी के आकलन संबंधी अभिगम में हुआ बदलाव था। सन् १९९२ में गरीबों के आकलन हेतु आय का अभिगम अपनाया गया था और १९९७ में खर्च का अभिगम अपनाया गया था। उपर्युक्त विशेषज्ञ समूह ने सामाजिक-आर्थिक निर्देशकों के आधार पर जो सापेक्ष वंचितता अभिव्यक्त हुई, उसे आधार मान कर 'अंक-आधारित - क्रमांकन' (स्कोर-बेस्ड रैंकिंग) पद्धति शुरू करने की सलाह दी थी। यह अभिगम श्रेणी-लक्ष्यी है और अब वह गरीबों के आकलन हेतु स्वीकार किया गया है। इस श्रेणी-लक्ष्यी अभिगम में अंक अनुसूची तैयार की गई है और उनमें १३ निर्देशक ध्यान में लिये गए हैं। उन्हें अंक दिये गए हैं। कोई अंक न दिए जा सकने वाले परिबलों में परिवारों को चार श्रेणियों- अत्यंत गरीब, गरीब, ज्यादा गरीब नहीं और गरीब नहीं में बांटा गया है।

प्रत्येक राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश गरीबी के आकलन हेतु निश्चित अंक (स्कोर) के आधार पर विविध उप समूहों में बाँट सकते हैं। यही नहीं, एक ही राज्य यह अंक एक-समान या अलग-अलग हो सकता है। दिनांक ३१.१२.२००२ तक यह सर्वेक्षण किया जाना था और ३१.३.२००३ तक में गरीबी की रेखा के नीचे जीने वाले व्यक्तियों की सूची तैयार कर देना तय कर दिया गया था। २००३-०४ में गरीबी निवारण हेतु इस सूची का उपयोग करना तय किया गया था। इस मार्गदर्शन में सर्वेक्षण हेतु बताये गए कई मुद्दे इस प्रकार हैं:

१. प्रत्येक गाँव में सभी परिवारों को शामिल करना। घर-घर घूमकर सर्वेक्षण करना।
२. प्रत्येक परिवार को ०,१,२,३,४ यों पाँच में से एक अंक हरेक निर्देशक के संदर्भ में देना। फिर प्रत्येक परिवार का प्राप्तांक (स्कोर) गिनना। गाँव में प्रत्येक परिवार की स्थिति इस तरह चढ़ते क्रम में दर्शाना।
३. राज्य और केंद्र शासित प्रदेश परिवारों को 'अति गरीब', 'गरीब', 'साधारण गरीब' और 'गरीब नहीं' - इन चार श्रेणियों में बाँटने के लिए अपने अंक निश्चित कर सकते हैं। किसी भी राज्य में जिले जिले, तहसील तहसील और गाँव-गाँव यह अंक अलग अलग तय कर सकता है। वह स्थानीय आवश्यकता के संदर्भ में तय हो सकता है।
४. सरकार के विविध कार्यक्रमों के अधीन लाभ देने हेतु गरीबी की रेखा के नीचे (बीपीएल) जीने वाले परिवारों को राज्य ढूंढ निकालना। यह काम इस तरह से करना ताकि यह आंकड़ा १९९०-२००० हेतु योजना आयोग ने गरीबी की रेखा के नीचे जीने वाले व्यक्तियों की जिस संख्या का अंदाजा लगाया था, उससे बढ़े नहीं। १९९९-२००० हेतु 'नेशनल सेम्पल सर्वे आर्गेनाईजेशन' द्वारा ग्राहक खर्च के विषय में जो सर्वेक्षण हुआ, उसके द्वारा लगाये गए गरीबी के अंदाज के साथ भी इस सूची की तुलना की जा सकती है। पर तय की गई मर्यादा से गरीबों की संख्या बढ़नी नहीं चाहिए।
५. प्रत्येक गाँव में प्रत्येक परिवार का प्राप्तांक सार्वजनिक स्थान पर टांक दिया जाना चाहिए। इससे पारदर्शिता आएगी और त्रुटियों की आशंका घटेगी। दो अथवा दो से अधिक परिवारों को एक ही अंक मिला हो तो ग्राम सभा में सर्वसम्मति से उसका हल किया जाए। फिर ग्राम सभा गरीबी की रेखा के नीचे जीने वाले परिवारों की सूची स्वीकार करे और गाँव में सार्वजनिक स्थान में दर्शाया जाए।
६. गाँव में यदि 'अति गरीब' और 'गरीब' परिवारों की संख्या बहुत कम या बहुत ज्यादा प्रतिशत में हो तो जिला व तहसील पंचायतें उसकी पुनः छानबीन करें।
७. ग्राम सभा स्वीकार कर ले और तब राज्य मंजूर करे, तदुपरांत गरीबी की रेखा के नीचे (बी.पी.एल.) जीने वाले परिवारों की सूची में कोई नया परिवर्तन नहीं करना। यदि किसी परिवार का प्राप्तांक बढ़ जाए तो उसका नाम बी.पी.एल. सूची में से काटा जा सकता है। संबंधित ग्राम सभी उसके लिए समीक्षा

तालिका नं.६ : भारत में मानव-विकास की स्थिति

१	रोजाना एक डालर से कम आय के साथ जीने वाले लोगों की आबादी की फीसदी मात्रा (१९९०-२००१)	३४.७
२	सबसे गरीब २० प्रतिशत लोगों का राष्ट्रीय आय या उपभोग में योगदान (१९९०-९१)	८.१
३	पाँच वर्ष से कम आयु व कम वजन वाले बालकों की फीसदी तादाद (१९९५-२००१)	४७.०
४	कुल आबादी में कुपोषण से पीड़ित लोगों की फीसदी तादाद	
	१९९०-९२	२५.०
	१९९८-२०००	२४.०
५	प्राथमिक शाला में पाँचवी कक्षा तक पहुँचने वाले बालकों की फीसदी संख्या	६८.०
६	१५ से २४ वर्ष की आयु के युवकों में साक्षरता की फीसदी संख्या	
	१९९०	६४.३
	२००१	७३.३
७	शिक्षण में लड़कों के सामने लड़कियों की तादाद	
	(अ) प्राथमिक शिक्षण	
	१९९०-९१	०.७१
	२०००-०१	०.७७
	(आ) माध्यमिक शिक्षण (२०००-०१)	०.६६
	(इ) उच्च शिक्षण (२०००-०१)	०.६१
८	खेती के अलावा वैतनिक रोजगार में महिलाओं का फीसदी योगदान	
	१९९०	१३.०
	२००१	१७.०
९	संसद की सीटों में महिलाओं की फीसदी संख्या	
	१९९०	५.०
	२००३	७.०
१०	प्रति हजार जीवित जन्मने वाले पाँच वर्ष से नीचे की आयु के बालकों में मृत्यु दर	
	१९९०	१२३
	२००१	९३
११	बाल मृत्यु दर (प्रति हजार जीवित जन्मों पर)	
	१९९०	८०
	२००१	६७
१२	एक वर्ष की आयु के बालकों का टीकाकरण (प्रतिशत)	
	१९९०	५६
	२००१	५६
१३	मातृत्व मृत्यु दर (एक लाख जीवित जन्मो पर-१९९५)	४४०
१४	कुशल व्यक्ति द्वारा पैदा होने वाले बालकों संख्या की फीसदी (१९९५-२००१)	४३
१५	जल के परिष्कृत स्रोत की प्राप्ति (आबादी की फीसदी तादाद)	
	ग्रामीण अंचल १९९०	६१.०
	२०००	७९.०
	शहरी अंचल १९९०	८८.०
	२०००	९५.०
१६	सफाई की परिष्कृत व्यवस्था वाली शहरी आबादी की फीसदी तादाद	
	१९९०	४४.०
	२०००	६१.०

स्रोतः मानव संसाधन प्रतिवेदनः - २००३

कर सकती है।

८. राज्य सरकारें बी.पी.एल. २००२ के आकलन से पहचाने गए सभी परिवारों को 'बी.पी.एल. कार्ड' स्मार्ट फोटो आइडेंटिटी कार्ड जारी करने के लिए अनिवार्य कदम उठाएगा। ये कार्ड विविध मंत्रालयों के कल्याणलक्ष्यी कार्यक्रमों के अधीन लाभार्थी तय करने का आधार बनेंगे। गरीबी की रेखा के तले जीने वाले परिवार ऐसे कार्ड का उपयोग 'एक्सेस कार्ड' के रूप में कर सकेंगे जो उन्हें कोई भी लाभ प्राप्त करने हेतु हकदार बनायेगा।

इन मार्गदर्शनों में जो अभिगम अपनाया गया है, उसके आधार पर गरीबों की गणना की गई। इस गणना हेतु जो मापदंड तय किए

गए, वे पहले के आय के मापदंड से लगभग भिन्न थे। वह श्रेणीलक्ष्यी मापदंड हैं। इसमें मात्र आय और व्यय की राशि ध्यान में नहीं ली गई वरन् वे परिवार किस हद तक वंचितता वाले हैं, यह ध्यान में लिया गया। इस पर ध्यान दें कि इसकी गणना किस तरह की गई है।

गरीबों के आकलन हेतु विवरण

बी.पी.एल. सेंसेक्स २००२ जोड़ने हेतु भारत सरकार के ग्राम विकास मंत्रालय द्वारा सितम्बर २००२ में जो मार्गदर्शन प्रकाशित किया गया था, उसमें परिशिष्ट के रूप में इस आकलन हेतु एक अनुसूची दी गई है। इस अनुसूची में गरीबी की रेखा के नीचे कोई परिवार जीता है या नहीं, उनकी गणना करते समय ध्यान में लाई जाने वाली बातों का समावेश होता है। ये बातें निम्नानुसार हैं: परिवार के मुखिया के नाम, घर का नाम व नंबर, गाँव का नाम, ग्राम पंचायता का नाम, तहसील का नाम, जिले का नाम, कुल स्कोर, उप श्रेणी। तब समग्र पत्र दो भागों में विभक्त किया गया है: (१) परिवार की जानकारी (२) गरीबी की पहचान व कोई उप श्रेणी। उसमें किन-किन बातों का समावेश होता है, उसे देख लें:

अ. परिवार की सूचना

परिवार संबंधी सूचना को पाँच भागों में बाँटा गया है। उसका समावेश कुल स्कोर में नहीं किया जाता। यह निम्नानुसार है:

१. शैक्षणिक दर्जा: इसमें क्रम, नाम, उम्र, स्त्री-पुरुष, परिवार के मुखिया से संबंध और शैक्षणिक दर्जा आदि विवरण दिये जाते हैं। शैक्षणिक दर्जे में निरक्षर, पांचवीं उत्तीर्ण, आठवीं उत्तीर्ण, दसवीं उत्तीर्ण, बारहवीं उत्तीर्ण और स्नातक तथा ऊपर यों छह श्रेणियों में ब्यौरा बांटा गया है।

२. परिवार की औसत आय: यहाँ चार श्रेणियाँ की गई हैं: (१) २५० रु. से कम (२) २५० रु. से ४९९ (३) ५०० रु. से १४९९ (४) १५०० रु. से २५०० (५) २५०० रु. से अधिक

३. जमीन धारण का प्रकार: इसमें चार बातें समाविष्ट हैं: मालिक, भाड़ैती, मालिक और भाड़ैती, दोनों नहीं।

४. पेय जल की सुविधा: इसमें दो प्रकार से विवरण देना था। मैदानी क्षेत्रों हेतु तथा पर्वतीय क्षेत्रों हेतु। मैदानी क्षेत्रों के लिए निम्न विवरणों का समावेश किया गया था। (१) १.६ कि.मी. तक के क्षेत्र में पानी का स्रोत नहीं। (२) १.०० से १.५९ कि.मी. तक के क्षेत्र में पेयजल का स्रोत है। (३) ०.५० से ०.९९ कि.मी. तक के क्षेत्र में पेयजल का स्रोत है। (४) आधे कि.मी. से कम दूरी तक पेयजल मिलता है (५) घर के अंदर ही जल मिलता है।

पर्वतीय क्षेत्रों हेतु विवरण इस प्रकार दिये गए हैं:
(१) १०० मीटर की ऊंचाई तक में पेयजल का स्रोत नहीं।
(२) ५० से १०० मीटर की ऊंचाई में पेयजल का स्रोत नहीं।
(३) ५० मीटर से कम ऊंचाई पर पानी मिलता है।

५. परिवार का सामाजिक समूह: यहां जातिगत विवरण दिया जाता है: इसमें चार श्रेणियां डाली गई हैं : अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य।

ब. गरीबी की पहचान और उप श्रेणी

कौन गरीब है, यह तय करने के लिए ये विवरण ध्यान में लाये गए हैं। ये विवरण परिवार की अक्षमता या कमजोरी दर्शाते हैं। गरीबी के आकलन के लिए ये विवरण पहली ही बार दिये गए हैं। इनमें कुल १३ मापदंड रखे गए हैं। प्रत्येक मापदंड में ०,१,२,३,४, पाँच विवरण दिये गए हैं। ये अंक प्रत्येक विगत का स्कोर है और कुल १३ मापदंडों में कई विवरणों का समावेश करके श्रेणी बनाई गई है, जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है:

(१) जमीन धारण का कद: इसमें पाँच मुद्दे हैं: एक हैक्टेयर से कम असिंचित जमीन, एक से दो हैक्टेयर तक की असिंचित जमीन अथवा आधे से एक हैक्टेयर की सिंचित जमीन, दो से पाँच हैक्टेयर जितनी असिंचित जमीन अथवा एक से डेढ़ हैक्टेयर सिंचित जमीन, पाँच हैक्टेयर से अधिक असिंचित जमीन अथवा ढाई हेक्टेयर से ज्यादा सिंचित जमीन।

(२) घर का प्रकार: घर-विहीन, कच्चा, आधा, पक्का, पक्का और शहरी।

(३) सामान्य कपड़ों की औसत प्राप्यता: यहाँ प्रत्येक व्यक्ति के अनुसार नग को गणना में लिया गया है: दो से कम, २ से ४, ४ से ६, ६ से १० और १० से अधिक।

(४) अन्न सुरक्षा: यहाँ भी पाँच श्रेणिया हैं। उनमें भोजन की प्राप्यता कितनी है उनके विवरण पर ध्यान दिया गया है: वर्ष के बड़े भाग के अंतराल के बीच दिन में एक भोजन भी नहीं मिलता, सामान्यतया एक भोजन रोज, पर बहुधा एक भोजन

भी नहीं मिलता, पूरे वर्ष के दौरान एक भोजन मिलता है, रोजाना दो भोजन मिले लेकिन कभी-कभी नह नहीं मिले, समग्र वर्ष के दौरान पूरा भोजन।

(५) सफाईः खुले में मलत्याग, समूह शौचालय पर पानी की अनियमित अवाप्ति, पानी की नियमित अवाप्ति के साथ समूह शौचालय, नियमित पानी अवाप्ति और नियमित सफाई कर्मचारी युक्त समूह शौचालय निजी शौचालय।

(६) उपयोग में आनेवाली वस्तुओं का स्वामित्वः इसमें टीवी, पंखे, प्रेशर कुकर जैसे रसोई के साधन, रेडियो आदि चार वस्तुएं घर में हैं या नहीं, यह ध्यान में ली जाती है। इसमें भी पाँच श्रेणीयाँ तय की गई हैः नहीं, कोई भी एक, मात्र दो, कोई भी तीन अथवा सारी चीजें। पाँचवी श्रेणी में सभी वस्तुओं और अथवा इन वस्तुओं में से किसी भी एक के स्वामित्व का समावेश किया गया है : कंप्यूटर, फोन, फ्रिज, कलर टीवी, रसोई के बिजली के सामान, खर्चीले फर्नीचर, चौपहिया वाहन, ट्रेक्टर, दुपहिया या तिपहिया वाहन, पावर टिलर, कम्बाइंड थ्रेसर या लुनाई का यंत्र।

(७) सर्वाधिक साक्षर प्रौढ़ व्यक्ति की साक्षरता का दर्जाः निरक्षर, पाँचवी कक्षा तक, दसवीं कक्षा उतीर्ण, स्नातक या व्यवसायलक्ष्यी डिप्लोमा, अनुस्नातक या व्यवसायी स्नातक।

(८) परिवार का श्रम संबंधी दर्जाः बंधुआ मजदूर, महिला या बाल मजदूर, मात्र प्रौढ़ वय की महिला मजदूर पर बाल मजदूर नहीं, मात्र प्रौढ़ वय का पुरुष मजदूर, अन्य।

(९) जीवन निर्वाह के साधनः आकस्मिक मजदूर, निर्वाह खेती, कारीगर, वेतनभोगी अन्य।

(१०) बालकों की स्थितिः इसमें ५ से १४ उम्र के किसी भी बालक की स्थिति को ध्यान में रखा गया हा। इसमें ०, १ और ५ यों तीन ही स्कोर में क्रमशः इस प्रकार श्रेणी दर्शाई गई है : शाला नहीं जाता लेकिन काम पर जाता है, शाला जाता है और काम पर भी जाता है, शाला ही जाता है, काम पर नहीं जाता।

(११) देनदारी के प्रकारः अनौपचारिक स्रोतों से रोजमर्रा के उपभोग-हेतुओं हेतु अनौपचारिक स्रोतों से उत्पादन-हेतुओं हेतु, अनौपचारिक स्रोतों से अन्य हेतुओं हेतु मात्र संस्थाओं से ही ऋण, देनदार नहीं और मिल्कियत है।

(१२) परिवार से स्थलांतरण का कारणः आकस्मिक काम, मौसमी रोजगार, जीवन निर्वाह के अन्य स्वरूप, स्थलांतरण नहीं, अन्य हेतु।

(१३) सहायता हेतु प्राथमिकताः वेतन रोजगार या लक्ष्यांकित सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, स्वरोजगार, प्रशिक्षण व कौशल में वृद्धि, घर, रुपये एक लाख से अधिक राशि की सबसिडी या कोई सहायता की जरूरत नहीं।

उपर्युक्त विवरण दर्शाता है कि अब गरीबी सिर्फ आय और व्यय के आधार पर ही मापी नहीं जा रही, पर कोई परिवार सामाजिक व आर्थिक रूप से किस स्थिति में है, इसे ध्यान में लिया जा रहा है। इस में महत्वपूर्ण मानदंड मासिक या वार्षिक आय नहीं, वरन् गरीब अन्य परिवारों की तुलना में क्या धारण करते हैं और क्या नहीं, उसके आधार पर महत्वपूर्ण मापदंड है, यह स्वीकार किया गया है। भारत में गरीबों की संख्या तय करने के मामले में पद्धति की दृष्टि से आया उल्लेखनीय परिवर्तन हैं।

अनुशंसाएँ

उपर्युक्त १३ मापदंडों के आधार पर गरीबों को पहचान लेने की प्रक्रिया के संदर्भ में मध्यप्रदेश में जो कार्यवाही हाथ में ली गई, उसकी समीक्षा करके मध्यांचल स्वयंसेवी संस्था फोरम (एम.एम.एस.एस.एफ) द्वारा गरीबों के आकलन के लिए कई महत्वपूर्ण सिफारिशें की गई है। समग्र देश में इस आकलन हेतु ये सिफारिशें महत्वपूर्ण हैं। गरीब लाभार्थियों के साथ चर्चा-परिचर्चा की गई और तमाम हितैषियों के साथ ब्यौरेवार चर्चा की गई। तदुपरांत ये अनुशंसाएँ की गई हैं:

(१) गरीबी का निर्धारण

(१) गरीबी के निर्धारण हेतु आय के बदले अब खर्च का मापदंड गिना जाना चाहिए और प्रति परिवार २५,००० रु. से कम आय को गरीबी रेखा नीचे जीने वाले लोगों हेतु आकलन में शामिल करनी चाहिए।

(२) घर की छत आरसीसी की हो अथवा गर्डर व पत्थरों के सहारे वाली हो तभी उसे पक्का मकान गिना जाए। किसी भी योजना के तले कोई घर सरकार ने पूरा करवाया हो तो इस श्रेणी में से उसे बाहर गिना जाए।

(३) जरूरत की चीजों और वैभव की चीजों के बीच स्पष्ट फर्क करना चाहिए। पंखे, टीवी, साइकिल जैसी जरूरत की वस्तुओं को गरीबी तय करने के निर्देशक रूप में न गिना जाए। वर्तमान आय तय करने हेतु वैभवी और जरूरत की वस्तुओं की ब्यौरेवार सूची तैयार करनी चाहिए। और उनका मूल्य गिना जाना चाहिए।

(४) स्थानीय स्तर पर लघुतम जमीन स्वामित्व ध्यान में लिया जाए और जमीन की कीमत के बदले जमीन का मूल्य गिनने हेतु उसकी उर्वरता को ध्यान में लिया जाना चाहिए।

(५) भूमिहीन कृषि मजदूरों, विधवाओं, विकलांगों तथा किसी भी तरह से निःसहाय व्यक्तियों का इस सूची में समावेश होना चाहिए। वैसे, विधवाओं, विकलांगों और निराधारों हेतु अलग मापदंड विकसित किया जाना चाहिए।

(२) सर्वेक्षण की प्रक्रिया

(६) सर्वेक्षण प्रशिक्षित आगणकों द्वारा तबक्कावार हाथ में लिया जाना चाहिए। यह प्रशिक्षण सरकार के सहयोग से पहले से तय स्वैच्छिक संस्थाओं के द्वारा दिया जाना चाहिए।

(७) वास्तविक सर्वेक्षण शुरू होने से पहले उसका व्यापक प्रचार होना चाहिए और उसका अनुसरण होना चाहिए।

(८) समय और जलवायु को ध्यान में रखकर सर्वेक्षण की प्रक्रिया हाथ में ली जानी चाहिए।

(९) स्थानीय कर्मचारियों का सर्वेक्षण का भाग नहीं बनाना चाहिए, ताकि व्यक्तिगत पूर्वाग्रह और पक्षपात उसमें प्रविष्ट न हो सके।

(१०) पारिवारिक आय और सर्वेक्षण कराये गये गाँव के लिए ग्रामसभा की स्वीकृति अनिवार्य है। संघर्षों तथा पक्षपात निवारण के लिए इनके सुव्याख्यायित मानदंड की जरूरत हैं।

(११) वास्तविक सर्वेक्षण हो रहा हो, उस समय पंचायत के सदस्यों को हाजिर रहना चाहिए।

(१२) स्वैच्छिक संगठनों को सर्वेक्षण में शामिल करना चाहिए।

(१३) पूरे किये गए सर्वेक्षण के दस्तावेज वरिष्ठ अधिकारियों को जाँचने चाहिए।

३. सर्वेक्षण में सामुदायिक और स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका

(१४) स्थानीय स्वशासी संस्थाओं की देखरेख में सर्वेक्षण का सम्पूर्ण काम हाथ में लिया जाना चाहिए।

(१५) पंचायतों के माध्यम से इस सर्वेक्षण का परिचय कराया जाए और उसमें समुदाय सक्रियता से भाग ले।

(१६) प्रत्येक नागरिक को इस प्रक्रिया के बारे में जानकारी मिले, इसका दायित्व स्थानीय स्वशासी संस्थाओं को होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति या परिवार सर्वेक्षण से बाकी न रह जाए, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए।

(१७) समुदाय को इस बारे में ध्यान रखना चाहिए कि वास्तविक जरूरतमंद परिवार सूची में से शेष न रह जाए। इसके लिए यदि ऐसा कोइ परिवार बाकी रह गया हो, तो पंचायत स्तर पर सूची में उसका समावेश हो, इसकी कानूनी सत्तावार व्यवस्था होनी चाहिए।

(१८) इस समग्र प्रक्रिया में गैर-सरकारी संगठनों को विविध प्रकार का दायित्व सौंपा जाना चाहिए। इसके लिए गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका सुव्याख्यायित होनी चाहिए।

(१९) पंचायतें अपने सम्पूर्ण क्षेत्र में तथा प्रत्येक पंचायत सदस्य को अपने वार्ड में इसके लिए सघन अभियान हाथ में लेना चाहिए।

(२०) सर्वेक्षण समाप्त हो जाने के बाद ग्राम सभा की बैठक में प्रत्येक नाम के बारे में चर्चा-परिचर्चा होनी चाहिए।

(२१) ग्राम सभा की बैठक में प्रति वर्ष इस सूची की समीक्षा होनी चाहिए। स्थानीय स्तर पर बदलती परिस्थिति का प्रतिबिम्ब इस सूची में पड़ता रहे, इसके लिए यह जरूरी है। कानूनी रूप से प्रदत्त सत्ता के आधार पर पारदर्शी दृष्टि से उसमें वांछित परिवर्तन होते रहें।

(२२) सर्वेक्षण के प्रचार, आगणकों के प्रशिक्षण तथा बी.पी.एल. सूची में अपना नाम डलावने हेतु लोगों को प्रोत्साहन देने के बारे में स्वैच्छिक संगठनों की सक्रिय भूमिका अदा करनी चाहिए। ग्राम सभा की बैठक में इस प्रश्न की व्यापक चर्चा हो, इसके लिए उन्हें नेतृत्व संभालना चाहिए।

(४) नियमित समीक्षा की प्रक्रिया

(२३) बी.पी.एल. सूची की समीक्षा प्रतिवर्ष निश्चित तारीख को होनी चाहिए। सूची में नाम जोड़ने, घटाने के बारे में लोगों को जानकारी दी जानी चाहिए।

(२४) सूची से संबंधित सभी शिकायतों का समाधान गाँव में ही

किया जाना चाहिए। इसमें पंचायत और ग्राम सभा को शामिल होना चाहिए।

(२५) बी.पी.एल. परिवार को पहचान-पत्र दिया जाना चाहिए। उसमें अन्य योजनाओं में से मिलने वाले लाभ स्पष्टतया दर्शाये जाने चाहिए।

(२६) पंचायत में, ग्राम-विद्यालय में तथा अन्य स्थानीय संस्थाओं में बी.पी.एल. सूची उपलब्ध करानी चाहिए, ताकि पारदर्शिता बनी रहे।

(२७) फौरन जाँच-पड़ताल हो सके और शिकायतों का तेज़ी समाधान निकले, ऐसी व्यवस्था निर्मित होनी चाहिए।

(२८) बी.पी.एल. सूची की वार्षिक समीक्षा के लिए स्वैच्छिक संगठनों का सहयोग लेना चाहिए।

(२९) स्वैच्छिक संगठन जो सेवाएँ प्रदान करें, उनके लिए समग्र प्रक्रिया में विविध स्तर पर उन्हें वांछित सहयोग प्रदान करना चाहिए।

(३०) बी.पी.एल. सूची में अयोग्य व्यक्ति अपने नाम का समावेश कराएँ तथा बी.पी.एल. परिवारों संबंधी योजनाओं का वे लाभ प्राप्त करें तो उन्हें दंडित किया जाना चाहिए।

(३१) स्वैच्छिक संगठनों को सर्वेक्षण के काम में मदद प्राप्त करने हेतु कार्यकर्ता पहचान लेने चाहिए तथा आगणकों को दिये जाने वाले सत्तावार प्रशिक्षण में उन्हें सहभागी बनाना चाहिए।

उपसंहार

पिछले ५५ वर्षों की अवधि में गरीबी के निवारण के लिए जो सरकारी व्यय हुआ है वह स्थानीय परिस्थिति में उल्लेखनीय परिवर्तन लाने में निष्फल रहा है। ऐसा कई बार देखने में आया है। इसका एक कारण यह है कि गरीबी निवारण संबंधी योजानाओं में आयोजन, क्रियान्वयन, देखरेख तथा मूल्यांकन के स्तर पर लोगों में सहमति नहीं होती। तालिका नं.६ में भारत में मानव विकास की दृष्टि जो परिस्थिति दर्शाई गई है, वह स्थिति वस्तुतः बहुत ही चिंताजनक है। आर्थिक विकास की ऊंची दर भी मानव विकास की ऊंची दर हांसिल कर ले, यह जरूरी नहीं है। इस संदर्भ में यह समझा जा सकता है कि गरीबी के निवारण का कार्य कितना कठिन है। गरीबी की रेखा के नीचे जीने वाले लोगों की सूची दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए तैयार की जा रही है, उसमें समग्र आकलन संबंधी अभिगम बदला है, यह स्वागत योग्य है, परंतु ऐसा लगता है कि गरीबी घटी है, ऐसा दिखाने की निर्णायकता उसमें विशेषरूप से हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जो निर्देश प्रकाशित किये है उनसे यह प्रकट होता है। अतः गरीबी घटाने की प्रतिबद्धता से भी विशेष गरीब कम हैं या कम हुए हैं - ऐसा बताने का सरकारी उत्साह अधिक दिखावटी नजर आता है। यद्यपि सरकारी योजनाओं में जिस तरह लोक भागीदारी का अभाव दिखाई देता है, उस तरह गरीबों के आकलन में भी वैसे ही नजर आता हैं।

वर्तमान निर्देशकों में भी पद्धति की दृष्टि से अभिगम बदले जाने के बावजूद कमियाँ दिखाई देती हैं और वे कमियाँ सुधारे जाने की जरूरत है। इस दृष्टि से 'मध्यांचल स्वयंसेवी संस्था फोरम द्वारा जो सिफारिशें गरीबों की सूची तैयार करने में प्रक्रिया में सुधार हेतु की गई है, उनका क्रियान्वयन हो, यह आवश्यक लगता है। फिर, गरीबी निवारण के कार्यक्रम ज्यादातर निष्फल रहे हैं, यह ध्यान में लाये जाने की जरूरत है। अतः अभिगम बदले या मापदंड बदले और गरीबी की नई व्याख्या की जाए, उससे परिस्थिति बदल जाने वाली नहीं है। समग्र नीति विषयक ढाँचे में गरीबी निवारण के कार्यक्रमों की इस संदर्भ के साथ समीक्षा करने की जरूरत है और इसमें जरूरी परिवर्तन करने की आवश्यकता है। कालांतर में इस कार्यक्रम की समीक्षा होती रहे, यह भी जरूरी है। ग्राम विकास मंत्रालय द्वारा प्रसारित निर्देशों में पंचायतों और ग्राम सभा को गरीबों के आकलन में शामिल करने के उल्लेख हैं। अधिकांशतः जो प्रक्रिया हाथ में ली गई है, उसमें उनकी सहभागिता नहीं के बराबर रही है। ७३वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को तीसरे स्तर की सरकार बनाया है, पर राज्य सरकारें अभी इस विचार के साथ सहमति नहीं रखती, अतः यह समस्या खड़ी होती है। बी.पी.एल. की सूचियाँ तो अधिकांशतः ग्रामसभा की सहभागिता के बिना ही तैयार हुई है। अब इन सूचियों की आने वाले समय में समीक्षा हो और उनकी प्रक्रिया में पंचायतों और ग्रामसभा को शामिल किया जाए, यह जरूरी है। ऐसा होगा तो समग्र प्रक्रिया पारदर्शी और विकेंद्रित बनेगी तथा गरीबी निवारण के कार्यक्रमों को अधिक लक्ष्यांकित बनाया जा सकेगा।

महिलाएँ और विश्व व्यापार

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और स्पर्धा बढ़ेगी और तो विकास होगा, ऐसी धारणा के साथ 'विश्व व्यापार संगठन' की स्थापना १९९५ में हुई थी। विश्व व्यापार अधिक से अधिक उदार होने लगा है। विकास प्रक्रिया की तरह ही व्यापार की प्रक्रियाएँ भी महिलाओं पर असर डालती हैं, पर उनके प्रति अधिकांशतया विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। नागपुर की 'विश्वश्वरैया नेशनल इंस्टिट्यूट आफ टैक्नोलोजी की सहायक प्राध्यापक **'सुश्री (डॉ.) ज्योति किरण शुक्ल'** के इस लेख में कई महत्वपूर्ण विश्लेषणात्मक मुद्दे उठाये गए हैं। उदारीकृत विश्व व्यापार के महिलाओं पर जो प्रभाव पड़े हैं और जो पड़ सकते हैं, उन्हें वे इंगित करती हैं।

प्रस्तावना

इस लेख का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महिलाएँ जो महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं, उनके प्रति 'विश्व व्यापार संगठन' (वर्ल्ड ट्रेड आर्गेनाईजेशन - डब्ल्यू.टी.ओ.) और बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था का ध्यान खींचना और महिलाओं तथा व्यापार की समस्याओं के बारे में अर्थपूर्ण सामाजिक संवाद का प्रारंभ करना है। व्यापार के उदारीकरण का प्रभाव महिलाओं पर क्या हुआ है, इसे प्रकाश में लाना भी इस लेख का उद्देश्य है। यह लेख बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था की रचना एवं तंत्र को महिलाओं की दृष्टि से फिर से जांचने की आवश्यकता पर बल देता है। महिलाओं के दृष्टिकोण को मुख्य प्रवाह में शामिल करने के लिए 'विश्व व्यापार संगठन' में विभावनात्मक परिवर्तनों की जरूरत है, ऐसा भी लगता है। यहाँ की पाँच महत्वपूर्ण बातों पर बल दिया गया है:

१. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महिलाएं महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, पर उन्हें कभी मान्यता नहीं मिल पाती है।
२. विश्व व्यापार, व्यापार की नीतियों, व्यापार के नियमों और व्यवस्थाओं से महिलाओं पर भारी प्रभाव पड़ता है।
३. व्यापार की नीतियाँ व नियम बनाते समय महिलाओं संबंधी विषयों का समावेश होना चाहिए और इन नीतियों को बनाने में भी महिलाओं को अधिक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।
४. बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था में महिलाओं की समस्याओं पर ज्यादा ध्यान देने हेतु 'विश्व व्यापार संगठन' के सदस्य देशों की और अधिक प्रयास करने चाहिए।
५. इस मुद्दे पर सरकारों को भी अधिक व्यापक संवाद स्थापित करने के प्रयास करने चाहिए।

महिलाएँ, व्यापार और विकास

बाजार की उदारीकरण वाली आर्थिक वृद्धि की व्यूहरचना वैश्विकीकरण के वर्तमान चरण का मुख्य प्रेरक-बल है और उसके एक महत्वपूर्ण परिबल के रूप में व्यापार-उदारीकरण उपस्थित हुआ है। इसके बावजूद व्यापार उदारीकरण विकसित और विकासमान विश्व में अलग-अलग तरह की प्रक्रिया द्वारा आकार लेता रहा है। विकसित देशों में प्रादेशिक समन्वय और 'विश्व व्यापार संगठन' के संदर्भ में उसने आकार पाया है जबकि विकासमान देशों में 'अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष' (इंटरनेशनल मोनेटरी फंड - आईएमएफ) और विश्व बैक की शर्तों और ढाँचागत व्यवस्था कार्यक्रमों के संदर्भ में अस्तित्व में आया है। 'विश्व व्यापार संगठन' तो बाद में उसमें धीरे-धीरे जुड़ी संस्था है। 'विश्व व्यापार संगठन' की व्यवस्था में सत्ता का अंतर, पारदर्शिता, सार्वभौमत्व और व्यापार से सृजित गरीबी आदि जैसे मुद्दे अंतर्निहित हैं और इस बारे में सतत चर्चाएं होती रही हैं। परन्तु व्यापार, व्यापार के उदारीकरण और विकास के महिलाओं पर होने वाले प्रभावों के बारे में शायद ही चर्चा होती हो। दोहा की मंत्री परिषद् के बाद की चर्चा में लाभ की गणनाएँ की गईं, नये दौर की चर्चा के मुद्दे पर महिलाओं पर होने वाले सामाजिक प्रभावों एवं महिलाओं से संबंधित सामाजिक प्रश्नों पर ध्यान नहीं दिया गया। 'विश्व व्यापार संगठन' का महिलाओं पर क्या सामाजिक-आर्थिक प्रभाव पड़ेगा और कौन-कौन से पहलू उन्हें छू सकते हैं, उससे संबंधित चर्चा व्यापार के लाभ की चर्चा में कहीं नहीं हुई। महिलाओं की स्थिति मानों व्यापार से जुड़ा मुद्दा है ही नहीं, यही समझ में आता है और इसी तरह व्यवहार में आता है। नवंबर २००१ की दोहा की मंत्री परिषद से पहले या पीछे सत्तावार रूप से या

स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा बातचीत की तैयारी हेतु महिला संबंधी मसौदों का विश्लेषण भी महिलाओं की समस्याओं के संदर्भ में नहीं किया जाता। हालाँकि, व्यापार का प्रभाव महिलाओं पर नहीं होता, इस धारणा को लेकर अब एतराज उठाया जा रहा है। इस संदर्भ में कई महत्वपूर्ण मुद्दे इस प्रकार उपस्थित होते हैं:

१. व्यापार का प्रभाव पुरुषों और महिलाओं पर अलग-अलग ढंग से होता है। संसाधनों का स्वामित्व किसके पास है और सामाजिक स्थिति क्या है, इस पर सब टिका रहता है।
२. स्त्री -पुरुष असमानता व्यापार संबंधी नीतियों पर प्रभाव डालती है और उनके परिणामों को बदल डालती है।
३. आर्थिक कार्य क्षमता के साथ-साथ सामाजिक कार्यक्षमता को सम्मिलित करने जैसे विश्लेषण की आवश्यकता है।

व्यापार की नीतियाँ व व्यापार, मानव विकास और स्त्री-पुरुष समानता को बढ़ाये, इस बारे में अधिक से अधिक चिंता व्याप्त है। बाजार के मापदंड के मुताबिक आय व उपभोग के आधार पर विकास को मापा जाता है, पर मानव विकास सिर्फ इसी आधार पर नहीं मापा जाता। अर्थशास्त्र के मुख्य प्रवाह में व्यापार के विकास और गरीबी की चर्चा में महिलाओं के बारे में कहीं भी चर्चा नहीं होती। स्वामित्व के प्रकार और विकास के लाभों के वितरण संबंधी सूक्ष्म स्तरीय विश्लेषण में भी पुरुषों की तरफ पक्षपात स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। फिर समग्र अर्थतंत्र के विश्लेषण में महिला संबंधी प्रश्न कहीं नहीं दिखते। सूक्ष्म स्तरीय विश्लेषण की त्रुटि वहाँ भी नजर आती है। परिणामतः समग्र अर्थतंत्र-लक्ष्यी धारणाएँ, हेतु और उनके साधन महिलाओं के साथ संबंधित न हों, ऐसा हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा व्यवस्था और व्यापार में भी बाद में ऐसा हो गया है। पर यदि समग्र अर्थतंत्र में महिलाओं को शामिल किया जाए तो समग्र अर्थतंत्र का चित्र ही अलग उपस्थित हो जाता है। उसकी तांत्रिक व्यवस्था बदल जाती है और साथ ही साथ सामाजिक-विश्लेषण की पद्धतियाँ बदल जाती है। आय, काम, उत्पादन और सत्ता के बँटवारे में स्त्री-पुरुष संबंधों के फर्क महत्वपूर्ण परिबल होते ही हैं, और वे समग्र अर्थतंत्र के व्यवहार पर असल डालते हैं। बाजार अधिकांशतः दो पक्षपातों को मजबूत बनाते हैं और सरकार अपनी नीतियों, व्यूह रचनाओं और कानूनों में उसे ही स्थान देता है। बाजार और सरकार के बीच की ऐसी अंतक्रिया फिर सतत चालू ही रहती हैं। अतः सूक्ष्मस्तरीय संतुलन का विवेचन और विश्लेषण इस अर्थ में करना जरूरी हो जाता है। व्यापार और सहयोग की नीतियाँ इस संदर्भ में समझनी आवश्यक हैं।

व्यापार की नीतियों का महिलाओं पर प्रभाव

उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए उदारीकरण के प्रभावों के विश्लेषण में निम्न बातों का समावेश होना चाहिए: (१) श्रम का बदलता प्रमाण और सहभागिता. (२) व्यवसायों के बदलते प्रकार (३) अर्ध-काम की स्थिति में सहभागिता (४) जिसका मेहनताना नहीं मिलता, ऐसे काम में समय विभाजन का प्रकार, सँभाल का अर्थतंत्र (५) वेतन के फर्क और उत्पादकता व टैक्नोलोजी के अंतर (६) सम्पति, टैक्नोलोजी और ज्ञान का स्वामित्व व अंकुश (७) सेवाओं की सार्वजनिक व्यवस्था में होने वाले परिवर्तन। (८) संस्थागत परिवर्तन (९) व्यक्तियों की सक्षमता में होने वाले परिवर्तन।

व्यापार के उदारीकरण की नीतियों से स्त्री-पुरुष असमानता बढ़ती है, घटती है या यथावत् रहती है, यह इन बातों के आधार पर तय हो सकता है। कुटुम्ब के अंदर व कुटुम्ब के बाहर जो प्रक्रियाएँ चलती हैं, वे भी यह तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। यह प्रक्रिया स्पर्धा व सहकार दोनों की होती हैं। आर्थिक अधिकर्ता के नाते महिलाओं की क्रयशक्ति का क्या होता है, वही उनकी आर्थिक सक्षमता पर असर डालता है। अतः महत्व का प्रश्न यह है कि क्या व्यापार का विकास सक्षमता पैदा करने की व्यूह रचना के रूप में क्या उपयोग में लाया जा सकता है? उसके लिए नीति-विषयक और अनुभवाश्रित संशोधन की आवश्यकता रहती है। यह महत्वपूर्ण हैं कि बहुपक्षीय समझौतों में इस संदर्भ में क्या व्यवस्थाएँ है।

महिलाओं को आर्थिक न्याय मिले, इस हेतु समर्थन उसमें है या नहीं, अथवा उस संबंधी चर्चा की कोई आवश्यकता है या नहीं, यह अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। इस संदर्भ में विश्लेषण हेतु कई मुद्दे निम्नानुसार हैं:

१. उदार व्यापार संबंधी नीतियों से खेती पर आधारित जीवन-निर्वाह पर लगभग अलग ढंग से ही असर होता है। उसका

नकारात्मक असर यह है कि प्रादेशिक असमानता बढ़ती है और स्त्री-पुरुष असमानता भी बढ़ती है। ऐसा होने का कारण यह है कि जीवन निर्वाह की परंपरागत पद्धतियों पर उदारीकृत व्यापार का विपरीत प्रभाव पड़ता है।

२. स्त्रियों पर काम का बोझ बढ़ता है या घटता है, इसका विश्लेषण होना चाहिए। बहुधा पैसा-प्रधान कार्य और कौशल-प्रधान कार्य पुरुष करते हैं और स्त्रियों के लिए शेष बच रहता है ऐसा काम जिसमें शारीरिक श्रम ज्यादा हो। यदि सरकार स्त्रियों के कल्याण से संबंधित जिम्मेदारियों से खिसक जाने की प्रवृति अपना ले तो उसका भी विपरीत असर होता है।

३. सरकार के नियंत्रण दूर करने का एक अर्थ तो यह हुआ कि कार्यकर्ताओं संबंधी अधिकारों को बलिदान चढ़ा देना। ऐसा समझाया जाता है कि श्रम बाजार में स्पर्धात्मक का लाभ लेने के लिए यह अनिवार्य है।

खर्च-लाभ का आकलन

समग्र दृष्टि से देखने पर ऐसा लगता है कि व्यापार के उदारीकरण की विरोधाभासी असर महिलाओं पर पड़ा है। यदि व्यापार के उदारीकरण का मूल्यांकन करने के लिए महिलाओं की सक्षमता को एक मापदंड के रूप में स्वीकार किया जाए तो उसके आधार पर महिलाओं को व्यापार के उदारीकरण का लाभ मिला है या नहीं, वह जाना जा सके। मानव विकास का अभिगम इस दृष्टि से अधिक उपयोगी रहेगा। अधिकांशतः अर्थतंत्र की नीतियों के विपरीत प्रभाव ही महिलाओं पर पड़े प्रतीत होते हैं। मानव अधिकार और क्षमता वृद्धि एक तरफ धकेल दिये गए हों, ऐसा दिखता है।

हालाँकि, श्रम दल की सहभागिता में महिलाओं की तादाद में वृद्धि अवश्य हुई है पर काम की परिस्थिति, आराम का समय, कार्यकर्ता के रूप में क्रय शक्ति में कमी, नौकरी के अवसरों में कमी, नौकरी की स्थिरता में कमी आदि बातें यह सिद्ध करती हैं कि महिलाओं की स्थिति खराब ही हुई है। कई महिला कार्यकर्ताओं ने कुशलता प्राप्त की है और उनकी स्थिति भी सुधरी है, यह एक हकीकत है, पर उनकी संख्या बहुत कम है। परंतु जिनके पास कम कौशल है अथवा कौशल का अभाव है उन्होंने काम गँवा दिया है और उनके जीवन निर्वाह पर विपरीत असर पड़ा है। कई बार ऐसा भी हुआ कि नौकरी से निकाले जाने में वृद्धि का लाभ महिलाओं को नहीं मिला, अर्थात् उनकी आय में वृद्धि नहीं हुई। कई बार उसके परिणाम स्वरूप स्त्रियों और पुरुषों के बीच की असमानता भी बढ़ी है। दूसरी तरफ, सरकार ने शिक्षा व स्वास्थ्य जैसी आधारभूत प्राथमिक सुविधाओं पर ध्यान देना लगभग कम कर दिया है, अतः उसका भी विपरीत प्रभाव महिलाओं पर पड़ा हैं। इस प्रकार, बाजार व राज्य दोनों द्वारा महिलाओं पर विपरीत प्रभाव डालने के उदाहरण देखने में आते हैं।

'विश्व व्यापार संगठन' और महिलाएँ

'विश्व व्यापार संगठन' में महिलाओं की जरूरतों और उनके प्रश्नों के उत्तर दिये जाते हैं। सामान्यतया व्यापार की नीतियाँ इस तरह बनाई जाती हैं और व्यापार की व्यवस्थाएँ ऐसी धारणाओं के साथ निर्मित होती हैं कि महिलाओं पर उनका विशेष प्रभाव तक नहीं पड़ता। इस धारणा की खोजबीन करने की जरूरत है। वैश्विक अर्थतंत्र में महिलाओं की सहभागिता बढ़ रही है और उससे वैश्विक व्यापार का प्रभाव महिलाओं पर पड़ता ही है, यह एक हकीकत है। अतः इन बातों के बारे में विस्तार से जाँच पड़ताल अनिवार्य हो जाती हैं।

इस संदर्भ में महिलाओं की सक्षमता संबंधी सरकार की प्रतिबद्धता महत्वपूर्ण है। सरकार को उससे कदम पीछे नहीं हटाने चाहिए। 'विश्व व्यापार संगठन' के तमाम सदस्य देशों की प्रगति और स्त्री-पुरुष समानता हेतु सरकार वचनबद्ध है। अतः उनके भी अपनी व्यापार नीतियाँ इस संदर्भ में निर्मित करनी चाहिए, ऐसा लगता है। सरकार के समस्त आर्थिक कार्यक्रमों, योजनाओं, परियोजनाओं और कार्यक्रमों में महिलाओं की प्रगति, समान्य न्याय तथा सामाजिक समानता के ध्येयों को वे भूल नहीं सकते। व्यापार संबंधी नीतियों और 'विश्व व्यापार संगठन' में होने वाले समझौते भी उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते। 'बैंकिग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन' में सामाजिक न्याय और महिलाओं की प्रगति संबंधी प्रतिबद्धता सरकारों की व्यापार नीतियाँ बनाते समय और उनका क्रियान्वयन करते समय याद रखने की जरूरत है। अतः यह आवश्यक है कि 'विश्व व्यापार संगठन' की व्यापार नीतियाँ ऐसी हों कि वे महिलाओं की क्षमता बढ़ाये, महिलाओं

शेष पृष्ठ 19 पर

महिलाएँ और बालकों के संबंध में श्रम आयोग की सिफारिशें

केन्द्र सरकार ने सन् २००२ में एक राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना की थी। इस आयोग ने अपनी अनुशंसाएँ केंद्र सरकार को सौंप दी हैं। 'विचार' के पिछले अंक में असंगठित क्षेत्र और सामाजिक सुरक्षा के बारे में आयोग द्वारा की गई अनुशंसाओं का सारांश हमने देखा था। यहाँ महिलाओं और बाल मजदूरों के बारे में श्रम आयोग द्वारा की गई सिफारिशों का सारांश **श्री हेमन्तकुमार शाह** के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रस्तावना

भारत में औद्योगिक मजदूरों की स्थिति को सुधारने के प्रयोजन से केन्द्र सरकार द्वारा अलग-अलग समय में श्रम आयोगों की नियुक्ति की जाती रही है। स्वतंत्र भारत में १९६७ और १९९१ में दो मजदूर आयोग नियुक्त किए गए थे। सन् २००२ में भारत सरकार ने भू.पू. श्रम मंत्री और विख्यात सर्वोदय नेता श्री रवीन्द्र वर्मा की अध्यक्षता में एक और श्रम आयोग की नियुक्ति की थी। इस श्रम आयोग ने भारत सरकार को अपना प्रतिवेदन सौंप दिया है। भारत सरकार ने इस आयोग की नियुक्ति करने हेतु जो प्रस्ताव प्रकट किया था, उसमें इस आयोग के दो मुख्य कार्य गिनाये गए थे: (१) संगठित क्षेत्र के मजदूरों संबंधी वर्तमान नियमों में सुग्रथित परिवर्तन सूचित करना। (२) असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के लघुतम रक्षण का भरोसा दिलाने जैसा व्यापक कानून सुझाना।

इस श्रम आयोग से पूर्ववर्ती दोनों मजदूर आयोगों ने भी असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की आर्थिक स्थिति और काम की स्थिति के बारे में छानबीन की थी और सिफारिशें की थी, परंतु भारत सरकार ने पहली ही बार इस तीसरे श्रम आयोग को असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के कल्याण और रक्षण हेतु एक व्यापक कानून सुझाने को कहा था। तदनुसार इस श्रम आयोग ने एक मसौदा अपने प्रतिवेदन में सुझाया है और साथ ही कुछ सिफारिशें भी की हैं। महिलाएँ और बाल मजदूर अधिकांशतः असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। भारत में कुल रोजगार में लगभग ९२ प्रतिशत रोजगार असंगठित क्षेत्र में निर्मित होते हैं। छोटी, फुटकर मजदूरी करने वाली या स्वरोजगार करने वाली महिलाओं व बाल-मजदूरों की उनमें बहुत बड़ी संख्या है। सरकारी अनुमान के मुताबिक भारत में लगभग एक करोड़ से अधिक बाल मजदूर हैं। महिला श्रमिकों और बाल मजदूरों के कल्याण के लिए देश में बहुत कानून हैं, पर बावजूद इनके उनकी स्थिति दयनीय है, यह एक हकीकत है। इन स्थितियों में इस तीसरे श्रम आयोग द्वारा उनकी दशा सुधारने हेतु की गई सिफारिशें महत्वपूर्ण बन जाती हैं।

सन् १९९१ में भारत सरकार ने और उसके बाद राज्य सरकारों ने भी वैश्विकरण, उदारीकरण और निजीकरण का बिगुल बजाया है। इस नयी आर्थिक नीति के परिणाम स्वरूप बाजारोन्मुखी अर्थतंत्र विकसित होने लगा और राज्य की कल्याणोन्मुखी भूमिका शून्य है, यह स्वीकार किया जाने लगा। सन् १९९५ में 'विश्व व्यापार संगठन' (वर्ल्ड ट्रेड आर्गेनाईजेशन - डब्ल्यू.टी.ओ.) की स्थापना हुई और तभी से भारत उसका सदस्य राष्ट्र बन गया। 'विश्व व्यापार संगठन' का समझौता भी भारत की और ज्यादा बाजारोन्मुखी अर्थतंत्र खड़ा करने की याद दिलाता है। ऐसी दशा में भारत में मजदूरों की स्थिति अधिक अच्छी बने, इस हेतु अब राज्य की भूमिका क्या होनी चाहिए, यह स्पष्ट होना जरूरी था। इस मजदूर आयोग ने नए माहौल में भी मजदूरों के प्रति उत्तरदायित्व से राज्य छिटक न सके, इसके लिए प्रभावी सिफारिशें की हैं। मजदूरों का कल्याण केवल बाजार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, यह इन सिफारिशों से स्पष्ट होता है। अतः विशेष रूप से महिलाओं और बाल मजदूरों के कल्याण के लिए मजदूर आयोग ने जो सिफारिशें की हैं, उन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

सिफारिशें

तीसरे श्रम आयोग ने महिलाओं व बाल मजदूरों के कल्याण के लिए जो सिफारिशें की हैं, वे बहुत व्यापक व विस्तृत हैं। उनमें से कुछेक सिफारिशों का सारांश यहाँ दिया जा रहा है:

महिलाएँ

१. हमारे कानूनों और सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्थाओं को भेदभाव जनक प्रवृत्तियों और व्यवहारों को खड़े होने से रोकना चाहिए और उन्हें दूर करना चाहिए।

२. मजदूरों के रूप में महिलाओं के योगदान का बहुत कम माना जाता है। उससे वेतन में, संसाधनों की प्राप्ति में, ढाँचागत सुविधाओं के सहयोग में असमानता खड़ी होती है। कार्यभार में भी फर्क खड़ा होता है। इन्हें दूर किया जाना चाहिए।

३. महिला कारीगरों के लिए कौशल वृद्धि को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। उसके साथ-साथ उत्पादन का बाजारोन्मुखी अभिगम विकसित करने की जरूरत है।

४. सरकार को 'अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन' (आई.एल.ओ.) के प्रस्ताव की व्यवस्थाओं के साथ सुसंगत रहते हुए घरेलू कार्य (होम बेस्ड वर्क) से संबंधित एक राष्ट्रीय नीति निर्मित करनी चाहिए।

५. हथकरघे के बुनकारों को बाजार की जरूरतों के साथ जोड़ा जाना चाहिए और उनके कौशल में वृद्धि करके उनके रोजगार के अवसर बढ़ाने चाहिए।

६. वस्त्र-उत्पाद कारखाने में बहुत महिलाएँ काम करती हैं। सामाजिक सुरक्षा हेतु उन्हें श्रम-कानूनों के रक्षण की जरूरत है। उनके कौशल में वृद्धि हों, यह भी जरूरी है ताकि उत्पादकता व कमाई बढ़े।

७. निर्माणकार्य के क्षेत्र में संलग्न महिला मजदूरों के काम की दशा सुधारी जानी चाहिए। उन्हें सामाजिक-सुरक्षा का सहारा देने की भी जरूरत है। उनकी कुशलता में वृद्धि हेतु नीतिगत कदम उठाये जाने चाहिए।

८. फेरी लगाने का रोजगार सुरक्षित रहे, विस्तृत हो, इसके लिए नगर आयोजन में और ढांचागत सुविधाओं के आयोजन में उनसे संबंधित व्यवस्थाओं का समावेश होना चाहिए। कचरा बीनने वाली महिलाओं के लिए मनोभावों में परिवर्तन आना चाहिए।

९. दाइयों व परिचारिकाओं के प्रशिक्षण हेतु ज्यादा निवेश करना जरूरी है।

१०. जिस किसी मजदूर को सीधे या परोक्ष रूप से रोजगार हेतु रखा जाए उसे न्यूनतम वेतन तो दिया ही जाए।

११. जहाँ मालिक व मजदूर के बीच स्पष्ट संबंध न हो, तब भी सभी कामों के लिए लघुतम वेतन दर तो तय होनी चाहिए। जहाँ काम की मात्रा के आधार पर भुगतान किया जाता हो, वहाँ भी वह तय होना चाहिए।

१२. न्यूनतम वेतन कानून का सख्ती से अमल हो। उसका उल्लंघन करने वाले को भारी दंड दिया जाना चाहिए। सम्पूर्ण व्यापार धंधे को लघुतम वेतन अधिनियम के अधीन लाया जाना चाहिए। फुटकर दर से काम करने वाले मजदूरों पर भी वह लागू होना चाहिए।

१३. सभी मजदूरों को पहचाना जा सके, इसके लिए उन्हें पहचान पत्र दिये जाने चाहिए। सभी मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए।

१४. २० या उससे ज्यादा मजदूर जहाँ काम करते हों, वहाँ पालनाघर होना ही चाहिए। उसमें स्त्री-पुरुष ध्यान में न लिये जाएँ।

१५. महिला मजदूरों की जरूरतों की देखभाल 'समन्वित बाल विकास सेवा' कार्यक्रम के अधीन कराई जानी चाहिए। पंचायतें व स्थानीय स्वशासन से संबंधित अन्य संस्थाएँ भी पालनाघर के लिए आर्थिक सहयोग दे सकती हैं।

१६. मजदूर राज्य बीमा योजना और मातृत्व लाभ कानून की व्यवस्थाएँ सिर्फ संगठित क्षेत्र के मजदूरों को ही शामिल करती हैं। अतः असंगठित क्षेत्र की महिला मजदूरों को भी मतृत्व लाभ दिया जाना जरूरी है। ये दोनों कानून महिलाओं के लिए काम की रक्षा का जिम्मा नहीं लेते। यह रक्षण उन्हें मिलना ही चाहिए।

१७. दो बच्चों तक मातृत्व का लाभ सम्पूर्णतया दिया जाना चाहिए और अधिक बालक उत्पन्न करने को प्रोत्साहन न मिले, इसके लिए नीति अपनाई जानी चाहिए।

१८. अध्ययन समूह ने मातृत्व लाभ के लिए एक कानूनी योजना का अनुरोध किया है। उसमें सभी महिलाओं को शामिल किया जाना चाहिए। इस योजना में सभी स्तरों की सरकारें योगदान दें, मालिक व समुदाय भी योगदान दे। मजदूरों मालिकों व स्थानीय सत्ता वालों के प्रतिनिधियों की बनी एक समिति इस योजना पर देखरेख रखे और शिकायतों का निवारण करे।

१९. मातृत्व हेतु राशि कम से कम २००० रु. होनी चाहिए।

२०. राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना शुरू की जाए। साथ ही साथ युवा विधावाए स्वावलंबी बनें, इसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम हाथ में लिये जाएँ।

बालक

१. बालकों के समग्र विकास हेतु कम खर्चीले व समुदाय आधारित अभिगम ढूंढ निकाले जाने चाहिए तथा विकसित किये जाने चाहिए। इसके लिए विशेष प्रयत्न हाथ में लेने की जरूरत है।

२. तीन वर्ष से कम आयु के बालकों का समावेश करने के लिए आई.सी.डी.एस. कार्यक्रम का नये सिरे से निर्माण करने की जरूरत है। उसमें क्रियान्वयन व आवंटन के मामले में हाल में जो कमियाँ हैं, उन्हें दूर किये जाने की जरूरत है। बाल-सँभाल कार्यकर्ताओं के वेतन, काम की स्थिति और प्रशिक्षण हेतु नीतिगत रूप से चर्चा होनी चाहिए।

३. 'समन्वित बाल विकास सेवा' (आई.सी.डी.एस.) कार्यक्रम में बाल संभाल का समावेश होना चाहिए। उसे शिक्षा नीति का भाग माना जाना चाहिए।

४. बाल संभाल कार्यकर्ता की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचाना जाना चाहिए और उसी ढंग से उसे मानदेय देना चाहिए। बाल-संभाल की सुविधाएँ पर्याप्त मात्रा में विकसित की जानी चाहिए।

५. एक स्वायत्त बाल संभाल कोष का निर्माण करना। उसमें से सभी महिला मजदूरों हेतु बाल संभाल की सुविधाएँ पूरी कर ली जाएँ। ऐसा कोष केंद्र स्तर पर नहीं, वरन प्रत्येक राज्य में स्थापित होना चाहिए।

६. विभिन्न समूहों की जरूरतों के लिए विविध प्रकार की व्यूह रचना की जरूरत पड़ती है। कोई केंद्रित रूप से नियंत्रित बाल संभाल योजना या कार्यक्रम विभिन्न समस्याओं का समाधान नहीं दे सकता।

७. बाल-मजदूरी रोकने का एकमात्र रास्ता बालक को शाला में उचित स्थान देना है। इसका प्रथम उपाय है सभी बालकों की अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा।

८. बाल मजदूरी (नियमन और प्रतिबंध) कानून-१९८५ के स्थान पर नया कानून लाना, क्योंकि यह कानून सभी व्यवसायों और प्रक्रियाओं को शामिल नहीं करता है।

पृष्ठ 16 का शेष भाग

की आर्थिक कंगाली दूर करें और सामाजिक समानता निर्मित करें।

भावी मुद्दे

उपर्युक्त चर्चा के संदर्भ में इतने मुद्दे याद रखने योग्य हैं:

१. व्यापार के प्रश्नों के संदर्भ में महिलाओं की समस्याओं के बारे में भी सोचा जाए तथा इस हेतु वांछित वातावरण निर्मित किया जाए।

२. व्यापार विषयक नीतियों में सामाजिक न्याय एक आंतरिक भाग बनना चाहिए और महिलाओं की समस्याओं का निवारण उसका घटक भाग बने।

३. प्रत्येक सदस्य देश 'विश्व व्यापार संगठन' में जो चर्चा परिचर्चा करे, उनमें महिलाओं की आर्थिक स्थिति का दृष्टिकोण प्रकट हो।

४. व्यापार की नीतियों की समीक्षा और विश्लेषण में महिलाओं के प्रति ध्यान दिया जाए। उनकी क्षमता वृद्धि के संदर्भ में विशेष प्रयत्न किये जाएँ। व्यापार के महिलाओं पर होने वाले असरों का सतत विश्लेषण होता रहे और विपरीत प्रभाव दूर करने संबंधी नीति का समावेश व्यापार नीति में ही किया जाए।

५. प्रत्येक क्षेत्र और प्रदेश में महिलाओं पर विश्व व्यापार के परिवर्तनों का क्या प्रभाव होता है, यह खोजा जाना चाहिए तथा तदनुसार व्यापार नीतियों में उचित परिवर्तन किए जाएँ।

६. 'विश्व व्यापार संगठन' में 'महिलाएँ और विश्व व्यापार' विषयक एक पृथक परिषद् निरंतर मिलती रहनी चाहिए और विविध समझौतों के प्रभावों का मूल्यांकन होना चाहिए। इस परिषद् की सिफारिशों का क्रियान्वयन हो, यह भी देखा जाता रहना चाहिए।

७. 'विश्व व्यापार संगठन' में महिलाओं एवं व्यापार के बारे में एक नीति विषयक दस्तावेज तैयार होना चाहिए।

पश्चिमी राजस्थान में अकाल का सामना

पश्चिमी राजस्थान में चालू वर्ष के दौरान अकाल का मुकाबला करने हेतु 'उन्नति' द्वारा जो प्रयास किये गए, उनके अनुभवों के आधार पर **श्री हितेन्द्र चौहान** द्वारा यह लेख तैयार किया गया है। स्थानीय सहभागी स्वैच्छिक संस्थाओं की मदद से तथा 'उन्नति' की जोधपुर शाखा के अन्य कार्यकर्ताओं की मदद से यह लेख लिखा गया है। इसमें अकाल का सामना करने संबंधी प्रयासो के उद्देश्यों, व्यूहरचना और सिद्धियों को लेकर विस्तार से छानबीन की गई है।

प्रस्तावना

राजस्थान में इस वर्ष बरसात हुई है। स्थानीय लोगों के बताये अनुसार पिछले चार वर्षो के दौरान उन्होंने जिस परिस्थिति का सामना किया है वह तो कभी भूलने जैसी है ही नहीं। सदी के सबसे बुरे अकालों में एक इस अकाल के समय से वे गुजरे हैं। कई लोगों को अपने ये दुःख के दिन भूलना अच्छा लगेगा, पर हमें इन दिनों की तरफ दृष्टिपात करके अनुभवों से कुछ सीखने का प्रयत्न करना चाहिए। इस लेख में 'उन्नति' और पश्चिमी राजस्थान की इसकी सहभागी संस्थाओं ने साथ मिलकर अकाल के मुकाबले के लिए जो प्रयास किये गए हैं उनका विवरण दिया जा रहा है।

राजस्थान में अकाल के बारे में एक कहावत प्रचलित है 'सत काल सातियस जमना, तिरसठ काबाकाचा, बाकी तिंघेसान।' इसका अर्थ है कि 'हर सौ वर्षों की अवधि में सात वर्ष भंयकर अकाल के होते हैं', २७ वर्ष अभावों के होते हैं, ३६ वर्ष ऐसे होते हैं कि जब परिस्थिति को सँभाला जा सकता है, और तीन वर्ष सामान्य होते हैं। पिछले १०० वर्षों में राजस्थान ने सबसे खराब अकाल का सामना इस वर्ष किया। इसके ३२ जिलों में पेयजल, घास-चारे, अनाज और रोजगार की जबर्दस्त कमी विद्यमान थी।

राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है और थार का रेगिस्तान राज्य के पश्चिमी भाग में स्थित है। राज्य के कुल क्षेत्र का ६० प्रतिशत क्षेत्र रेगिस्तानी है। सन् १९९१ में जनगणना के अनुसार राज्य की आबादी ५.६५ करोड़ थी। राजस्थान की ६५ प्रतिशत आबादी इसी रेगिस्तानी अंचल में रहती है। इस अंचल में बहुत कम वर्षा होती है। वर्षा के समय, तीव्रता और समूह के संदर्भ में भी भारी अंतर रहता है। ग्रामीण अर्थतंत्र के मुख्य व्यवसाय खेती और पशुपालन हैं और वे मुख्यतः वर्षा पर ही आधारित हैं। साथ के तालिका में राजस्थान में भयंकर अकाल के दौरान विपरीत प्रभाव की तीव्रता कितनी व्यापक थी, इसका विवरण दिया गया है। ये आंकड़े बताते हैं कि अकाल की समस्या कितनी भयानक व गंभीर थी।

राज्य के ३२ जिलों में से ३१ जिलों पर और ५.६५ करोड़ की आबादी में से ४.५० करोंड़ लोगों पर अकाल का गंभीर प्रभाव था। यह बात उल्लेखनीय है कि पश्चिमी राजस्थान पिछले चार वर्षों से लगातार भयानक अकाल का सामना कर रहा था।

'उन्नति' की मध्यस्थ भूमिका

पश्चिमी राजस्थान में पिछले सात वर्षों से 'उन्नति' काम कर ही है और यह बुनियादी अधिकारों, जीवन-निर्वाह और शासन से संबंधित मुद्दों के संदर्भ में स्थानीय प्रयासों को प्रोत्साहन देने का काम कर रही है। वर्तमान में हम इन प्रश्नों के बारे में सभ्य समाज के नेताओं को प्रोत्साहन देने हेतु पंचायतों, समुदाय-आधारित संगठनों और स्वैच्छिक संस्थाओं के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।

उद्देश्य

इस मध्यस्थता अथवा हस्तक्षेप के कुल उद्देश्य दो प्रकार के रहे हैं: अकाल का मुकाबला करने के लिए नागरिक समाज की संस्थाओं की क्षमता बढ़ाना और समाज के सर्वाधिक दुर्बल वर्गों को राहत प्रदान करना। वैसे इस मध्यस्थता के निश्चित उद्देश्य निम्नानुसार थे:

- कमजोर परिवारों हेतु जल-संग्रह की क्षमता में वृद्धि

- गरीबों व समाज के उपेक्षित वर्गों को रोजगार प्रदान करना।
- सरकार की अन्न सुरक्षा योजनाएँ और राहत कार्य पर समुदाय आधारित देखरेख व्यवस्था निर्मित करना।
- अकाल से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में समर्थन हेतु समुदाय-आधारित प्रयास करना।
- अकाल से संबंधित प्रश्नों के बारे में स्वैच्छिक संस्थाओं, पंचायतों और नागरिक समाज के अन्य अग्रणियों की सजगता व संवेदनशीलता को बढ़ाना।

भयंकर अकाल के समय राजस्थान में विपरीत प्रभाव

वर्ष	प्रभावित जिले	प्रभावित गाँव	प्रभावित आबादी (करोड़)
१९९८-१९९९	२०	२०,०६९	२.१५
१९९९-२०००	२६	२३,४०६	२.६१
२०००-२००१	३१	३०,५८३	३.३०
२००१-२००२	१८	७,९६४	०.७०
२००२-२००३	३१	४१,०००	४.५०

टिप्पणीः राजस्थान में कुल ३२ जिले हैं।
स्रोतः राज्य सरकार के सरकारी आँकड़े।

व्यूहरचना

ऊपर लिखे अनुसार राजस्थान में विगत लगातार चार वर्षों से भयंकर अकाल था। सन् १९९९ से २००० की अवधि में अकाल-राहत कार्य द्वारा रोजगार देकर अकाल का सामना करने का हमारा उपक्रम रहा था। इस वर्ष हमें समझ में आया कि मानव संसाधनों और वित्तीय संसाधनों की मर्यादा ऐसी है कि रोजगार का सृजन भी कुछ ज्यादा मददगार नहीं बन पाता। फिर, इस प्रकार का काम हमारे नियमित के काम में अर्थात् सभ्य समाज की क्षमता-वृद्धि में मददगार नहीं होता। काफी विचार-विमर्श के अंत में इस वर्ष तय किया कि लोगों की क्षमता वृद्धि पर हमें अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ताकि वे अपने अधिकारों के बारे में सरकार के समक्ष ज़ोर देकर अपना पक्ष रख सकें और विविध स्तर पर उसे लेकर हिमायत की जा सके।

समस्याओं के विषय में समान समझ पैदा करना

अक्टूबर-२००२ में हमने अपने प्रयास आरंभ किये। उस समय हमने 'अकाल संबंधी समस्याओं के विषय में सामाजिक जुड़ाव और समर्थन' विषय पर एक राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की थी। पश्चिमी राजस्थान में काम करने वाली २० स्वैच्छिक संस्थाओं के ४५ प्रतिनिधि उसमें उपस्थित रहे थे। इस कार्यशाला में अकाल की परिस्थिति का विश्लेषण किया गया और स्थानीय स्वैच्छिक संस्थाओं की भूमिका को लेकर विशेष चर्चा की गई तथा एक सामूहिक कार्यलक्ष्यी योजना तैयार की गई। इस कार्यशाला में अकाल की परिस्थिति का विश्लेषण किया गया और स्थानीय स्वैच्छिक संस्थाओं की भूमिका को लेकर विशेष चर्चा की गई तथा एक सामूहिक कार्यलक्ष्यी योजना तैयार की गई। इस कार्यशाला में निम्न बातों पर ध्यान केंद्रित करना तय किया गयाः

(१) जल का अभाव
(२) अन्न सुरक्षा
(३) रोजगार-सृजन
(४) घास-चारा

फरवरी २००३ के दौरान 'संमर्थन की व्यूहरचना का निर्माण' विषय पर दूसरी एक कार्यशाला आयोजित की, जिसमें इन्हीं स्वैच्छिक संस्थाओं ने भाग लिया। इस कार्यशाला में विगत दो माह के दौरान अनुभवों का आदान-प्रदान किया गया। इसके अलावा, अन्न, जल, घासचारे और रोजगार - इन चार समस्याओं को लेकर समुत्पन्न जरूरतों के बारे में चर्चा की गई। प्रदेश के ५० गाँवों में एक अध्ययन करना हाथ में लिया गया और सरकार के द्वारा अन्न, जल व रोजगार के क्षेत्र में किये गए प्रयासों की परिस्थिति की सच्ची तस्वीर खोजने का प्रयास किया गया। यह अध्ययन सहभागी संगठनों द्वारा हाथ में लिया गया। सहभागियों के साथ अपनी मासिक बैठकों के दौरान भी हम समुत्पन्न समस्याओं और चुनौतियों के बारे में चर्चा करते रहे और समान व्यूहरचना विकसित करते रहे।

अत्यंत कमजोर परिवारों तक पहुँचना

मुख्य बस्ती के आसपास जो बिखरे-फैले घर होते हैं, उनको स्थानीय भाषा में 'ढाणी' कह कर पुकारा जाता है। वे काफी दूर भी होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अकाल राहत की कार्यवाही उनको

दलितों को राहत कार्य में रोजगार मिला

'दलित अधिकार अभियान' की ग्राम स्तरीय समिति का गठन करते समय आठ माह पूर्व गाँव के दलितों को उनकी संगठित शक्ति का पता तक न था। साई गाँव जोधपुर जिले की शेरगढ़ तहसील में है। राज्य सरकार ने शेरगढ़ तहसील को सर्वाधिक प्रभावित तहसील में सम्मिलित किया था। इस गाँव में कुल ५०० परिवारों को राहत कार्य में रोजी नहीं मिली थी।

जातिगत भेदभाव ही इसमें कारणभूत था। दलित समिति के सदस्यों ने तब इस मुद्दे पर चर्चा की और उन्होंने कुछ प्रयास करना तय किया। इस समिति के सदस्य और समुदाय के अन्य सदस्य सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के समक्ष गये और इस संदर्भ में एक अर्जी देकर अनुरोध किया। मजिस्ट्रेट ने कुछ करने का भरोसा दिया, पर १० दिनों तक कुछ नहीं हुआ। बाद में दलित स्त्री-पुरुष फिर से उनसे मिलने गए और उनके कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन करने लगे। तब मजिस्ट्रेट ने ३० व्यक्तियों के राहत काम की मंजूरी दी।

'दलित अधिकार समिति' की तहसील समिति ने तब इस उपलब्धि की चर्चा की। बैठक के दौरान चर्चा चली कि ऐसी ही परिस्थिति हिम्मतपुरा गाँव में भी है। वहाँ भी तब दलित समिति के सदस्य सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास गए। उच्च जाति के स्थानीय प्रधान के लिए यह बात आश्चर्यजनक थी। दलित वहाँ किस तरह जा सकते हैं, यह उनके दिमाग में घुस ही नहीं रहा था क्योंकि वे तो उसके ऑफिस के सामने आने की हिम्मत तक नहीं करते थे। उन्होंने इस बात का पता लगाया और उन्हें 'दलित अधिकार अभियान' के बारे में जानकारी मिली। वे वह सहन नहीं कर सके। उन्होंने दलितों को पाठ पढ़ाने का निश्चय कर लिया। उन्होंने हिम्मतपुरा गाँव का पानी का सार्वजनिक जोड़ काटने का आदेश दिया। वैसे यह याद रखने की जरूरत है कि यह जोड़ गैर कानूनी था। पर गाँव में ऐसे गैर-कानूनी जोड़ तो २० थे। पर शेष पानी के १९ जोड़ सवर्णों के इलाकों में थे। पर मात्र इसी एक जोड़ को काट देने का आदेश दिया गया था।

दिनांक २२.५.२००३ को पानी का जोड़ काटने के लिए जो लोग आए, उनके समक्ष दलित महिलाओं ने विरोध किया और उन्हें जोड़ नहीं काटने दिया। वे तीन दिनों बाद फिर से आए और फिर से महिलाओं ने विरोध किया। अगले चार दिनों बाद वे पुलिस को साथ लेकर आए। उन्होंने दलितों को धमकियाँ दी, पर दलित हार मानने को तैयार न थे। पुलिस भी उन महिलाओं के सामने कुछ न कर सकी। अगले दिन दलित समिति के सदस्य सब-डिविजनल मजस्ट्रेट के पास गए और पानी का जोड़ न काटने के लिए अर्जी दी। उन्होंने भी उनको धमकाया और जेल में डाल देने की धमकी दी। उस समय सभी उपस्थित दलितों ने जो भी नतीजा हो, सहन करने की, पर अन्याय को हर्गिज न सहने की तैयारी बताई। अंततः मजिस्ट्रेट ने हार मानी और पानी का जोड़ न काटना स्वीकार किया।

स्पर्श तक नहीं कर पाती। राज्य सरकार की राहत कार्यवाही ज्यादातर राजस्व-ग्रामों की सीमाओं तक मर्यादित रहती है। दूर-दराज के घरों तक वह नहीं पहुँचती। पर वास्तव में, जो घर इस तरह दूर-दूर होते हैं, उन पर भी अकाल का भारी विपरीत प्रभाव पड़ता है। हमारी कार्यलक्ष्यी योजना का मुख्य हेतु राहत की कार्यवाही में इन 'ढाणी' परिवारों को जोड़ना था। हमारी तमाम प्रवृत्तियाँ इन अत्यंत दुर्बल परिवारों का उसमें समावेश करने हेतु ही है। दुर्बलता का या असक्षमता का समुदाय आधारित विश्लेषण किया गया और उसके आधार पर लाभार्थी खोजे गए। इसके लिए हमने अपने स्थानीय अनुभवों का उपयोग किया और लोगों की स्थानीय संस्थाओं को भी हमने काम में लगाया। यहाँ इस बात का उल्लेख करना बहुत जरूरी है 'उन्नति' और सहभागी संस्थाओं के विविध कार्यक्रमों द्वारा ही लोगों की इन संस्थाओं को प्रोत्साहन दिया गया हैं।

राहत कार्य का क्रियान्वयन

स्वैच्छिक संस्थाओं, पंचायतों और समुदाय आधारित संस्थाओं की ताकत इस हकीकत पर आधारित है कि वे समुदाय के बहुत समीप हैं। समुदाय की समस्याओं के बारे में ये संस्थाएँ ज्यादा सही समझ रखती हैं। 'उन्नति' और स्थानीय सहभागी संस्थाओं ने जो सहयोग साधा है, उससे दोनों की क्षमता बढ़ी है। इसी से वे दूर-दूर के

दलितों को शिकायत का फल मिला

बाड़मेर जिले में बालोतरा तहसील में शिवनगरी नामक एक गाँव हैं। वहाँ 'दलित अधिकार अभियान' पिछले तीन बरसों से काम कर रहा है। गाँव में १२० परिवार रहते हैं और उनमें से ६० परिवार दलितों के हैं। गाँव में जाटों के ३० परिवार ही हैं, पर गाँव पर उनका जबर्दस्तवर्चस्व जबर्दस्त है।

मार्च २००३ के दौरान गाँव में अकाल राहत कार्य शुरू हुआ। पर स्थानीय सामाजिक - राजनीतिक परिस्थिति की वजह से बहुत कम दलितों को रोजी मिली। आरंभ में दलितों ने गाँव में इस मुद्दे को लेकर विरोध किया, पर जाट लोग सुनने को तैयार न थे। दलित समिति ने उसका विरोध करना तय किया और उसके सदस्य सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास गये। उन्होंने दलितों के लिए अलग काम की माँग की। उस संदर्भ में जाट लोग भी सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास पहुँचे और उन्होंने उनके समक्ष दूसरा राहत-कार्य आंवटित न करने का अनुरोध किया। प्रशासन तंत्र पर दलित ऐसा प्रभाव डालें, यह जाट लोग देख ही नहीं सकते थे। क्योंकि उन्हें यह डर था कि भविष्य में उनके द्वारा दलितों का शोषण कर पाना बंद न हो जाए। सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट ने उस समय किसी को कोई उत्तर नहीं दिया। गाँव में राहत कार्य हेतु हाजरी पत्रक में बहुत सारे दलितों का समावेश था, पर वास्तव में जाट लोग ही राहत का काम करते थे और पैसा भी वही लेते थे।

दलितों ने तब जिला कलेक्टर से सम्पर्क साधा और कलेक्टर ने जाँच का आदेश दिया। जाँच में अव्यवस्था पकड़ में आ गई और दलितों का अलग हाजरी पत्रक रखने की शुरूआत हुई। अकाल राहत काम १२० दिन चला और दलितों को उसमें रोजी मिली।

भीतरी अंचलों के घरों तक पहुँच सकते हैं और उन तक राहत की कार्यवाही ले जाते हैं। स्वैच्छिक संस्थाएँ और समुदाय-आधारित संगठन अपनी क्षमता बढ़ती है तो अकाल के सामने की तैयारी को ध्यान में रख कर अपनी विकासपरक प्रवृत्तियाँ शुरू कर सकते हैं।

स्वैच्छिक संस्थाओं और समुदाय आधारित संस्थाओं ने इस अंचल में लोगों की संस्थाओं की एक श्रृंखला खड़ी कर दी है। समुदाय में नेतृत्व पैदा करने के लिए इन्हों ने यह अभिगम अपनाया है। लोगों की ये स्थानीय स्तर की संस्थाएँ राहत कार्य पर देखरेख रखती हैं और अधिक पारदर्शिता उत्पन्न करने पर ध्यान देती हैं। उनसे सम्पति का सामुदायिक स्वामित्व खड़ा होता है। यह मिल्कियत अकाल राहत के कामों द्वारा ही निर्मित हुई है, अतः समुदाय स्वयं ही उसे निभाये और उसका संचालन करें, तो उसके अवसर बढ़ जाते हैं। पंचायतों के संग सक्रिय सहयोग में राहत कार्य हाथ में लिया गया। परियोजनाओं का अमल करने के लिए पंचायतों को प्रेरणा दी गई। अकाल का सामना करने संबंधी प्रवृत्तियों अकाल-राहत के कामों के साथ ही हाथ में ली गई और जहाँ-जहाँ कमियाँ थीं, वे दूर करने के प्रयास किये गए। इस प्रयास में पंचायतों को विशेष रूप से शामिल किया गया, ताकि पारदर्शिता उत्पन्न हो।

प्रवृत्तियाँ

राहत कार्यवाही के साथ वंचित समूह को जोड़ना

सरकार ने अकाल संबंधी विशेष विविध योजनाएँ व कार्यक्रम शुरू किये हैं। उनमें अंत्योदय योजना, अन्नपूर्णा योजना आदि शामिल हैं। समाज के दुर्बल वर्गों के लाभार्थ ये कार्यक्रम शुरू किये गए हैं। सरकार ने ग्राम स्तर पर रोजगार सृजन हेतु अकाल राहत कार्य भी शुरू किये थे। ऐसी अधिकांश योजनाओं का क्रियान्वयन पंचायतों के मार्फत होता है। कई बार ये योजनाएँ समाज के सबसे दुर्बल वर्गों तक नहीं पहुँचती। राजकीय इच्छा-शक्ति का अभाव, सूचना का अभाव और काम न मिलना जैसे कारण इसके लिए जिम्मेदार हैं। सामान्यतया दुर्बल परिवारों की सूची पंचायत के द्वारा तैयार होती है, परंतु कई बार जरूरतमंद परिवार इस सूची में दर्ज नहीं होते। पंचायत के सदस्यों तथा ग्राम सभा को कई बार इस बात का पर्याप्त ज्ञान नहीं होता कि दुर्बल परिवार किसे माना जाए - इस वजह से ही ऐसा होता होगा। दुर्बलता व असक्षमता संबंधी विश्लेषण वे नहीं कर सकते। अंत में, सरकारी योजनाओं व कार्यक्रमों का लाभ दुर्बल परिवारों को मिले, इसके लिए प्रयास किये गए। 'उन्नति' ने जोधपुर व बाड़मेर जिलों का चयन किया, क्योंकि वहाँ 'उन्नति' ने पहले काम किया था। आरंभ में हमने समाज के अत्यंत कमजोर वर्गों को अन्न की सहायता देने का काम किया। इस संदर्भ में कमजोर परिवारों को पहचानने के लिए हरेक गाँव में बैठकें

आयोजित की गईं। दोनों जिलों में १० तहसीलों में लगभग १०,००० परिवारों की खोज की गई। उन्हें जिस तरह रोज़ी मिली, उसका विवरण देने वाले दो उदाहरण यहाँ प्रस्तुत हैं।

मजदूरों का शिक्षण

वर्ष के दौरान राजस्थान के विभिन्न भागों में सरकार ने बड़ी संख्या में राहत कार्यो की शुरूआत की थी। परंतु इन कार्यों के क्रियान्वयन में बहुत कमियाँ रहने लगी थीं। कई बार जरूरतमंद लोग गांव की आंतरिक सामाजिक-राजनीतिक परिस्थिति की वजह से रोजगार प्राप्त नहीं कर सके। फिर, ऐसे भी उदाहरण सामने आए थे कि एक व्यक्ति काम करता है, पर वेतन दूसरे को दिया जाता है। ऐसी अव्यवस्थाएँ दूर करने के लिए हमने मई माह के दौरान तय किया कि राहत कार्यस्थल पर ही काम करने वाले मजदूरों को सूचना देने का अभियान शुरू करेंगे। दिनांक ३.५.२००२ को पश्चिमी राजस्थान में ३० स्वैच्छिक संस्थाओं की एक कार्यशाला हमने आयोजित की और ऐसा अभियान शुरू करने का हमने आयोजन किया। लगभग डेढ़ माह की अवधि के दौरान लगभग १६०० मजदूरों को उनके अधिकारों के विषय में, साथ ही न्यूनतम वेतन, कार्यस्थल पर जरूरी सुविधाएँ आदि के बारे में शिक्षित किया गया। इस कार्यशाला में स्थानीय स्तर की एक कार्यलक्ष्यी योजना भी बनाई गई। स्थानीय स्तर पर समर्थन की वजह से हम दुर्बल परिवारों हेतु लगभग ३०,००० मानव दिन का रोजगार उत्पन्न कर सकें।

बाड़मेर जिले में जल सरक्षंण कार्यक्रम

सरकारी सूत्र पानी की भयकंर कमी की पहले ही भविष्यवाणी कर देते हैं। राजस्थान में लगभग सभी तालाब, कुएँ आदि सूख गये थे। उससे संकट के इस समय में भीतरी गाँवों में पानी की बहुत कमी हो गई थी। वर्तमान अकाल इस वजह से अपनी भयानकता की दृष्टि से भयंकर था। बाड़मेर जिले के बायतु, सिणधरी और बलोतरा तहसील के नौ गाँवों में दो वर्ष के पानी का संरक्षण हो सके ऐसा कार्यक्रम हाथ में लिया गया। इस कार्यक्रम के अधीन निम्न प्रकार की प्रवृत्तियाँ हाथ में ली गईः

१. टांका जैसी पानी की परंपरागत पद्धतियाँ पुनर्जीवित की गईं। उनका मरम्मत-कार्य हाथ में लिया गया। यह काम परिवार व समुदाय दोनों स्तरों पर कराया गया।
२. नये टांकों का निर्माण कार्य दोनों स्तरों पर हाथ में लिया गया।
३. घर की छत पर गिरते वर्षा-जल के संग्रह हेतु व्यवस्था की गई।
४. समुदाय के स्तर पर 'डिग्गी' जैसा जल संग्रह निर्माण कार्य हाथ में लिया गया।
५. जल-संग्रह के लिए सामुदायिक स्तर पर 'नाड़ी' जैसा निर्माण कार्य हाथ में लिया गया।

ये काम आगामी दो वर्षों की अवधि में पूरे कराये जाएंगे। दो वर्षों के बाद पानी का प्रति व्यक्ति उपयोग कितना होगा, इसे ध्यान में लेकर यह कार्यक्रम तैयार किया गया है। इस कार्यक्रम में हमने परंपरागत ज्ञान एवं आधुनिक वैज्ञानिक पद्धतियों के समन्वय का प्रयास किया है। 'नाड़ी' और 'टांका' परंपरागत पद्धतियाँ हैं। और 'डिग्गी' तथा छतवाले वर्षा के जल का संग्रह, यह नूतन पद्धति है। इन दोनों का उपयोग किया गया है।

जोधपुर जिले की शेरगढ़ तहसील में अन्न - सहायता

राजस्थान के रेगिस्तानी अंचल में शेरगढ़ तहसील है। दिनांक ५.१०.२००२ को सरकार के राहत विभाग ने जो आदेश जारी किया था, उसमें शेरगढ़ की सबसे ज्यादा प्रभावित आठ ग्राम पंचायतों में १०० कमजोर परिवार ढूढ़े गए। वे एक समय का भोजन भी नहीं पा सकते थे। उनको मई-२००३ से अगस्त २००३ तक अन्न प्रदान किया गया। उनको प्रत्येक को ४५ कि. बाजरी ३.५ कि. मूंग, दो कि. तेल और ३६० रु. नगद दिये गए। इसके अलावा बरसात के बाद उन्हें उत्तम गुणवत्ता वाले बीज भी बोने के लिए दिये गए।

उपसंहार

पश्चिमी राजस्थान में अकाल बार-बार आता है। अकाल का सामना करने के लिए लंबी अवधि की व्यूहरचना की आवश्यकता है। यह स्थानीय संस्थाओं, स्वैच्छिक संस्थाओं, पंचायतों, समुदाय व सरकार सभी को इकठ्ठे मिलकर बनानी है। अगर पहले से उचित रूप से तैयारी न हो सके तो अत्यावश्यकता की स्थिति में वह प्रभावी रूप से काम दे, ऐसी अपेक्षा भी नहीं की जा सकती। सामान्य वर्षों के दौरान समग्र वर्ष में अकाल का सामना करने की

शेष पृष्ठ 29 पर

जंगल की जमीन के अधिकारों के बारे में आदिवासियों के प्रश्न

गुजरात में विगत कई वर्षों से आदिवासियों की जंगल की जमीन के सवाल को लेकर सरकार और आदिवासियों के बीच विवाद चल रहा है। आदिवासी अपनी जमीन के अधिकारों के विषय में लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। **श्री हेमन्त कुमार शाह** द्वारा लिखे इस लेख में इस समग्र प्रश्न की विस्तृत चर्चा की गई है और आदिवासियों की माँगें प्रस्तुत की गई हैं।

प्रस्तावना

विगत आठ वर्षों से भारत की सर्वोच्च अदालत एक केस की सुनवाई कर रही है। तामिलनाडु की मुडालुर की एक सम्पत्ति के मालिक ने जन हित की एक याचिका दायर की थी, उसी का यह केस है। इस केस का ब्यौरा इस प्रकार है कि जंगल में से गैरकानूनन लकड़ी काटी जाती थी, और वह जंगल आवेदनकर्त्ता के पूर्वजों ने पनपाया था। बाद में जंगल सरकारी सम्पत्ति बन गई थी। सर्वोच्च अदालत ने देश के सभी भागों में यह आदेश लागू कर दिया और 'जंगल' का अर्थ वही लिया, जो शब्दकोश में दिया गया है। इसका स्वामित्व किसका है, इस पर उसने गौर नहीं किया। उसने तो इतनी ही बात पर ध्यान दिया कि सरकारी दस्तावेजों में जिसे 'जंगल' के रूप में जाना जाता है, उसकी रक्षा होती है या नहीं। विचित्रता तो यह है कि यह जन हित याचिका जिस अफसरशाही के सामने की गई थी, उसी अफसर शाही के हाथ में जंगल विषयक अधिकार केन्द्रित हों, ऐसा यह भाव था। इसका वनवासियों पर गहरा असर पड़ा है, जंगल की जमीन पर उनके कानूनी अधिकारों पर गंभीर प्रभाव पड़ा है और जिन वनवासियों का जीवन निर्वाह ही वन-संसाधनों पर निर्भर हैं, उन पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। इस अर्जी के साथ ही दूसरी लगभग ८०० अर्जियां सर्वोच्च न्यायालय में सम्मिलित रूप में दी गई हैं और वे अर्जियाँ उत्तरपूर्वी भारत, अंडमान निकोबार टापुओं व मध्य प्रदेश तक फैले क्षेत्रों से दी गई हैं।

सितंबर २००३ में दक्षिण गुजरात के आदिवासियों ने गांधीनगर में एक रैली आयोजित करके गुजरात सरकार का ध्यान इस ओर खींचने का प्रयास किया था। ऐसे प्रयास कई बार अलग अलग संस्थाओं के द्वारा भी किये गए, पर उनकी बात सरकार के बहरे कानों तक नहीं पहुँची। जंगल की जमीन के अधिकार संबंधी यह मुद्दा वन संरक्षण और पर्यावरण-संरक्षण के साथ हल किया जाए, यह निःसंदेह महत्वपूर्ण है। दक्षिण गुजरात के कई जिलों के आदिवासियों ने रेली निकाल कर यह साबित कर दिया कि वे अपने अधिकारों के विषय में स्वयं जागृत हैं।

विवाद के मुद्दे

जंगल और नियंत्रण की व्याख्या

अदालत इस धारणा के साथ आगे बढ़ रही है कि सारी जमीनें राज्य की मालिकी के जंगल के रूप में पंजीकृत हैं और सरकारी दस्तावेजों में जो जंगल है वे 'डीम्ड फोरेस्ट' हैं। उनमें अवर्गीकृत जंगलों का भी समावेश है। भारतीय वन अधिनियम में ऐसे किसी शब्द का उल्लेख ही नहीं है। अन्यथा भारतीय वन सर्वेक्षण के अधीन वन क्षेत्र विषयक जो अनुमान लगाये गए हैं, उनका भी समावेश हो जाता है। ये अनुमान उपग्रह की तस्वीरों द्वारा लगाये जाते हैं। इन वन क्षेत्रों का संरक्षण जरूरी है और सरकार के वन विभागों या निगमों द्वारा ही वैज्ञानिक पद्धति की योजनाओं के अनुसार उनका संचालन होना चाहिए, ऐसा माना जाता है। इस अभिगम में जो अंतर्विरोध हैं, वे स्वयमेव स्पष्ट हो जाते हैं। भारत वन सर्वेक्षण में तमाम सपाट जमीन का समावेश हो जाता है, जो पूर्व और उत्तर-पूर्व राज्यों में है और उनमें बदलती खेती होती है। वन क्षेत्र के अनुमानों में उनका समावेश हो जाता है, परिणामतः उन तमाम जमीनों को अदालती फैसले के कार्यक्षेत्र में समाया गया है।

जमीन के उपयोग का यह बिल्कुल त्रुटिपूर्ण चित्र है। कारण यह है कि ये जमीनें जंगल हैं ही नही, ये तो कृषि की जमीनें हैं। अलबत्ता यह खेती बदलती खेती हैं, स्थायी नहीं। इस सामुदायिक तब्दील

जमीन का संचालन-नियंत्रण उत्तर-पूर्व भारत में वन-विभाग को हस्तांतरित किया गया है। वह संविधान की छठी अनुसूची में, इन प्रदेशों के देशज समुदायों को जो अधिकार दिये गये हैं, उन्हीं का उल्लंघन करता है। अन्य राज्यों में बदलती खेती की जमीनों को आरक्षित जंगल घोषित किया गया है अथवा आरक्षित वन घोषित किया है। और बहुधा उसके परिणाम स्वरूप मूल किसानों को कब्जा करने वाला गिना जाता है। अन्य कई राज्यों में गाँव की गोचर जमीनों, सामुदायिक वनों, प्राकृतिक घास की जमीनों, स्वामित्व के वनों के रूप में घोषित किया गया है।

देश भर में अनेक स्थानों पर अलग-अलग समय में सरकार ने आदिवासी लोगों को पट्टे पर जमीन दी है अथवा भाड़े पर दी है। परंतु इस जमीन के दर्जे को लेकर राजस्व विभाग और वन विभाग के बीच बहुधा विवाद पैदा हो जाता है। कई बार सरकार के कई विभाग इन जमीनों के मालिक बने हैं और उसे लेकर न जमीन जोतने वाले को सूचित किया गया, न उससे बातचीत की गई। वन विभाग ऐसे बहुत लोगों को जमीन का कब्जा करने वाला मानता है। वन में रहने वाले लोगों को और ऐसी जमीन जोतने वाले को कब्जा करने वाले के रूप में समझा जाए, यह तो अन्याय ही कहा जाएगा। इसका कारण यह है कि वन संरक्षण अधिनियम-१९८० से पूर्व वे एफ.आई.आर. दर्ज नहीं करा सके।

वास्तव में वन विभाग देश का सबसे बड़ा जमींदार है। वह देश की लगभग २० प्रतिशत भूमि का मालिक है। सामान्यतया ऐसा माना जाता है कि जंगल की जमीन का बहुत सा भाग कब्जे के अधीन है और उसके अन्य उपयोग भी हो रहे हैं। परंतु सचाई यह है कि १९५१ में ४१० लाख हैक्टेयर जमीन वन भूमि थी, जिस पर वन

विभाग का नियंत्रण था, १९८८ में वह मात्रा ६७० लाख हैक्टेयर हो गई है। इस प्रकार २६० लाख हैक्टेयर अधिक जमीन पर वन विभाग का नियंत्रण हो गया है। इसी अवधि में खेती के अधीनस्थ भूमि में २४७ लाख हैक्टेयर की ही वृद्धि हुई है। यह दोनों तरह की जमीन की मात्रा भूमिहीन, लघु व सीमांत किसानों तथा पशुपालकों की जीवन निर्वाह में मदद देने वाली सामुदायिक जमीन की बदौलत बढ़ी है।

आदिवासियों के अधिकार, जीवन-निर्वाह और शासन

भारत का संविधान आदिवासियों को अपने संसाधनों पर उनके परंपरागत अधिकार की रक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा, वह उनके स्वशासन की संस्थाओं की भी रक्षा करता है। विशेष रूप से, संविधान की अनुसूची-५ और अनुसूची-६ के विस्तारों हेतु रक्षा प्रदान करता है। फिर, इन व्यवस्थाओं के क्रियान्वयन का दायित्व विशेष संवैधानिक सत्ता-मंडल को सौंपा गया है। उन पर भारत के राष्ट्रपति सीधी देखरेख रखते हैं। सन् १९८८ में जो राष्ट्रीय वन नीति बनी, उसमें 'आदिवासी और वन' विषय से एक अलग विभाग दिया गया है। उसमें बताया गया है कि 'आदिवासियों और वनों के बीच के प्राकृतिक तंतुनाल संबंध को देखते हुए वन संचालन हेतु जिम्मेदार वन विकास निगमों सहित सभी संस्थाओं का मुख्य कार्य वनों की रक्षा, पुनर्सर्जन और विकास में आदिवासियों को प्रगाढ़ता जोड़ना साथ ही वन में और वन के आसपास रहने वाले लोगों को लाभदायी रोजी प्रदान करना है।' अधिकारों और राहत विषयक विभाग में आदिवासियों के अधिकारों की सम्पूर्ण रक्षा पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। भारत सरकार ने जैव-वैविध्य विषयक अंतर्राष्ट्रीय प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किये हैं और उसके अधीन भी आदिवासी समुदाय के अधिकारों व देशज ज्ञान का संरक्षण करना आवश्यक है।

सर्वोच्च अदालत ने यह समझकर कि वन अलग अस्तित्व रखते है, वन विषयक अपनी दृष्टि में से इन तमाम बातों को दूर कर दिया है। ७३ वें संविधान संशोधन ने एक तरफ विकेन्द्रीकरण का मार्ग खोला है तो दूसरी तरफ सर्वोच्च अदालत का फैसला देश को व आदिवासियों को बिल्कुल उल्टी दिशा में ले जाता है। १९९६ में आदिवासी क्षेत्रों के लिए पंचायत व्यवस्था के बारे में जो कानून बनाया गया, यह इसी बारे में हैं। वह ग्राम सभा को सामुदायिक

संसाधनों का संचालन करने का अधिकार परंपराओं और रिवाजों के साथ देता है, तो अदालत के आदेश कितने वाजिब हैं?

गुजरात में आदिवासी और जंगल

गुजरात की, भौगोलिक दृष्टि से देखें तो अधिकांश आबादी राज्य के पूर्व भाग में अवस्थित है। उत्तर में बनासकांठा जिले से लेकर दक्षिण में डांग जिले तक यह विस्तृत है। यह समग्र पूर्वी भाग आदिवासी पट्टे के रूप में पहचाना जाता है। यह अधिकांशतः पहाड़ी और जंगली भूमि से घिरा है। इस पूर्व भाग में ११ जिले और ३३ तहसीलें हैं, जिनमें बनासकांठा, साबरकांठा, पंचमहाल, दाहोद, वडोदरा, भरूच, नर्मदा, सूरत, नवसारी, वलसाड, और डांग मुख्य है। इसके अलावा जूनागढ़, कच्छ, सुरेन्द्रनगर और अन्य जिलों में भी फुटकर आदिवासी आबादी है। सूरत जिले में कुल आबादी २२,९७,९८० हैं। इसमें आदिवासी आबादी १२,२५,०८० है। यह राज्य की कुल आदिवासी आबादी की १९.८८ प्रतिशत है और जिले की कुल आबादी की ३६.०५ प्रतिशत है। सूरत जिले के कुल ११८५ बसे हुए गाँवों में से आदिवासी ११८१ गाँवों में रहते हैं। परंतु ८९९ गाँवों में आदिवासी आबादी का प्रतिशत ५१ प्रतिशत से भी अधिक है।

तालिका नं.१

भारत और गुजरात का जंगल क्षेत्र (१९९७)

भारत

क्रमांक	जंगल विषयक सूचना	हैक्टेयर(दस लाख)	प्रतिशत
१.	घनिष्ठ जंगल	३७.७४	११.४८
२.	खुला जंगल	२५.५०	७.७६
३.	छाया हुआ जंगल	०.४९	०.१५
कुल		**६३.७३**	**१९.३९**

गुजरात

क्रमांक	जंगल विषयक विवरण	व. किमी.	प्रतिशत
१.	अमानती जंगल	१२,६९७.६१	७१
२.	आरक्षित जंगल	११०५.३९	५
३.	खुला जंगल	५७३२.१४	२४
कुल		**१९५३५**	**१००**

मूलभूत प्रश्न

'आदिवासी महासभा गुजरात' द्वारा गुजरात के राज्यपाल को दिनांक १९.९.२००३ को एक आवेदन पत्र सौंपा है। इस पत्र में बताया गया है कि जंगल को 'आरक्षित और अमानती घोषित करने से पूर्व जंगल की भूमि पर रहने वालों और जंगल में खेती करने वाले आदिवासियों से उनके जंगल के अधिकारों हेतु अपनी प्रस्तुति के लिए कोई अवसर नहीं दिया गया।' ऐसे में आदिवासियों को घूषणखोर और अतिक्रमण या कब्जा करने वाले के रूप में गिना जाता है। वास्तव में आदिवासियों के कारण पर्यावरण या जंगल को कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि आदिवासियों का सम्पूर्ण सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक जीवन जंगल के आधार पर और जंगल की समतुला पर ही आधारित है और वे परस्पर पूरक बने रहे हैं। आदिवासी जंगल के क्षेत्र में अतिक्रमण करते हैं, वहाँ से उन्हें हटाया जाए, ऐसा माना जाता है। इस संदर्भ में नीचे लिखे कुछ मुद्दे उपस्थित होते हैं:

१. आदिवासियों पर वन क्षेत्र में अतिक्रमण का आरोप लगाकर उनसे जीवन जीने का अधिकार ही छीन लिया गया है।

२. १९८८ में केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय वन नीति घोषित की थी। तथा कथित अतिक्रमण हटाने का निर्णय वन नीति के भी विरोध में है। इसका कारण यह है कि यह राष्ट्रीय वन नीति आदिवासियों के जंगल पर उनके परंपरागत अधिकार को मान्यता देती है।

३. अतिक्रमण हटाने का निर्णय सर्वोच्च अदालत के एक फैसले के संदर्भ में गुजरात सरकार ने लिये हैं। वह फैसला १९९६ में महाराष्ट्र राज्य बनाम प्रदीप प्रभु केस में आया था। उस फैसले में भी महाराष्ट्र के आदिवासियों को प्रमाण प्रस्तुत करने का अवसर दिया हया था। पर ऐसा अवसर गुजरात सरकार आदिवासियों को नहीं देती।

४. अतिक्रमण दूर करने का जो निर्णय गुजरात सरकार ने लिया है, वह १९९० के केन्द्र के वन मंत्रालय के एक परिपत्र के विरोध में भी है। इस परिपत्र में तो स्पष्टतया बताया गया है कि जंगल की जमीन पर अतिक्रमण के संदर्भ में मात्र कागजों के सबूत ही ध्यान में नहीं लेने और आदिवासियों को अन्य प्रकार के प्रमाण प्रस्तुत करने के अवसर देने चाहिए। पर गुजरात सरकार यह अवसर नहीं देती।

तालिका नं.२

गुजरात में आदिवासी आबादी वाले जिले (१९९१)

क्रमांक	जिले का नाम	कुल आबादी	आदिवासी आबादी	प्रतिशत
१.	बनासकांठा	२१,६२,५७८	१,४९,४०६	६.९१
२.	साबरकांठा	१७,६१,०८६	३,२४,१९९	१८.४१
३.	पंचमहाल, दाहोद	२९,५६,४५६	१३,९५,०५०	४७.१९
४.	वडोदरा	३०,८९,६१०	८,२१,६९७	२६.६०
५.	भरूच, नर्मदा	१५,४६,१४५	७,०३,९५६	४५.५३
६.	सूरत	३३,९७,९००	१२,२५,०८६	३६.०५
७.	वलसाड, नवसारी	२१,७३,६७२	११,८१,४०४	५४.३५
८.	डांग	१,४४,०९१	१,३५,३८६	९३.९६
कुल	**११ जिले**	**१,७२,३१,५३८**	**५९,३६,१८४**	

तालिका नं.३

सूरत जिले का जंगल विषयक विवरण (१९९१)

क्रमांक	तहसील का नाम	जंगल जमीन(हैक्टेयर)	तहसील के कुल गाँव	कुल परिवार
१.	उमरपाड़ा, मांगरोल	२८,१४२	१५२	३८,११९
२.	मांडवी	१९,२२३	१४८	३१,३३०
३.	व्यारा	२२,२७५	१५०	३६,३११
४.	सोनगढ़	५१,७२२	१७७	२८,१९८
५.	उच्छल	१७,७६५	६८	१३,१३६
६.	निझर	४९	८७	१७,१३९
कुल	**६**	**१,३९,१७६**	**७८२**	**१,६४,२३३**

आदिवासियों की माँगें

गुजरात के राज्यपाल को सौंपे गए आवेदन पत्र में 'आदिवासी महासभा गुजरात' द्वारा जो माँगें प्रस्तुत की गई हैं, वे निम्नानुसार हैं:

१. आई.जी.एफ. का दिनांक ३.५.२००२ का परिपत्र वापिस लेना और जुलाई २००२ की केन्द्रीय समिति की अनुशंसाओं का क्रियान्वयन न करना।

२. जंगल की संभाल करने वाले आदिवासी जंगल पर कब्जा या अतिक्रमण करते हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अतः उनके लिए इस शब्द का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। यह शब्द आदिवासियों के लिए अपमानजनक है।

३. १९८० से पहले जंगल की जमीन जोतने वाले आदिवासियों को स्थायी रूप से जमीन देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने १०.१०.२००२ को एक प्रस्ताव जारी किया था। उसके आधार पर गाँव में एक समिति गठित की जाए। उस समिति में राजस्व अधिकारी, वन विभाग के अधिकारी के अलावा ग्राम सरपंच, उप सरपंच, पुलिस पटेल के अतिरिक्त सामाजिक व स्वैच्छिक संस्थाओं के कार्यकर्ता हैं। यह समिति मात्र

कागजों को ही प्रमाण न माने वरन् आदिवासियों का वर्तमान कब्जे का प्रमाण व अन्य प्रकार के प्रमाण भी स्वीकार करे। उसमें गाँव के बड़े बुजुर्ग व्यक्ति की गवाही, मतदाता सूची में नाम, गाँव के पंचों के प्रमाण आदि का प्रमाण के रूप में समावेश हो। जमीन स्थायी करने का निर्णय करते समय राज्य सरकार की शंका का पूरा लाभ आदिवासियों को मिलना चाहिए।

४. सनद दी हुई आदिवासियों के कब्जे की जमीन माप कर आदिवासियों के नाम लिखकर दे देनी चाहिए।

५. सनद वाले किसानों को जमीन जोतने नहीं दी जाती। ऐसा अत्याचार बंद होना चाहिए और उनको अब तक के नुकसान का खामियाजा देना चाहिए।

६. सनद देते समय मिलने योग्य जमीन से कम जमीन दी गई है। उसकी जाँच करके वांछित न्याय देना चाहिए।

७. १९८० के बाद खेती करने वाले आदिवासियों को ९९ वर्ष के भाड़े पर जमीन जोतने दी जाए।

८. वर्षों से स्तर पर जंगल जमीन जोतने वालों की फौरन उनके नाम पर जमीन दे देनी चाहिए।

९. वांसदा, डांग, दांता, डेडियापाड़ा आदि क्षेत्रों में स्थित राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य में रहने वाले आदिवासियों को हटाने की और उनका जंगल का अधिकार रद्द करने संबंधी कार्यवाही बंद होनी चाहिए।

१०. केन्द्रीय सक्षम समिति में कोई भी आदिवासी या उनके साथ काम करने वालों का समावेश नहीं हुआ। अतः आदिवासियों को वांछित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए।

११. राष्ट्रीय वन आयोग में किसी भी आदिवासी का समावेश नहीं हुआ। यह अन्याय भी दूर होना चाहिए।

१२. जंगल में रहने वाले आदिवासियों पर होने जंगल विभाग और पुलिस विभाग के अत्याचार बंद हों। अत्याचार करने वालों की जांच करके उन्हें तत्काल दंडित किया जाए और अतिक्रमण संबंधी लगाये गये केस वापिस लिये जाए।

१३. अमानती और आरक्षित जंगल में मंडलियों और कंपनियों को पेड़ व बांस काटने की इजाजत वन विभाग देता है, उसे बंद करके उन पर प्रतिबंध लगाया जाए।

१४. वन विभाग के अधिकारियों द्वारा कोरे कागज पर हस्ताक्षर कराकर ठगने की जो कार्यवाही चल रही है, वह बंद कराई जाए।

१५. वन विभाग के वन-ग्रामों में घर प्रोप्रर्टी रजिस्टर में नहीं चढ़ाते, जमीन उत्तराधिकार में नहीं दी जाती, इससे प्राकृतिक विपत्ति में नुकसान होता है तो खमियाजा नहीं मिलता। अतः प्रोपर्टी रजिस्टर में मकान नाम चढ़ें, जमीन की मीरास हो और विकासपरक काम राजस्व गाँवों को मिले।

१६. समता केस में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आधार पर गुजरात की पूर्वी पट्टी में आये वन क्षेत्रों में स्थापित कंपनियों, खनिजों के अधिकार पत्र और जमीन के पट्टे फिर से नये बनाना बंद होना चाहिए।

१७. संविधान की पाँचवीं अनुसूची में समाविष्ट न किये गए आदिवासी इलाकों - यथा, बनासकांठा जिले में अमीरगढ़ और दांता तहसील, वडोदरा जिले में पावी - जेतपुर आदि का उसमें समावेश हो।

१८. जंगल की जमीन को जोतने वाले जिन आदिवासी किसानों को वन से दूर कर दिया गया है, उनका पुनर्स्थापन हो और जब तक न हो तब तक उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था हो।

पृष्ठ 24 का शेष भाग

तैयारी होती रहनी चाहिए। इन वर्षों का अनुभव स्पष्ट करता है कि विविध सरकारी कार्यक्रमों के साथ दुर्बल परिवारों को जोड़ने का हमारा काम बहुत प्रभावी रहा है और समुदाय ने उससे बहुत अधिक सीखा है। यदि समुदाय की शक्ति को वांछित रूप से उपयोग में लिया जाएगा तो अभाव की घड़ी में काम का आयोजन वांछित रूप से हो सकेगा। हमारा अनुभव यह दर्शाता है कि विविध समस्याओं के बारे में स्थानीय स्तर पर हिमायत करने से लोग एक होकर काम करते हैं। उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता है, जिससे वे अपने बुनियादी अधिकारों को लेकर जोरदार ढंग से अपनी बात कह सकते हैं।

गतिविधियां

दिल्ली में 'परिवर्तन' का अभियान

'परिवर्तन' दिल्ली में सूचना अधिकार के क्षेत्र में काम करने वाला एक संगठन है। वह अभी सार्वजनिक वितरण व्यवस्था (पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम - पी.डी.एस.) के तहत चलने वाली राशनिंग की दुकानों के मालिकों तथा दिल्ली प्रशासन तंत्र के साथ संघर्ष में उतरा है। इसका कारण यह है कि वह इस व्यवस्थआ में पारदर्शिता चहता है। पूर्वी दिल्ली में सुंदरनगरी में संस्था ने सूचनाएं प्राप्त करना तय किया। राशनिंग की दुकानों का सामाजिक अन्वेषण करना और दुकानकारों के भ्रष्ट तरीकों को सामने लाने का उसका इरादा था।

एक प्रयोग के रूप में एक निराश्रित विधवा त्रिवेणी ने एक अर्जी दी। उसको राशनिंग की दुकान से अनाज देने से लगातार इनकार किया जाता था। दस्तावेज यह बताते थे कि त्रिवेणी को उसके हिस्से का सारा अनाज दिया जाता था। कैश मेमो पर उसके अंगूठे की छाप भी थी। ऐसे अन्य कई मामले खोज निकालने के लिए 'परिवर्तन' द्वारा उस दुकान के सभी दस्तावेज देखना तय किया गया। त्रिवेणी तो शिक्षित थी और उन्होंने कभी अंगूठा निशानी नहीं लगाई। इससे अनाज व नागरिक आपूर्ति विभाग चौंक गया। संस्थान ने उसे यों कहा कि राशनिंग की दुकानों के दस्तावेज सार्वजनिक नहीं किये जा सकते, क्योंकि वे निजी दस्तावेज हैं।

इस प्रकार सूचना देने से इनकार करना सर्वोच्च न्यायालय के अक्टूबर २००२ के आदेश के विरुद्ध था। 'परिवर्तन' रुका नहीं, और उसने विभाग के साथ लंबी लडाई लड़ी। दुकानदारों ने उस समय संस्था के कार्यकर्त्ताओं को बहुत धमकियाँ भी दी थी। बहुत लंबे समय के बाद प्रशासन तंत्र वह सूचना देने हेतु सहमत हुआ। ये दस्तावेज अभी तो देखे जा रहे थे, तभी १७ दुकानदारों ने दिल्ली उच्च न्यायालय में जाकर 'परिवर्तन' की इस कार्यवाही के विरुद्ध था वरन् दिल्ली के नागरिकों के खिलाफ न था। अतः दिल्ली के लोगों ने इस अभियान से जुड़ने का निश्चय किया। दिनांक २९.८.२००३ को लगभग ३०० दिल्लीवासी सूचना अधिकार अधिनियम के अनुसार अर्जियाँ देने के लिए मिले। इसी दिन 'परिवर्तन', अरुणा राय और संदीप पांडे समेत लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल दिल्ली के अन्न कमिश्नर से मिला। उसने यों कहा कि वे कानूनी सलाह के मुताबिक काम करेंगे। इसका अर्थ ही यह था कि वे पारदर्शिता लाना नहीं चाहते थे। परंतु 'परिवर्तन' ने वह अभियान चालू ही रखा।

इसी दौरान अन्न व नागरिक आपूर्ति विभाग के सहायक कमिश्नर कार्यालय में दस्तावेज मांगने गए लोगों की मदद करने वाले 'परिवर्तन' के दो कार्यकर्ता पाणिनी आनंद और राजीव कुमार पर स्थानीय राशनिंग दुकानों के मालिकों या उनके साथियों द्वारा हमला भी किया गया। उस बारे में पुलिस में शिकायत की गई है। इसके बाद नंदनगरी पुलिस स्टेशन पर राशनिंग की दुकानों के मालिकों का समूह जमा हो गया और उन्होंने 'परिवर्तन' के कार्यकर्ताओं को गंभीर परिणामों की धमकी दी थी। पर ऐसी घटनाओं के बावजूद सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को सुधारने का अभियान आगे बढ़ ही रहा है। इस व्यवस्था में चलने वाले भ्रष्टाचार से उकताकर दिल्ली के अनेक निवासियों ने दिल्ली सूचना अधिकार दस्तावेज के अनुसार राशनिंग की दुकानों के दस्तावेजों की माँग की है। इसके लिए लगभग १५० लोगों ने अर्जियां दी हैं। 'परिवर्तन' व अन्य संस्थाओं के द्वारा इस बारे में एक बैठक दिनांक २९.८.२००३ को आयोजित की गई थी, जिसमें ३०० के आसपास निवासी उपस्थित रहे थे।

अन्न सुरक्षा के बारे में सर्वोच्च न्यायालय का आदेश

पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पी.यू.सी.एस.) द्वारा भारत सरकार व अन्यों के समक्ष जन हित याचिका दी गई थी, जिसके संदर्भ में सर्वोच्च अदालत ने दिनांक २.५.२००३ को एक आदेश जारी किया था। इस आदेश की सारभूत बातें इस प्रकार है:

(१) रोजगार का सर्जन

सर्वोच्च अदालत ने भारत सरकार को ऐसा आदेश दिया कि मई-जून व जुलाई माह में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.) हेतु वह अनाज व रोकड़ रकम दोनों के लिए दुगने संसाधन आवंटित करे। राज्य सरकार इस आवंटन को उठाये और यह जिसके लिए है, उस तक पहुँचे, इसका ध्यान रखे।

(२) अन्य बातें

- अकाल विषयक नियमावली का मई, जून, जुलाई माह के दौरान अनिवार्य रूप से पालन किया जाए। यदि अन्य योजनाओं में अधिक अच्छे कदम उठाये गए हों त उन्हीं का क्रियान्वयन करना।
- भारत सरकार अभिजित सेन समिति प्रतिवेदन के बारे में दिनांक ८.८.२००३ तक अपना प्रतिभाव स्पष्ट करे।
- भारत सरकार ऐसी पद्धति विकसित करे ताकि सभी गरीब परिवार बी.पी.एल. में आ जाए।
- राशनिंग की दुकानों के विक्रेताओं के अधिकार-पत्र रद्द करना। यदि वे (१) समय पर दुकान न खोलें (२) ज्यादा भाव लें (३) राशन कार्ड अपने पास पड़ा रखें (४) बी.पी.एल. कार्ड में गलत सूचना दर्ज करें (५) काला बाजारी करें।
- बी.पी.एल. परिवारों को हफ्ते में अनाज खरीदने की इजाजत दी जाए।
- इन लोगों को अंत्योदय कार्ड दिया जाएँ :
  (१) वृद्धों, विकलांगों, असहाय स्त्री-पुरुष, सगर्भा व स्तनपान कराने वाली असहाय स्त्रियाँ।
  (२) विधवाओं व रोजमरी का सहारा न पाने वाली एकाकी महिलाएं।
  (३) साठ या इससे बड़ी उम्र के रोजमर्रा का सहारा न पाने वाले व जीवन निर्वाह हेतु विश्वसनीय साधन न रखने वाले वृद्ध।
  (४) प्रौढ़ वय के विकलांगों व जीवन निर्वाह हेतु विश्वसनीय साधन न रखने वाले परिवार।
  (५) वृद्धत्व, शारीरिक या मानसिक शक्ति का अभाव, सामाजिक रिवाजों, विकलांग की देखभाल हेतु जरूरत या अन्य कारणों से कोई प्रौढ़ वय का व्यक्ति घर से बाहर रोजी कमाने न जा सके, ऐसे परिवार।
- जिन राज्यों ने मध्याहन भोजन योजना के बारे में आदेश का पालन नहीं किया, उन्हें तत्काल मध्याह्न भोजन सबसे गरीब जिलों को प्राथमिकता देकर कम-से-कम २५ प्रतिशत जिलों में शुरू करना।

इस दौरान सर्वोच्च अदालत को उसके द्वारा नियुक्त कमिश्नरों श्री एन.सी. सक्सेना और श्री एस.आर. शंकरन् द्वारा चौथा प्रतिवेदन सौंपा गया है। पूर्व में तीसरा प्रतिवेदन अप्रैल २००३ में सौंपा गया था। यह प्रतिवेदन बताता है कि अन्न के भंडार भरे हुए हैं फिर भी भुखमरी की समस्या जों की त्यों है। भुखमरी में कमी ही नहीं आती। विगत १५ महीनों से प्रतिमाह भारत सरकार १० लाख टन अनाज की निकासी करती है पर देश में भुखमरी मौजूद है। यह हकीकत भी सर्वोच्च अदालत के कमिश्नरों ने उसमें दर्ज की है। इस प्रतिवेदन में अन्न के अधिकार, काम के अधिकार व सूचना के अधिकार - इन तीनों के बीच संबंध होने की बात पर बल दिया गया है। इस प्रतिवेदन में कई सुझाव भी दिये गए हैं। इसमें सार्वजनिक रोजगार के कार्यक्रमों में मनुष्य को हटाकर जो यंत्र काम में आते हैं, उनके उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। इसके अलावा, देश के कम से कम १०० पिछड़े जिलों में रोजगार गारंटी योजना शुरू करने की मांग की गई है। अन्न का अधिकार प्राप्त करने के लिए सूचना का अधिकार होना जरूरी है। पारदर्शिता व जवाबदारी के अभाव में अन्न सुरक्षा की सभी योजनाएँ बदतर साबित हुई है। इस प्रतिवेदन में ऐसी मांग की गई है कि अन्न व रोजगार योजनाओं से संबंधित सभी दस्तावेज सार्वजनिक दस्तावेज गिने जाए, ऐसा अदालत सरकार को बल देते हुए बताये। किसी भी व्यक्ति को वे किसी भी समय प्राप्त हों और सार्वजनिक जाँच के लिए वे खुले हैं, यह जरूरी है - ऐसा भी अदालत प्रस्तावित करे, ऐसी मांग की गई है। इसके अलावा, देश भर में मध्याह्न भोजन योजना द्रुत गति से विस्तृत हो, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत रखी जाए और शहरी गरीबों की समस्या दूर करने के लिए साहस भरे कदम उठाये जाएं, ऐसी माँग भी की गई है।

जोधपुर में तृतीय दलित सम्मेलन

पश्चिमी राजस्थान की क्षेत्रीय संस्थाओं के सहयोग से 'उन्नति' द्वारा संचालित 'दलित अधिकार अभियान' के अनुसार २६-२७

अगस्त २००३ के दौरान जोधपुर में तृतीय दलित सम्मेलन का आयोजन किया गया था। उसमें जोधपुर व बाड़मेर जिलों के लगभग ५५० दलित प्रतिनिधियों ने उपस्थिति दी थी। उनमें १३२ महिलाएँ थी। सात दलित संदर्भ केन्द्र के संचालन में सहयोगी संस्थाओं द्वारा यह सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस संस्थाओं में मरुधर गंगा सोसायटी, माणकलाव, ग्राम विकास सेवा संस्थान, पीपाड़, जन भीम शिक्षण संस्थान शेरगढ़, वसुंधरा सेवा समिति, कल्याणपुर, आइडिया संस्थान बालोतरा, प्रयास संस्थान सिणधरी तथा लोक कल्याण संस्थान बायतु सम्मिलित हैं। सात दलित महिलाओं ने दीप प्रज्वलित करके सम्मेलन का उद्घाटन किया था। सम्मेलन की प्रारंभिक बैठक में दलित अधिकार अभियान की भूमिका स्पष्ट की गई और वर्तमान परिस्थिति की सूचना प्रदान की गई। हाल में १५० गाँवों में स्थानीय समितियाँ और ७ तहसीलों में समितियां गठित की गई हैं जो समग्र अभियान का संचालन करती हैं। इन समितियों के प्रयासों से लगभग २०० सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक भेदभाव दूर हुआ है। दलितों पर अत्याचार के १५० मामलों पर कार्यवाही की गई है। लगभग ३००० बीघा कब्जे में दाबी गई जमीन छुड़ाने के प्रयास किए गए और उनमें से १०० बीघा जमीन छुड़वाई गई। इस बारे में विस्तृत समाचार इस सम्मेलन में दिया गया।

चित्तौड़गढ़ के 'प्रयास संस्थान' के श्री खेमराज चौधरी ने अपने अनुभव भी सुनाये। एक खास बैठक में दलितों की जमीनों पर कब्जे के बारे में विशेष चर्चा हुई। जयपुर के 'दलित मानव अधिकार केन्द्र' के वकील श्री पी.एल. मीमरोठ ने इसी बारे में सम्मेलन में मार्गदर्शन दिया था। इस बारे में संघर्ष हेतु सर्व सम्मति थी। राजस्थान की 'अकाल संघर्ष समिति' की सुश्री कविता श्रीवास्तव ने भी दलित महिलाओं के विकास हेतु मार्गदर्शन दिया था। देश में बलात्कार की घटनाओं में राजस्थान सबसे आगे है, यह बताते हुए उन्होंने सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाने पर बल दिया था। इस सम्मेलन में महिला एवं बाल विकास परियोजना के निदेशक भी उपस्थित थे।

सम्मेलन के दूसरे दिन दलितों की जमीन पर कब्जा, दलित महिलाओं, की स्थिति, सरकारी योजनाओं, का संकलन, आंतरिक सामाजिक भेदभाव, दलित वर्ग की पहचान, सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव अत्याचार व हिमायत जैसे विषयों पर विचार विमर्श हुआ और कार्यलक्ष्यी योजना बनाई गई। इसके क्रियान्वयन हेतु ३३ सदस्यों की एक समिति का गठन हुआ और उसमें १३ महिलाओं को भी समाविष्ट किया गया।

जयपुर में काम के अधिकार के बारे में धरना

राजस्थान की लगभग ७० स्वैच्छिक संस्थाओं के नेटवर्क 'अकाल संघर्ष समिति' के तत्वावधान में १६.८.२००३ को काम के अधिकार और संबंधित मांगों के लिए जयपुर में धरना आयोजित किया गया था। उसकी मुख्य मांग रोजगार गारंटी अधिनियम बनाने की थी। वैसे इस धरने में निम्न मुद्दे भी उठाये गये थे:

(१) जंगल की जमीन में से आदिवासियों को अलग करना।
(२) आगामी लागणी के समय तक राहत कार्य जारी रखना।
(३) सूचना के अधिकार अधिनियम में संशोधन करना।
(४) मतदाता सूचियों में संशोधन करना तथा न्यायोचित व पारदर्शी कार्यवाही।
(५) लोकलांत्रिक विरोध के लिए घटते अवसर।

जाने-माने सामाजिक कार्यकर्ता श्री अन्ना हजारे उसी समय मुंबई में आमरण अनशन पर बैठे थे। उनके समर्थन में धरने के पहले दिन कई लोगों ने उपवास किया। राजस्थान के मुख्य मंत्री ने राज्य में रोजगार गारंटी योजना क्रियान्वित करने की अपनी उद्यतता व्यक्त की, बशर्ते केन्द्र सरकार मुफ्त अनाज प्रदान करे। राजस्थान विधानसभा की बैठक २१ अगस्त को शुरू हुई, तब तक धरना चालू रहा था।

प्रौढ़ शिक्षण के बारे में पाँचवी अंतर्राष्ट्रीय परिषद

बैंकाक में दिनांक ६ से ११ सितंबर २००३ के दौरान प्रौढ़ शिक्षण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय परिषद आयोजित की गई। वस्तुतः वह मध्य-सत्रीय समीक्षा बैठक थी। सन् १९९७ में हैम्बर्ग में पहली परिषद इसी विषय पर आयोजित की गई थी, उसके बाद प्रौढ़ शिक्षण हेतु समर्थन वास्तव में घटा है और वह एक चिंता का विषय बन गया है। 'सबके लिए शिक्षा' विषय पर २००० में डकार में जो सम्मेलन हुआ था। उसमें भी प्रौढ़ शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई गई थी। परंतु उसमें जो लक्ष्य तय किये गए थे, वे पूरे नहीं हुए, यह एक हकीकत है। बैंकाक परिषद में भी प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाले संस्था के ४४ सदस्य देशों में से सिर्फ १६ देशों के प्रतिनिधि ही हाजिर थे।

बैंकाक के सम्मेलन में सभी सभ्य देशों, द्विपक्षी संस्थाओं, बहुपक्षीय संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों तथा नागरिक समाज के संगठनों तथा सामाजिक आंदोलन का निम्न बातों के संबंध में आह्वान किया गया है:

(१) प्रौढ़ शिक्षा का समावेश सभी विकास लक्ष्यी प्रयासों में और सामाजिक कार्यक्रमों में करना।

(२) प्रौढ़ शिक्षा आर्थिक समृद्धि, सामाजिक संवादिता और एकता निर्मित करने में महत्वपूर्ण योगदान देती है, इसे समझना।

(३) प्रौढ़ शिक्षा के लिए समुदाय में चलने वाले प्रयासों को प्रोत्साहन देना। इसे गरीबी निवारण के आरंभ बिंदु के रूप में ग्रहण करना।

(४) शिक्षण के कार्यक्रमों में प्रौढ़ शिक्षण विषयक नीतियों, व्यूह रचनाओं और कार्यक्रमों का समावेश करना। विकलांगों, आदिवासियों, स्थलांतरितों, निर्वासितों, अल्पसंख्यकों, कैदियों, आदि जैसे समूहों को उसमें महत्व देना।

(५) स्थानीय राष्ट्रीय, प्रादेशिक व वैश्विक स्तर की शैक्षणिक योजनाओं में तथा सरकारी कार्य सूचियों में, साथ ही कार्यक्रमों में प्रौढ़ शिक्षा का समावेश करना।

(६) प्रौढ़ शिक्षा के लिए शिक्षा के कुल बजट में कम से कम ६ प्रतिशत राशि आवंटित करना।

(७) प्रौढ़ शिक्षण को निवेश समझना, सामाजिक उपयोग की वस्तु नहीं और बाजार की वस्तु तो हर्गिज नहीं।

दलितों पर अत्याचारों के विरोध में आमरण अनशन

राजस्थान में जोधपुर जिले की शेरगढ़ तहसील के सियादां गांव के सुखराम भील की पत्नी चैनदेवी भील। परिवार में दो बेटे और दो बेटियां हैं। पति दमे का रोगी है। परिवार का सारा बोझा चैन देवी उठाती हैं। वे साग बेचकर रोजी कमाती है। ८ जुलाई २००३ को प्रातः काल ५ बजे होंगे कि जब चैन देवी अपने घर में सो रही थी, तब उसी गांव के शंकरदान चारण द्वारा उनकी लाज लूटने की कोशिश की गई। चैन देवी ने शोर मचाया तो बाहर लेटा उसका पति अंदर आया। उसके देखते ही शंकरदान चारण भाग गया। शंकरदान इस गांव का आवारा आदमी है। पूरे गांव को उसने हैरान-परेशान कर रखा है। चैन देवी से वह मुफ्त साग सब्जी ले जाता और जब पैसे मांगे जाते तो वह गालियाँ देता था। वह सवर्ण था, जिससे गांव के लोग उसके सामने कुछ बोलते घबराते थे। चैन देवी उसी दिन पुलिस थाने गई और उसने शिकायत दर्ज कराई। बाद में उसने फौरन 'दलित अधिकार अभियान' कार्यालय में सम्पर्क किया। चैन देवी 'दलित अधिकार अभियान' के 'दलित

महिला मंच' के साथ दो वर्षों से जुड़ी हुई थी। मंच की कार्यकर्ता और 'जय भीम शिक्षण संस्थान' की मंत्री श्रीमती प्रेमलता राठौड़ ने पूरी कहानी सुनने के बाद मंच की महिलाओं की बैठक आयोजित की। उसमें यह तय किया गया कि आरोपी को सजा और चैन देवी को न्याय मिलना चाहिए। नौ दिनों बाद भी पुलिस की तरफ से कोई कार्यवाही जब नहीं की गई तो श्रीमती प्रेमलता राठौड़ ने महिलाओं को साथ ले जाकर एस.पी. के समक्ष दिनांक १५.७.२००३ को शिकायत की और न्याय मांगा। इसके बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हुई। उसके बाद 'दलित अधिकार अभियान' की तरफ से डीवाई.एस.पी. और डी.आई.जी. के समक्ष शिकायत करके फिर से न्याय की मांग की गई। तब भी कोई कार्यवाही नहीं हुई।

'दलित अधिकार अभियान' की मासिक बैठक दिनांक १८.८.२००३ को हुई। उसमें सभी सदस्यों ने ऐसा निर्णय लिया कि दिनांक २०.८.२००३ तक यदि आरोपी की धर-पकड़ नहीं होगी तो दिनांक २१.८.२००३ से जोधपुर के कलेक्टर कार्यालय के सामने आमरण अनशन शुरू किया जाएगा। समिति के सदस्यों ने इस बारे में शेरगढ़ पुलिस थाने को भी सूचना दे दी। आरोपी खुले आम गांव में घूमता था और बार-बार धमकी देता था कि चैन देवी केस वापिस ले ले।

बाद में २१.८.२००३ से चैन देवी, श्रीमती प्रेमलता राठौड़ और 'दलित अधिकार अभियान' के कार्यकर्ता श्री फूसाराम के अलावा लगभग १५ स्त्री-पुरुषों ने कलेक्टर कार्यालय के सामने आमरण उपवास शुरू किया। यह समाचार जिला प्रशासन तंत्र को मिलते ही हलचल मंच गई। तब कलेक्टर के आदेश से एक समिति गठित की गई। उसको तीन दिनों में रिपोर्ट देनी थी। आरोपी को पकड़ने की कार्यवाही तेज की गई, पर आरोपी पकड़ा नहीं गया। पुलिस ने दबाव डालने के लिए आरोपी के पिता व भाई की धर-पकड़ की। इस दौरान पुलिस अधिकारियों और कलेक्टर ने उपवासियों के साथ मंत्रणा चालू रखी। उन्होंने यह स्वीकार किया कि पुलिस की ढील के कारण प्रभावित व्यक्ति को न्याय नहीं मिलता और आरोपी को किसी ढंग भी से पकड़ा जाएगा। उन्होंने बराबर ऐसा आश्वासन और वचन दिया ताकि आमरण अनशन समाप्त हो जाए। २३.८.२००३ को आमरण अनशन समाप्त किया गया। परंतु आज भी प्रभावित महिला और 'दलित अधिकार अभियान' के कार्यकर्ताओं को बराबर धमकियां दी जा रही हैं। अभी तक अपराधी की धर-पकड़ नहीं हो पाई।

'मानव राहत ट्रस्ट' द्वारा जल-संचय अभियान

भावनगर जिले की भावनगर तहसील में भावनगर शहर से २५ कि.मी. दूर नवा रतनपर गांव में 'मानव राहत ट्रस्ट' काम करता है। गांव में लगभग २००० लोगों की आबादी है। गांव में ज्यादा तर कोली लोगों की बस्ती है। सागर तट के पास स्थित होने से इस गांव की जमीन क्षारीय है। लोग वर्षा ऋतु में ही खेती करते हैं। बाजरी, जवार, मूँगफली, तिल आदि की सिर्फ चौमासे में ही बुवाई करते हैं। किसी भी बाड़ी खेती में मीठे पानी के कुएं नहीं। पीने का पानी बाहर से लाया जाता था। नवा रतनपर गांव से सागर तट पर कृष्णपरा स्थित है। छिटपुट बाड़िया में लोगों ने आवास बना रखा है। सागर तट पर मछुआरों के दो दल निवास रह रहे हैं।

दोनों दलों को मिलाकर लगभग २०० से २५० मछुआरों की आबादी है। उनका मुख्य व्यवसाय सागर से मछली, झींगा आदि प्राप्त करके भावनगर शहर में बेचने जाना है। जिन लोगों को पीने के पानी की सुविधा वर्षों से नहीं थी, वे लोग भागीदारी से दस-दस रुपये खर्च करके टैंकर मंगाकर पानी पीते हैं। गर्मी के दिनों में ठेठ कुड़ा से तीन कि.मी. दूरी से स्त्रियां मटकों में पानी लेकर आती है। इस तरह भारी संकट झेल कर वे पेयजल की व्यवस्था कर रहे थे। उनको बिजली के लिए भी वर्षों से सुविधाएँ नहीं थी।

शेष पृष्ठ 39 पर

संदर्भ सामग्री

भारतीय संविधान के आधार

यह पुस्तिका भारत के संविधान की मुख्य बातों को अत्यंत संक्षिप्त व सरल भाषा में प्रस्तुत करती है। प्रथम प्रकरण में शासन व्यवस्था और संविधान के बीच का सम्बंध समझाया गया है। इसमें समझाया गया है कि राजाशाही, गुलामी व लोकशाही के बीच का क्या अंतर है, यह और साथ यह भी दर्शाया गया कि ही साथ संविधान का महत्व क्या है और लोकशाही व्यवस्था का वह किस तरह आधारभूत अंग है।

आगे के चार प्रकरण इस प्रकार हैं: (१) आमुख (२) मूलभूत अधिकार (३) मूलभूत कर्तव्य (४) राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आमुख के सम्पूर्ण पाठ के साथ आमुख का महत्व देश के संविधान के लिए क्या है और देश के लिए क्या है, इसकी चर्चा की गई है। आमुख संविधान को तथा समग्र राज-प्रशासन को दिशा देने का काम करता है ऐसा उसमें बताया गया है। मूलभूत अधिकारों के विषय में प्रकरण-३ में लिखा गया है। मूलभूत अधिकारों संबंधी महत्वपूर्ण मुद्दों की चर्चा करके समानता के अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म-स्वातंत्र्य के अधिकार सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार, सम्पत्ति के अधिकार व संवैधानिक उपाय के अधिकार आदि के विवरण इसमें दिए गए हैं।

प्रकरण-४ में मूलभूत कर्तव्यों का विवरण और व्याख्या दी गई है। भारत के सभी नागरिकों के राष्ट्र के प्रति कुछ कर्तव्य भी हों, ऐसी भावना के साथ १९७६ में संविधान में मूलभूत कर्तव्य शामिल किये गए थे। अंतिम प्रकरण राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में हैं। इसमें इन सिद्धांतों को तीन भाग में विभक्त किया गया है। फिर, ये मूलभूत अधिकारों से किस तरह अलग हैं, इसकी चर्चा भी की गई है। लोक कल्याण, समान न्याय, पंचायतों, कर्मचारियों की स्थिति व उद्योग, खेती और पशुपालन, पर्यावरण समारकों तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के क्षेत्र में राज्य को क्या करना चाहिए, इसके विवरण यहाँ दिये गए हैं।

संविधान विषयक मुख्य आधारभूत मुद्दों का विवरण इस तरह इस पुस्तिका में सरल भाषा में प्रस्तुत हुआ है। लेखक: हेमन्तकुमार शाह, प्रकाशक: कामदार स्वास्थ्य सुरक्षा मंडल, ए-९, मुरली एपार्टमेंट्स, टाईम्स ऑफ इंडिया प्रेस रोड, सैटेलाइट रोड, वेजलपुर, अहमदाबाद ३८० ०५१. फोन: ६७३२१९२. सहयोग राशि: १० रु., पृष्ठ ४४.

दीठी अमे द्वारामती

ओखा मंडल को कार्यक्षेत्र के रूप में अपनाने वाले 'ग्राम्य विकास ट्रस्ट' को यह पुस्तक अर्पित की गई है। इसमें कुल ११६ कविताएँ, जो द्वारका के बारे में हैं। इसमें अत्यंत विख्यात कवियों से लेकर बिल्कुल अपरिचित कवियों की कविताओं का समावेश किया गया है। समग्र दृष्टि से देखने पर यह ग्रंथ द्वारिका क्षेत्र और द्वारिकाधीश संबंधी पद्य रूप का संदर्भ ग्रंथ बन गया है। ग्रंथ मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित है। आरंभ के पृष्ठों में द्वारिका के बारे में सम्पादक ने स्वयं विस्तार से गद्य में आलेख लिखा है। इस गद्य में पद्य की भरपूर मदद भी ली गई है। जो १११ रचनाएँ द्वितीय खंड में हैं उन्हें अवतरण के रूप में उद्धृत करके सम्पादक ने द्वारिका की एक अनोखी मुद्रा उभारने का संन्निष्ठ प्रयास किया है। ये आलेख पढ़ने पर ऐसा लगता है कि राधा, कृष्ण, गोपियाँ, रास तथा सुदर्शनधारी कृष्ण आदि सब के सब द्वारिका में सदेह-साकार उपस्थित हैं।

सम्पादक: ईश्वर परमार: प्रवीण पुस्तक भंडार, लाभ चैम्बर्स, म्युनिसिपल कार्पोरेशन के सामने, ढेबर रोड, राजकोट, प्रथम आवृत्ति २००३, मूल्य १६० रु., पृष्ठ २७२.

स्वसहाय समूह: महिला स्वायत्तता का मार्ग

ग्रामीण गरीब महिलाओं को संगठित करके उन्हें सक्षमता व स्वायत्तता की तरफ ले जाने हेतु बचत-ऋण समूह प्रभावी और व्यूहात्मक साधन है। बचत-ऋण समूहों द्वारा जो संगठन बनता है, उससे

गरीब बहनें अपनी समस्याएँ सामूहिक रूप से हल करके सक्षमता की ओर जाती हैं। ऐसे बचत-ऋण कार्यक्रम के लिए कैसी कार्य-पद्धति होनी चाहिए, उसके बारे में सोदाहरण मार्गदर्शन देने का प्रयास इस पुस्तिका में किया गया हैं। पुस्तिका की यह द्वितीय आवृत्ति है। प्रथम आवृत्ति को स्वैच्छिक संस्थाओं, बैंकों व सरकारी संस्थाओं द्वारा बहुत उत्तम अभिनंदन प्राप्त हुआ था।

इस पुस्तिका के प्रकरण इस प्रकार हैं (१) पार्श्वभूमिका (२) प्रस्तावना (३) स्वसहाय समूह का समग्र विचार (४) प्रशिक्षण (५) मंडलों का बैंकों के साथ जुड़ाव (६) स्वसहाय समूह - मार्गदर्शक प्रश्नोत्तरी (७) 'आनंदी' प्रेरित बचत-ऋण प्रवृति का अध्ययन व अनुभव (८) हिसाबी पत्रक। सम्पूर्ण पुस्तिका में लगभग २६ चित्र या रेखाचित्र दिये गए हैं और उनकी सहायता से पुस्तिका को लोक भोग्य बनाया गया है। बचत का विचार, बचत और महिला मंडल, स्त्रियों के कामों की सूची, पुरुषों के कामों की सूची, बचत मंडल कार्यक्रम का ध्येय, बचत मंडल के फायदे,बचत मंडल बनाने की पद्धति, बचत मंडल के नेता का चयन, समूह को कार्यरत रखने के लिए मीटिंग का महत्व, प्रशासन के नियम, बैंक में खाता, हिसाब, सहभागिता, आंतरिक ऋण, ऋण देते समय ध्यान में रखने की बातें, आदर्श मंडल के लक्षण, प्रशिक्षण, मंडल बैंक से ऋण कब ले सकता है इत्यादि मुद्दों की छानबीन बहुत ही सरल भाषा में इस पुस्तिका में की गई है। नाबार्ड का तथा स्वर्ण जंयती ग्राम स्वरोजगार योजना का विवरण भी इसमें दिया गया है। 'आनंदी' के अनुभवों के विवरण बताते हैं कि व्यावहारिक समस्याओं और उनके के समाधान के बारे में बताते हैं।

इस पुस्तिका में ऋण का अरजी फार्म, पास बुक का नमूना, मंडल के सदस्यों की सूचना, सामूहिक बचक का विवरण, सामूहिक ऋण का विवरण, व्यक्तिगत विवरण, बही खाता आदि के नमूने भी दिये गये हैं। नये बचत-ऋण समूह खोलने तथा वर्तमान समूह को चलाने हेतु यह पुस्तिका अत्यंत उपयोगी है।

प्रकाशकः 'आनंदी' जी-३, अक्षरदीप-ए, जलाराम-३, रॉयल पार्क के सामने, युनिवर्सिटी रोड, राजकोट ३६०००५. फोनः ०२८१-२५८६०९१। सहयोग राशिः ३० रु., पृष्ठ ५१.

फाइनेंशियल काउंसलिंग : हैंडबुक फॉर ट्रेनर्स

यह पुस्तक आर्थिक आयोजन के विविध पहलुओं के बारे में स्वरोजगार प्राप्त करने वाली महिलाओं को प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षकों हेतु तैयार की गई हैं। इसमें सात विभाग हैं। प्रत्येक विभाग में अलग-अलग प्रवृत्तियाँ किस तरह की जाएँ, इसका विवरण दिया गया है। ये विभाग इस प्रकार हैंः अर्थ और अर्थ का संचालन, आर्थिक आयोजन व महत्व, बचत, उपयोग, देनदारी, निवेश, बीमा, आर्थिक योजना का निर्माण। अंत में प्रशिक्षक के लिए कुछ लिखने हेतु अवसर प्रदान किया गया है। पूरी पुस्तक बहुत सरल अंग्रेजी में तैयार की गई हैं।

प्रत्येक विभाग (मोड्यूल) में विविध बैठकों के उद्देश्यों, विभावना चर्चा के मुद्दों व प्रवृत्तियों जैसे अलग-अलग उप विभाग किये गए हैं। प्रशिक्षक को कौन-कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, वे भी यहाँ व्यक्त की गई हैं। चित्रात्मक प्रस्तुति व सज्जा की दृष्टि से आकर्षक यह पुस्तक स्वरोजगार प्राप्त करने वाली महिलाओं को प्रशिक्षण देने की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। प्रत्येक मोड्यूल में परिशिष्ट दिये गए हैं। वे समग्र मोड्यूल को विस्तार से समझाने में बहुत उपयोगी हैं। अर्थ का इतिहास, अर्थ के उपयोग, आय व व्यय के मापदंडों, देनदारी व निवेश के मापदंड़ों, ब्याज, आयोजन, बचत के उदाहरणों, लोगों की उपयोग की आदतों, कर्ज लेने के खर्च, सम्पत्ति व उत्तरदायित्व, कर्ज व साहूकार, नियमित चुकारे के महत्व, कर्ज के मुद्दों की चर्चा इस पुस्तक में मुद्देवार सरल ढंग से की गई हैं।

प्रकाशकः श्री महिला सेवा सहकारी बैंक लि., १०९, साकार-२, टाउन हॉल के पास, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद ३८० ००६. फोनः ०७९-६५८१६५२, ६५८१५५७, फैक्सः ०७९-६५७६०७४.

सुरक्षा का छत्र

बालक आग से रक्षा कैसे करें और फायर ब्रिगेड सेवा किस तरह प्राप्त करें, यह सिखाने के उद्देश्य से यह लघु पुस्तिका प्रकाशित की गई है। इसमें २३ चित्रों के साथ कॉमिक्स की शैली में प्रस्तुति की गई हैं। इसमें अंत में एक चित्र पहेली दी गई है। चित्र देखकर बालक को घर में आग लग जाने पर सात, खतरे खोज निकालने

हैं। यह चित्र बालकों को यह समझाता है कि लापरवाही दुर्घटना को निमंत्रण देती है। इस चित्र के बाद पाँच प्रश्न दिये गए हैं। उनके उत्तरों में सही शब्द भरने हैं। पुस्तिका के अंत में एक पन्ना छोड़ा गया है, जिस पर बालक कोई बात नोट करना चाहें तो कर सकते हैं।

किन-किन असावधानियों से आग लग सकती है, आग लगने पर ध्यान देने योग्य बातें, फायर ब्रिगेड को कब बुलाना आदि बातों की जानकारी बहुत सरल भाषा में दी गई है। इसके साथ ही आग से बचाव के लिए १०१ नंबर का फोन लगाने हेतु सूचित करने वाला एक कार्ड भी दिया गया है। इसके अलावा 'सुरक्षित दिन बितायें', शीर्षक से एक पोस्टर भी तैयार किया गया है। इस पोस्टर में जीवन को आग से सुरक्षित बनाने संबंधी अग्नि-शमन के पाँच कौशलों की चित्रात्मक प्रस्तुति की गई है। पाँच प्रतिरोधात्मक तरीके बताये गये हैं और आग के समक्ष सावधानी रखने के पाँच उपाय भी बताये गए है। लोक-शिक्षण के लिए भी यह पोस्टर उपयोगी हैं। अधिकांशतः सुरक्षा भारतीय जीवन की चिंता का विषय नहीं रहा है। ऐसे में बालकों व बड़ों दोनों के लिए यह उपयोगी साहित्य तैयार हुआ है। प्रकाशकः अहमदाबाद फायर ब्रिगेड ऐसोसियेशन और 'उन्नति'।

चैलेंजेज इन मेजरिंग पॉवर्टी लेवल्स एंड टार्गेटिंग प्रोग्राम्स

यह पुस्तक 'गरीबी की रेखा से नीचे जीने वाले लोगों' सम्बन्धी एक राष्ट्रीय विमर्श सभा के प्रतिवेदन के आधार पर तैयार की गई है। यह विमर्श सभा ७.१.२००३ को भोपाल में आयोजित हुई थी और यह 'कासा' (चर्च्स ओक्जिलियरी फॉर सोशियल एक्शन) तथा 'मध्यांचल स्वयं सेवी संस्था फोरम' द्वारा आयोजित की गई थी। पुस्तक के प्रकरण इस प्रकार हैं: (१) गरीबी - वैश्विक और प्रादेशिक विहंगावलोकन, (२) गरीबी - भारत की परिस्थिति (३) मध्य प्रदेश में शासन और 'कासा' की भूमिका (४) गरीबी के स्तर का मापनः मध्यप्रदेश का अध्ययन। (५) गरीबी का स्तर मापने में और कार्यक्रमों को लक्ष्यांकित बनाने की चुनौतियाँ। अंत में परिशिष्ट के रूप में राष्ट्रीय विमर्श सभा का प्रतिवेदन दिया गया है।

यह पुस्तक दुनिया में और भारत में गरीबी की स्थिति का स्पष्ट चित्र देती है और गरीबी को मापने के लिए जिन-जिन बातों पर ध्यान देना चाहिए, उनके बारे में ध्यान आकृष्ट करती है। भारत सरकार ने २००२-२००७ की दसवीं पंचवर्षीय योजना के क्रियान्वयन हेतु जो गणना हाथ में ली थी, उसके संदर्भ में यह विमर्श-सभा आयोजित की गई थी। अतः गरीबी के आकलन हेतु जो मापदंड अपनाये गये, उनके संदर्भ में और उनके और उनके लिए जो कार्य पद्धति अपनाई गई, उस संदर्भ में इस विमर्श सभा में चर्चा हुई थी और उसमें उठाये गए विविध मुद्दों का समावेश इस पुस्तक में किया गया हैं। गरीबी के आकलन के साथ संबंधित मुद्दों को समझने कि लिए यह पुस्तक बहुत उपयोगी है।

संपादक व प्रकाशकः श्री जंयतकुमार, 'कासा', रचना बिल्डिंग, चौथी मंजिल, २ राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली ११० ००८. फोनः २५७३०६१११, २५७३०६१२, २५७६१५७१२, २५७६७२३१, फैक्सः २७५५२५०२, २५७३३७६३, पृष्ठ ४७

एजुकेशन फोर आलः इज द वर्ल्ड ऑन ट्रेक?

सभी बालकों, युवकों और प्रौढ़ों को बुनियादी शिक्षा प्रदान करने का ध्येय सभी देशों ने स्वीकार किया है। सन् १९९० में सब के लिए शिक्षा के बारे में जो विश्व सम्मेलन हुआ था उसका यह महत्वपूर्ण परिणाम था और इस समग्र दशक के दौरान अनेक सम्मेलनों में इस ध्येय को हासिल करने हेतु प्रतिबद्धता व्यक्त करने की चाबी थी। इसके बाद अप्रैल २००० में डकार में 'वर्ल्ड एज्युकेशन फोरम' की बैठक हुई और उसमें यह उपलब्धि हासिल करने के छह महत्वपूर्ण लक्ष्यांक तय किये गए। इस बैठक में जो तय किया गया उससे यह निश्चित हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति ने उसमें जो प्रतिबद्धता व्यक्त की है उसका पालन करने का दायित्व हरेक का होगा। विभिन्न राष्ट्रों की सरकारों ने ये लक्ष्य प्राप्त करने के लिए समर्पित तैयारी बताई थी। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अर्थ का अभाव नहीं होगा, ऐसी प्रतिबद्धता भी दर्शाई थी। इस प्रतिबद्धता का पालन कितना हुआ है और क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं, यह प्रतिवेदन उससे संबंधित है।

यूनेस्को के एक स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय दल ने यह प्रतिवेदन तैयार किया है। डकार की बैठक में जो लक्ष्य और लक्ष्यांक तय किये

थे, उसमें हुई प्रगति पर यह प्रतिवेदन प्रकाश डालता है। इसमें प्रभावी नीतियों एवं व्यूह रचनाओं का विस्तार से उल्लेख किया गया है, जो ध्येयों व लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु बनाई गई थीं। प्रतिवेदन में सहयोग देने के लिए और कार्य करने के लिए जो चुनौती है, उसके बारे में भी दुनिया के देशों को चेतावनी दी गई है। इसमें ताजी से ताजी सूचना का उपयोग करके यह बताया गया है कि किन सुधारों की जरूरत हैं।

प्रतिवेदन के प्रकरण इस प्रकार हैं: (१) 'सब के लिए शिक्षा' अर्थात् विकास (२) लक्ष्यांकों की ओर प्रगति (३) 'सभी के लिए शिक्षा' हेतु आयोजन (४) 'सब के लिए शिक्षा' तक पहुँचने हेतु उन संसाधनों की जरूरतें (५) अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता का पालन (६) अवसर व संभावनाएँ । पूरे प्रतिवेदन में ४४ आलेख, ४३ तालिकाएं और ४१ बॉक्स आइटम देकर प्रतिवेदन को सूचना व समझ की दृष्टि से समृद्ध बनाया गया है। यह समग्र प्रतिवेदन ३१० पृष्ठों का है अतः २१ पन्नों में अलग अलग रीति से एक सारांश भी प्रकाशित किया गया है। प्राप्ति स्थान : यूनेस्को, ७ प्लेस द फोंटेना, ७५३५२ पेरिस ०७ एस पी, फ्रांस।

फोर्ड फाउंडेशन : १९५२ - २००२

पिछले ५० वर्षों से भारत में विकास और सामाजिक परिवर्तन में अनेक क्षेत्रो में फोर्ड फाउंडेशन का योगदान रहा है। इन क्षेत्रों में शासन, शहरी आयोजन, क्षेत्रीय सहयोग, मानव अधिकार, खेती, आजीविका, प्राकृतिक संसाधनों का संचालन, शिक्षा, कला एवं संस्कृति आदि का समावेश है। इसका योगदान आर्थिक सहयोग तक ही सीमित नहीं रहा। इसका महत्व तो इसमें है कि नये-नये विचारों का परिचय हो, नए-नए मार्गों में विकास हो और नई संस्थाओं का समृद्ध स्वरूप सामने आए।

उपर्युक्त शीर्षक के अधीन फोर्ड फाउंडेशन ने ११ पुस्तिकायें हिन्दी में प्रकाशित की हैं और यह काम पिछले ५० वर्षों में उसने किस तरह किया है, इसका विवरण दिया गया है। इस श्रंखला की प्रथम पुस्तिका का नाम है: 'विचारों, नयी नीतियों और संस्थानों में लगी पूंजी : सारांश'। इस पुस्तिका में फोर्ड फाउंडेशन की भारत में विगत ५० वर्षों की किया-कलापों का सारांश दिया गया है। इसमें बताया गया है कि फोर्ड फाउंडेशन के चार प्रकार के उद्देश्य हैं: (१) लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करना (२) गरीबी और अन्याय कम करना (३) अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन देना (४) लोगों की उपलब्धियों को प्रकाश में लाना।

इस श्रेणी में जो दस पुस्तकें तैयार की गई हैं उनके शीर्षक इस प्रकार हैं: (१) कला और संस्कृतिः सांस्कृतिक विरासत से लोकगाथा तक (२) मानव संसाधन विकास और क्षमता - निर्माण (३) प्रजनन स्वास्थ्य, अधिकार और यौनिकता (४) महिलायें, गरीबी और आजीविका के साधन (५) कृषि और जल संसाधन (६) वन और परती भूमिः भागीदारी और प्रबंधन (७) शांति, सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा (८) नगर संबंधित योजनाएँ, गरीबी और प्रशासन (९) लोक प्रशासन से शासन तक (१०) कानून और मानव अधिकार : कानूनी शिक्षा से समर्थन तक प्रत्येक पुस्तिका सरल हिन्दी भाषा में तैयार कराई गई है और ये फोर्ड फाउंडेशन की विभिन्न क्षेत्रों किया-कलापों. को भलीभाँति स्पष्ट करती हैं।

प्राप्तिस्थानः फोर्ड फांउडेशन, लोदी एस्टेट, नई दिल्ली ११०००३ वेबसाइटःwww.fordfoundation.org

सुणजो रे कोई साद

इस फिल्म में विकलांग व्यक्ति अपनी विकलांगता के कारण अपनी जिंदगी में स्वयं जो अनुभव करते हैं, उसके बारे में प्रस्तुति की गई है। अन्य लोगों की तरह वे भी बहुत काम कर सकते हैं ऐसा वे जोर देकर कहते हैं। वे जोर देकर पूछते हैं कि उन्हें एक तरफ क्यों धकेल दिया जाता है। परिवार के सदस्यों और समाज के नकारात्मक रुख के कारण उन्हें समाज के एक भाग के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता।

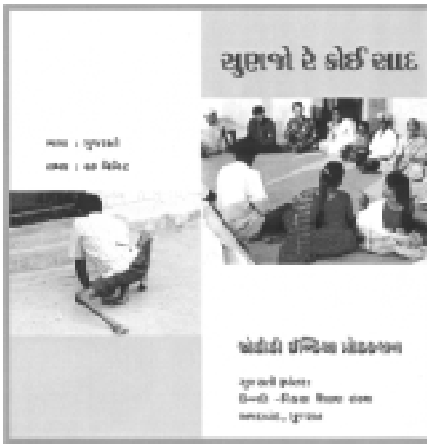

फिल्म के दूसरे भाग में विकलांग व्यक्तियों ने विकलांगता व समाज के नकारात्मक रुख के विरुद्ध जो सफल संघर्ष किया है,

उस बारे में प्रस्तुति हुई है। इन विकलांग व्यक्तियों ने दूसरे विकलांग लोगों के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण प्रदान किया है।

फिल्म के तीसरे भाग में यह दर्शाया गया है कि स्वसहाय समूहों के तत्वावधान में संगठित होकर विकलांग व्यक्तियों ने किस तरह अपनी शक्तियों को महसूस किया। अपने अधिकारों को वाणी देने के लिए अन्य विकलांग व्यक्तियों को संगठित होने और विकलांग व्यक्तियों को होने वाली कठिनाइयों के बारे में जन-समाज को संवेदनशील बनाने के लिए यह फिल्म उपयोगी सिद्ध होगी। इस फिल्म का निर्माण एडीडी (एड) इंडिया ने किया है और ज्यूरिक फाइनेन्शियल सर्विसेज, स्वीडन, यू.के. की तरफ से सहयोग प्रदान किया गया है।

गुजराती भाषा की सीडी और वीडियो कैसेट का प्राप्ति स्थानः 'उन्नति' विकास शिक्षण संस्था, जी-१, २०० आजाद सोसायटी, अहमदाबाद ३८० ०१५. फोनः ०७९-६७४६१४५, ६७३३२९६ फैक्सः ०७९-६७४३७५२. मूल्यः सीडी हेतु २०० रु. और वीएचएस हेतु ३०० रु.। पोस्टज व्यय इस मूल्य में शामिल है। ई-मेलः unnatiad1@sancharnet.in अंग्रेजी, तेलुगु, और कन्नड़ भाषा की सीडी और वीडियो कैसेट का प्राप्ति स्थानः 'एक्शन ऑन डिसेबिलिटी एंड डेवलपमैंट इंडिया', ४००५, १९, क्रोस, बनाशंकरी दूसरा स्टेज, बेंगलूर ५६० ०७०. फोनः ०८०-६७६५८८१, फैक्सः ०८०-६७६२०९७, ईमेलः addindia@vsnl.net

पृष्ठ 34 का शेष भाग

इस परिस्थिति का अध्ययन करते हुए मानव राहत ट्रस्ट ने बताया कि सागर का ज्वार के समय अधिकांश पानी विशाल क्षेत्र में फैला जाता था और जमीन के खारपन में बढोत्तरी होती रहती। चौमासे के समय वर्षा का हजारों क्यूसेक पानी निरर्थक सागर में चला जाता था।। इस परिस्थिति को रोकने का प्रबंध करने हेतु मानव राहत ट्रस्ट की तरफ से ईकोलोजी कमीशन, वड़ोदरा के पास प्रोजेक्ट प्रस्तुत किया गया। ग्राम पंचायत से इस परती जमीन के बारे में लगभग २५ हैक्टेयर (६५ बीघा) जमीन को प्रोजेक्ट के लिए स्वीकृति मिली। एक समिति बनाकर प्रोजेक्ट की कार्यवाही मानव राहत ट्रस्ट द्वारा हाथ में ली गई। इस सम्पूर्ण परती जमीन में प्रचुर मात्रा में जंगली बबूल के झुंड उगे थे और इन झुंडों में जंगली रोजनील गायों की विशाल बस्ती बनी हुई थी। इनसे आसपास के बाड़ी - खेतों में खडी फसल को भयंकर नुकसान होता था।

मानव राहत ट्रस्ट की तरफ से सर्व प्रथम प्रोजेक्ट की कार्यवाही में जंगली बबूल साफ कराये, उन्हें जड़मूल से उखड़वा डाला। इससे जंगली रोजड़ों को रहने का स्थान खुला हो जाने से वे दूर-दूर भाग गये। इससे खेती बाड़ी के नुकसान में थोड़ी कमी आई और जमीन खुली हो जाने से अच्छी-खासी घास उग आई। साथ ही इस जमीन में करील, गवार पाढा, अरीठा, सीताफल आदि के पौधे पनपाये गए। इन पौधों को रोजड़े नुकसान नहीं पहुँचाते, इसलिए इन्हें लगाया गया।

सागर तट वाले कई गांवों के इलाकों में कम गहराई पर कुओं में मीठा पानी आसानी से मिल सकता है। उदाहरण के लिए मीठी, वीरडी, अलंग, लाखणका आदि का अध्ययन करके सागर तट से थोड़ी दूर पांच फुट व्यास की २२ फीट गहरी कुई बनवाई। तल भाग में सीमेन्ट की रिंगें, उतार कर ऊपर ईंट-सीमेन्ट की चिनाई करके पक्की कुई तैयार की गई। सागर का चारों ओर का पानी आसपास के इलाकों में फैलता था। उसके आगे मिट्टी की दीवारें बनाई और बीच के भाग में चेकडेम। पक्की चिनाई का बनाकर नीचे के भाग में तलाब बनाया गया। जिसके कारण तालाब का अधिक पानी औवर फ्लो का ही पानी सागर में जा सके और सागर का ज्वार का पानी इधर न आ सके और वर्षा का मीठे पानी का संग्रह बड़ी तादाद में एक तरफ सुरक्षित रहे।

ऊर्जा विकास संस्था, वडोदरा की ओर से सब्सिडी हासिल करके पवन चक्की खड़ी की गई तालाब के वर्षा के पानी का रिसाइक्लिंग करके पवन चक्की से कुई में से मीठा पानी मछुआरों को आज भी प्रदान किया जा रहा है। सतत चलती पवन चक्की से निकलता अधिक पानी फिर से तालाब में जाने दिया जाता है। जल संचय अभियान और भूमि विकास कार्यक्रम इस तरह संस्था की तरफ से हाथ में लिया गया है। सम्पर्कः मानव राहत ट्रस्ट, गुरुकृपा, प्लाट नं-८, काकुमा बंगला के पीछे, भावनगर-३६४००२.

हमने पिछली बार जानकारी दी थी कि 'उन्नति' के स्वरूप व कार्यक्रमों का पुनर्गठन किया गया है, अतः पिछली बार से हमने नये स्वरूप के अनुसार अपनी प्रवृत्तियों का विवरण देना शुरू कर दिया था। इन तीन महीनों के दौरान हमने निम्नानुसार अपनी प्रवृत्तियों को हाथ में लिया था।

१. सामाजिक जुड़ाव एवं सशक्तिकरण इकाई

सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन (पीआरए) के विषय में राजस्थान के पोकरण कस्बे में गुजरात व राजस्थान के सहभागियों के लिए दिनांक ५ से १० अगस्त के दौरान एक प्रशिक्षण आयोजित किया गया था। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य पीआरए के सिद्धांतों व साधनों के बारे में समझ विकसित करना और मनोभावों व व्यवहार में परिवर्तन लाकर उनके सिद्धांतों का कार्यक्षेत्र में उपयोग करने में उनको सक्षम बनाना था। इस कार्यक्रम में १० सहभागी संगठनों में से ३० प्रतिभागी उपस्थित थे।

स्वसहाय समूहों के बारे में प्रशिक्षण

'फ्रेंड्स ऑफ द वीमेंस वर्ल्ड बैंकिग' के सक्रिय सहयोग से महिलाओं के समूह निर्मित करने वाले कार्यकर्ताओं हेतु प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (टीओटी) का दूसरा चरण आयोजित किया गया। उसका मुख्य उद्देश्य स्थायी स्वसहाय समूह निर्मित करके महिलाओं की सक्षमता विषयक सामूहिक समझ विकसित करना था। यह विचार समझ लेना महत्वपूर्ण था कि सिर्फ बचत व ऋण मंडली खड़ी करने का इसका उद्देश्य नहीं है।

असहायता घटाने हेतु कार्यशाला

'दानिडा' द्वारा सहायता प्राप्त 'ग्रामीण पेयजल अवाप्ति एवं सफाई परियोजना' कर्नाटक के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं हेतु मैसूर में दिनांक १८ से २६ अगस्त के दौरान जल व सफाई के क्षेत्र में असहायता घटाने के बारे में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य इस परियोजना में महिलाओं के समावेश के महत्व को समझना, उनके समावेश की प्रक्रिया आगे बढ़े, उससे संबंधित प्रक्रिया के साधनों को समझना और उनके समावेश से उत्पन्न संकेतों को समझना था।

विकलांगों के समावेश हेतु सभ्य समाज की भागीदारी

विकलांगों, वृद्धों, स्त्रियों व बालकों हेतु विविध स्थलों तक पहुँच की समस्या के बारे में जागरूकता लाने के लिए अहमदाबाद व बड़ौदा में इस वर्ष जुलाई माह के दौरान आठ कार्यशालाएँ आयोजित की गईं। इसमें वास्तुकारों, आयोजकों, डिजाइन संस्थाओं, गैर-सरकारी संगठनों और सेवा उद्योग समेत विविध शुभचिंतकों ने भाग लिया था। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य अवरोधमुक्त वातावरण निर्मित करने की जरूरत के बारे में और लघुतम व्यय पर इसके लिए कदम उठाने हेतु सहभागियों को संवेदनशील बनाना था। ये कार्यशालाएं दिल्ली स्थित गैर-सरकारी संगठन 'सामर्थ्य' की सुश्री अंजलि अग्रवाल और श्री संजीव सचदेव जैसे विशेषज्ञों के सहयोग से आयोजित की गई। 'दिल्ली हाट' समेत स्थलों पर अवरोध वातावरण निर्मित करने का अनुभव रखते हैं। मीडिया ने इस घटना को खूब प्रसिद्धि दी और वे 'पहुँच' के बारे में अब भी विविघ लेख प्रकाशित करते हैं। एकलव्य शाखा (अहमदाबाद) और कमाटी बाग व नर्मदा भवन (वडोदरा) जैसे हॉल के स्थानों में तथा महेसाणा में निर्मित होने वाले 'नेचर केयर सेंटर' में विकलांगों की पहुँच के संदर्भ में अन्वेषण भी हाथ में लिया गया।

गत वर्ष के दौरान ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में विकलांगता संबंधी समस्याएँ खोज निकालने हेतु १६ सहभागी संस्थाओं के साथ पी.आर.ए. हाथ में लिया गया था। दो दिनों की कार्यशाला में सहभागियों ने अपने अनुभवों का आदान-प्रदान किया और उनका दस्तावेजीकरण किया।

इस विषय में ब्यौरेवार प्रतिवेदन अपने वर्तमान कार्यक्रमों में विकलांगता के प्रश्न को शामिल करें इसके लिए उनहें सक्षम बनाने के आयोजन हेतु एक बैठक आयोजित की गई थी।

'विकलांगता और विकास' के बारे में कच्छ में जुलाई २००३ के दौरान स्थानीय दैनिक अखबारों में भूकंप के बाद हाथ में लिए गए रचनात्मक प्रयासों के बारे में अनेक लेख प्रकाशित हुए।

'अनहर्ड वोईसेज' शीर्षक से एक कन्नड़ फिल्म का एडीडी इंडिया, बेंगलूर द्वारा निर्माण हुआ है। उसमें विकलांगों के बारे में प्रभावी छाप अंकित करने का प्रयास किया गया है। उसका डबिंग गुजराती में कराया गया है और उसे समाज में दिखाये जाने हेतु सहभागियों द्वारा उनकी प्रतियाँ वितरित की गई हैं।

आपातकाल का सामना करने हेतु समुदाय आधारित तैयारी के बारे में अभिमुखता

आपातकाल का सामना करने हेतु समुदाय आधारित तैयारी व आयोजन के बारे में दो दिनों का अभिमुखता कार्यक्रम दिनांक ४-६ जुलाई २००३ के दौरान भुज के 'सेव द चिल्ड्रन फंड' के कार्यकर्ताओं के लिए कच्छ के रापर में आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण में मुख्य रूप से लोक-भागीदारी द्वारा असहायता के विश्लेषण व जोखिम मापन पर ध्यान केंद्रित किया गया।

संघर्ष-संचालन के विषय में कार्यशाला

'केयर' इंडिया द्वारा सहायता प्राप्त 'गुजरात हार्मनी प्रोजेक्ट' की सहभागी संस्थाओं हेतु संघर्ष के विश्लेषण के वास्ते साधन 'डू नो हार्म' के बारे में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था। यह साधन विविध संगठनों को कार्यक्रम का संदर्भ, प्रयोजन, प्रवृत्तियों आदि का विवरण निश्चित करने में सक्षम बनाता है। कौनसे कार्यक्रम हाथ में लिये जा सकते हैं, उनके विकल्पों में से चयन किया सकता है। ये कार्यक्रम ऐसे हों कि जिनसे संकीर्णता घटे और समन्वय बढ़े। इस साधन के निदर्शन हेतु प्रशिक्षण के भाग रूप में एक क्षेत्रीय मुलाकात भी आयोजित की गई थी।

(२) स्थानीय स्वशासन एवं नागरिक नेतृत्व इकाई

पंचायती राज के सवालों के विषय में एक कार्यक्रम तैयारी किया गया है और वह गुजरात में 'आकाशवाणी' द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इन तीन महीनों के दौरान १५ मिनिट के एक ऐसे १२ कार्यक्रम 'गाँवों की धड़कन' नाम से प्रसारित हुए थे। उसमें सफल सरपंचों के विवरण प्रकाशित किये गए थे। प्रत्येक कार्यक्रम की प्रतिक्रिया में लगभग से १०० से अधिक पत्र या फोन आते हैं। दो कार्यक्रमों में ७३वें संविधान संशोधन का महत्व गुजरात सरकार के विकास आयुक्त ने समझाया था।

गुजराती में 'पंचायत जगत' और हिन्दी में 'स्वराज' के दो अंक प्रकाशित हुए हैं, जो गुजरात व राजस्थान में पंचायतों के प्रतिनिधियों को तथा गैर सरकारी संगठनों को वितरित किये जाते हैं।

'समन्वित बाल विकास योजना' (आईसीडीएस) के प्रशिक्षकों और शालाओं के आचार्यों के लिए दो दिनों का एक 'प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण' कार्यक्रम सितंबर २००३ के दौरान आयोजित कराया गया था। 'समन्वित बाल विकास कार्यक्रम' में पंचायत और समुदाय की भूमिका के बारे में चर्चा हुई थी। उसमें गुजरात के ११ जिलों में से २८ सहभागियों ने भाग लिया था।

सितंबर २००३ के दौरान गुजरात और राजस्थान के शहरी काउंसिलरों तथा 'प्रिया' व 'उन्नति' के कार्यकर्ताओं ने मिलकर कुल २३ व्यक्तियों का एक प्रवास शहरी समस्याओं के बारे में नये प्रयासों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आयोजित किया गया था। उन्होंने चेन्नई

के पास तंबरम् नगरपालिका का अवलोकन किया था और 'एक्सनोरा इंटरनेशनल' नामक एक गैर सरकारी संगठन से भी सम्पर्क किया था। इन दोनों ने लोग भागीदारी द्वारा ठोस कचरे के संचालन हेतु प्रयास हाथ में लिये थे।

(३) क्षेत्रीय परियोजना

कच्छ जिला

भचाऊ नगर के 'नागरिक सहायता विभाग' (सीएमसी - सिटीजन सपोर्ट सेल) द्वारा नगरपालिका के साथ भचाऊ नगर के भीलवास क्षेत्र में समुदाय आधारित जलसंग्रह व अवाप्ति व्यवस्था का निर्माण कार्य शुरू करने हेतु एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया है। विगत तीन महीनों में ९७ व्यक्तियों ने इस विभाग से सम्पर्क किया था। जमीन को नियमित करने हेतु सौंपी गई तमाम अर्जियों की जांच की गई और तब वे संबंधित विभाग को सौंप दी गईं। 'नगरवाणी' नामक एक मासिक समाचार पत्र नियमित रूप से इस विभाग द्वारा प्रकाशित किया जाता है। उसमें नागरिकों को ताज़ा से ताज़ा जानकारी इस विभाग द्वारा प्रदान की जाती है।

विगत तीन माह दौरान लोक शिक्षण हेतु कई पुस्तिकायें प्रकाशित की गये हैं और वे नागरिकों में वितरित भी की गई हैं। टेक्नोलोजी पार्क का विचार, उद्देश्य और उपयोग, भूकंप और चक्रवात के समक्ष सुरक्षित निर्माण कार्य और वर्षा के पानी का संग्रह के विषय में लघु पुस्तिकायें प्रकाशित की गई हैं। नागरिकों के शिक्षण हेतु उचित संदेशों के साथ कागज की टोपियां भी बहुत बड़ी संख्या में वितरित की गई थीं।

कसीदे का काम करने वाली ८ गाँवों की ९ महिला मंडल की ८४ महिला नेत्रियों हेतु एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था। उसमें संगठन की प्रक्रिया, संगठनों के प्रकार, संगठनों का स्वरूप और स्वसहाय समूहों तथा गाँव की अन्य स्थानीय संस्थआओं के बीच के संबंधों के बारे में चर्चा की गई थी। जीवन निर्वाह के प्रयासों के भाग रूप में 'दोरी' ब्रांड नाम के अधीन उत्पादन तैयार कराए गए है। घर के फर्नीचर की वस्तुओं के अतिरिक्त अब वस्त्रों का भी उत्पादन किया जाता हैं।

अगस्त २००३ में निर्माण कार्य की सुरक्षित पद्धतियों के बारे में ४२ मजदूरों के लिए एक कार्यशाला आयोजित की गई थी। घर की छत और मरम्मत के लिए ११ परिवारों को साधन-सामग्री की सुविधा प्रदान की थी, क्योंकि उन्होंने मजदूरी पूरी मिलने के बावजूद वे निर्माण कार्य पूरा करने की स्थिति में नहीं थे।

साबरकांठा जिला

पिछले एक वर्ष के दौरान इस जिले में सामाजिक न्याय समितियों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया हैं। पिछले तीन माह दौरान स्थानीय संस्थाओं के नेटवर्क जैसे 'सामाजिक न्याय नंच' द्वारा सामाजिक न्याय समितियों को मजबूत करने संबंधी प्रयास हाथ में लिये गये हैं। जिला कलेक्टर के साथ बैठक आयोजित की गई और उसे परिणाम स्वरूप तहसील विकास अधिकारियों ने, जहां ऐसी समितियां अस्तित्व में नहीं थी, वहां उन्हें गठित करने में रुचि लेनी शुरू कर दी। ग्राम पंचायत की सामाजिक न्याय समितियों के लगभग ३०० सदस्यों के लिए आठ भाग में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इन तीन माह के दरमियान ४४४ असहाय परिवरों को घर हांसिल करने में मदद की गई, ७००० लीटर क्षमता वाली वर्षा के जल का संग्रह करने वाली ४२ टंकियां चार स्थानों पर आपदा के मुकाबले की तैयारी कार्यक्रम के भाग रूप बनवाई गईं।

अहमदाबाद जिला

साबरकांठा के अनुभव के आधार पर इस जिल में दसक्रोई और धोलका तहसील में एक दिन के दो प्रशिक्षण सामाजिक न्याय समिति के

६५ सदस्यों हेतु आयोजित किये। उसमें ग्राम स्तर पर चयनित प्रतिनिधियों और सरकारी कर्मचारियों की भूमिका तथा जिम्मेदारियों के बारे में ध्यान आकृष्ट किया गया था।

ग्राम पंचायत की सामाजिक न्याय समितियों के बीच समन्वय स्थापित हों, इसके लिए प्रयास किये गए हैं। दोनों तहसीलों में महिलाओं के नेटवर्क्स की अलग बैठकें आयोजित की गई हैं। बैठकों में महिलाएँ भाग लें, इसके लिए उन्हें प्रेरित करने और बीपीएल सूची फिर से बने, इसके लिए प्रयास करने का उद्देश्य रखा गया था।

जिले के धोलका और साणंद नगरों में शहरी शासन में सहभागिता की प्रक्रिया जारी हैं। धोलका में जलापूर्ति के उचित वितरण की प्रक्रिया हाथ में ली गई और संबंधित हितैषियों के संग चर्चा की गई ताकि बजट के साथ-साथ ही वितरण की योजना भी तैयार हो। अगस्त २००३ में सर्वोच्च अदालत के फैसले के बाद नगरपालिका की सीमा में ठोस कचरे के संचालन संबंधी जिम्मेदारी उसी नगरपालिका की है। अतः दोनों नगरों के लिए सहभागी कचरा संचालन संबंधी प्रक्रिया भी शुरू की गई है।

विद्यालय जाने वाले बालकों को सुरक्षा के सवाल के बारे में जाग्रत कराने के उद्देश्य से अहमदाबाद फायर बिग्रेड के सहयोग से दिनांक १५.८.२००३ को आग से सुरक्षा के बारे में एक प्रदर्शन आयोजित किया था। शहर की ४४ शालाओं के २०० बालकों ने उसमें भाग लिया था। 'सुरक्षा का छत्र' नामक एक पुस्तिका गुजराती में तथा 'द शील्ड ऑफ सेफ्टी' नामक अंग्रेजी में प्रकाशित की गई है। गुजराती व अंग्रेजी में स्टिकर्स भी वितरित किये गए थे।

जोधपुर व बाड़मेर जिले

'दलित अधिकार अभियान' द्वारा जोधपुर में दिनांक २२-२३ अगस्त के दौरान तृतीय दलित सम्मेलन का आयोजन किया गया था। उसमें तहसील स्तर की समितियों के प्रतिनिधियों व दलित नेताओं समेत ५०० लोग उपस्थित थे, और जिनमें १५० दलित महिलाओं ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में दलित आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी व सवर्णों द्वारा जमीनें दबाने संबंधी प्रश्नों की चर्चा हुई थी। इसके अलावा, आंदोलन की भावी कार्य सूची व व्यूहरचना के बारे में विशेषज्ञों के साथ चर्चा की गई थी।

जोधपुर जिल में शेरगढ़ तहसील में दलित महिलाओं की समस्याओं को वाणी देने के लिए एक 'महिला मंच' बनाया जा रहा है। कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना देने के बाद उच्च न्यायालय में बलात्कार के प्रयास से संबंधित एक केस दाखिल किया गया है।

सहभागियों के साथ मिलकर लोक भागीदारी से बीपीएल सूची तैयार करने के लिए सामुदायिक जागृति अभियान शुरू किया गया। इस सूची के अधीन १३ लाख परिवार चुने गए हैं। गणना प्रक्रिया को समझने का प्रयास करने और जरूरी सूचना प्राप्त करने में बाधक अवरोध दूर करने हेतु प्रयास करने संबंधी बातों का उसमे समावेश किया गया। यह सूची तैयार करने में लोग सक्रियता से भाग लें, यह देखा गया। वार्ड सभा और ग्राम सभा में यह प्रक्रिया हाथ में ली जाए, इस पर ध्यान दिया गया। उसके लिए नुक्कड़ नाटकों, भित्तिचित्रों व स्टिकर्स का उपयोग किया गया। बिलाड़ा नगरपालिका हेतु काउंसिलरों के साथ चर्चा परिचर्चा की गई ताकि वे बीपीएल सूची को बराबर सही बनवाने में रुचि लें। महाराष्ट्र की भांति राजस्थान में भी जोधपुर विभाग में रोजगार गारंटी योजना अमल में आए, इसके लिए राज्य सरकार से हिमायत की गई। इसके लिए सरकार 'मजदूर-किसान शक्ति संगठन' का सहयोग ले, ऐसा सुझाव भी दिया गया।

छह विभागों में इसी प्रकार की कार्यशालाएँ आयोजित की गईं और अंत में मांगों का एक दस्तावेज तैयार किया गया, जो बाद में सरकार को सौंप दिया गया। परिणामस्वरूप दिनांक २५ से ३० अगस्त २००३ के दौरान राज्य में मतदाता सूचियों में सुधार हेतु वार्ड सभाओं का

आयोजन किया गया।

दिनांक १८-१९ अगस्त २००३ के दौरान बाड़मेर जिले की मंदोर तहसील के उमेदनगर गाँव में कालबेलिया समुदाय का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। उसमें लगभग १५० स्त्री-पुरुषों ने भाग लिया था। मदारी के रूप में कालबेलिया समुदाय विख्यात है। वे मूलतः घुमंतू समुदाय हैं अतः वे अनुसूचित जाति का दर्जा पाने हेतु संघर्ष कर रहे हैं। इस सम्मेलन में उन्होंने समुदाय के अन्य लोगों को जागृत करने की भावी व्यूहरचना की समीक्षा की, साथ ही समुदाय में सामाजिक सुधार लाने के लिए विचार-विमर्श किया।

'चरखा' की प्रवृत्तियाँ

विगत तीन माह के दौरान १७ दैनिकों व मासिकों में २६ लेख तैयार किए गए हैं और प्रकाशित कराये गए हैं। चार गैर-सरकारी संगठनों को संपादन के लिए सहयोग दिया गया है। जुलाई में 'प्रयास' के कार्यकर्ताओं के लिए दो दिनों की और अगस्त में 'जनपथ' के कार्यकर्ताओं हेतु एक दिन की लेखन कौशल कार्यशालाएँ आयोजित की गईं। गैर-सरकारी संगठनों को इन मुद्दों में संचार-समर्थन प्रदान किया: विकलांगों हेतु अवरोध मुक्त वातावरण और रोज़गार, जलस्राव विकास में महिलाओं की सहभागिता और डांग में आदिवासियों के जमीन के अधिकार। सौराष्ट्र व कच्छ में हिंसा के मुद्दे पर काम करने वाली छह संस्थाओं के नेटवर्क और पत्रकारों के बीच दिनांक २३.९.२००३ को राजकोट में एक संवाद आयोजित किया गया। इसमें महिलाओं के प्रति बढ़ती हिंसा के बारे में चर्चा हुई थी।

उन्नति

उन्नति

विकास शिक्षण संस्थान

जी-1, 200, आज़ाद सोसायटी, अहमदाबाद-380015

फोनः 079-6746145, 6733296 फैक्सः 079-6743752 email: unnatiad1@sancharnet.in

राजस्थान क्षेत्रीय कार्यालय

जी-55, शास्त्री नगर, जोधपुर-342 003 राजस्थान

फोनः 0291-2642185, फैक्सः 0291-2643248 email: unnati@datainfosys.net

डिज़ाइनः रमेश पटेल, उन्नति **गुजराती से अनुवादः** रामनरेश सोनी

मुद्रकः कलरमैन प्रिन्टर्स, अहमदाबाद. फोन नं. मो. 98251-56402

आप लोक शिक्षण व प्रशिक्षण के लिए विचार में प्रकाशित सामग्री का सहर्ष उपयोग कर सकते हैं। कृपया सौजन्य का उल्लेख करना न भूलें और साथ ही अपने उपयोग से हमें अवगत करायें ताकि हम भी उससे कुछ सीख सकें।